लोक-सभा
वाद-विवाद

(द्वितीय माला)

खण्ड २९, १९५९/१८८१ (शक)

[६ अप्रैल से २० अप्रैल, १९५९/ १६ चैत्र से ३० चैत्र, १८८१ (शक)]

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
On
Parliament Library

सातवां सत्र १९५९/१८८१ (शक)
(खण्ड २९ में अंक ४१ से ५० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

79 (Ai) LSD—9.

विषय-सूची

पृष्ठ

[द्वितीय माला, खण्ड २६, अंक ४१ से ५०—६ अप्रैल से २० अप्रैल १६५६/१६ चैत्र से ३० चैत्र १८८१ (शाक)]

अंक ४१ सोमवार, ६ अप्रैल, १६५६/१६ चैत्र १८८१ (शाक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६६५ से १६६८, १६७०, १६७१, १६७४, १६७५ और १६७८ से १६८३ . . ४७६३—४८१७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६६६, १६७२, १६७३, १६७६, १६७७ और १६८४ से १६६० . . . ४८१७—२३

अतारांकित प्रश्न संख्या २७०८ से २७६१ ४८२३—४२

स्थगन प्रस्तावों के बारे में ४८४३

लोक-लेखा समिति—

बारहवां प्रतिवेदन. ४८४३

याचिकायें ४३४३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

नहरी पानी के सम्बन्ध में भारत-पाकिस्तान अन्तरिम करार. ४८४३—४४

तारांकित प्रश्न संख्या ७२२ के उत्तर की शुद्धि ४८४५

अनुदानों की मांगें—

श्रम और रोजगार मंत्रालय ४८४५—६७

दैनिक संक्षेपिका. . . . . . ४७६८—४६०२

अंक ४२, मंगलवार, ७ अप्रैल, १६५६/१७ चैत्र, १८८१ (शाक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६६३, १६६६ से १७०१, १७०३, १७०७, १७११ से १७१५ और १७१८ से १७२० ४६०३—२४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६६१, १६६२, १६६४, १६६५, १७०२, १७०४ से १७०६, १७०८ से १७१०, १७१६ और १७१७ ४६२५–३०

पृष्ठ

अतारांकित प्रश्न संख्या २७६२ से २८०६ और २८११ से २८१४ . . . ४६३०—५०

स्थगन प्रस्ताव

दलाई लामा के भारत पहुंचने के समाचार की नई दिल्ली से पहले पीकिंग द्वारा घोषणा ४६५०–५१

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ४६५१–५२

प्राक्कलन समिति

कार्यवाही-सारांश . . . ४६५२

तारांकित प्रश्न संख्या ६३३ के उत्तर की शुद्धि . . . ४६५३

अनुदानों की मांगें . . . . . ४६५३—५७, ४६५८—५०२०

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय . . . ४६५३—५७, ४६५ —५०२०

सभा का कार्य ४६५७

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . ५०२१—२५

अंक ४३, बुधवार, ८ अप्रैल, १९५९/१८ चैत्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७२१ से १७२६, १७२८ से १७३२, १७३४, १७३५, १७३७ से १७३९ और १७४१ से १७४३ . . . ५०२७—५३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १९ . . . ५०५३—५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७२७, १७३३, १७३६, १७४० और १७४४ से १७४८ . . . . . . ५०५५—५९

अतारांकित प्रश्न संख्या २८१५ से २८६७ . . . ५०५९—८२

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ५०८३

अनुदानों की मांगें . . . . . ५०८३—५१३५

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय . . . ५० ३—५१०३

प्रतिरक्षा मंत्रालय . . . ५१०४—३५

दैनिक संक्षेपिका . . . ५१३६—३९

अंक ४४, बृहस्पतिवार, ९ अप्रैल, १९५९/१९ चैत्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७४९ से १७५४, १७५६ से १७६२, १७६४, १७६६, १७६७, १७६९ से १७७१, १७७३ और १७६५ ५१४१—६७

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७५५, १७६३, १७६८ और १७७२ . ५१८७—६८

अतारांकित प्रश्न संख्या २८६८ से २९१७ . ५१६८—६०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २० . . . ५१६०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . ५१६१

तारांकित प्रश्न संख्या ११५१ के उत्तर की शुद्धि ५१६१

विधेयक पर राय ५१६१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

इकतालीसवां प्रतिवेदन ५१६२

प्राक्कलन समिति

पचासवां प्रतिवेदन . . . ५१६२

अनुदानों की मांगें . . . ५१६२—५२४६

प्रतिरक्षा मंत्रालय . . ५१६२—५२३०

पुनर्वास मंत्रालय ५२३०—४६

दैनिक संक्षेपिका ५२४७—५०

अंक ४५, शनिवार, ११ अप्रैल, १९५९/२१ चैत्र, १८८१ (श.क)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण . ५२५१

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७७४ से १७७६, १७७८, १७७९, १७८१, १७८३ से १७८५, १७८७, १७८८, १७९० से १७९३, १७९५, १७९६, १७९८, १८०० और १८०१, १७८२ ५२५१—७५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २१ . ५२७६—७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७८०, १७८६, १७८९, १७९४, १७९७ और १७९९ . . . ५२७७—७९

अतारांकित प्रश्न संख्या २९१८ से २९३० और २९३२ से २९६६ ५२७९—९७

स्थगन प्रस्ताव . ५२९७—९८

सभा-पटल पर रखा गया पत्र . ५२९८

सभा का कार्य . . . . . . ५२९८—९९

सरकारी भाषा के सम्बन्ध में संसद् की समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा के बारे में . . ५२९९

अनुदानों की मांगें . . . . ५२९९—५३३५

पृष्ठ

पुनर्वास मंत्रालय . . . ५२९९—५३२८

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय . . ५३२८—३५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

इकतालीसवां प्रतिवेदन ५३३५

विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कदाचार की जांच करने के लिये संसद् सदस्यों की एक समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प . ५३३५—४३

बन्दरों के निर्यात के बारे में संकल्प . . ५३४३—४७, ५३५०—५२

पाकिस्तान में भारतीय वायु सेना के एक विमान को गोली मार कर गिरा देने के बारे में वक्तव्य ५३४७—५०

दैनिक संक्षेपिका ५३५३—५७

अंक ४६, मंगलवार, १४ अप्रैल, १९५९/२४ चैत्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८०२ से १८०६, १८०८, १८१३, १८१६, १८१७, १८१९ से १८२१ और १८२४ से १८२७ ५३५९—८२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २२ ५३८२—८४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८०७, १८०९ से १८१२, १८१४, १८१५, १८१८, १८२२, १८२३ और १८२८ . . . ५३८४—८९

अतारांकित प्रश्न संख्या २९६७ से ३०२१ और ३०२३ से ३०३१ . ५३८९—५४२०

स्थगन प्रस्ताव—

सीमा घटना ५४२१—२२

सभा-पटल पर रखा गया पत्र . ५४२२

प्राक्कलन समिति—

बावनवां प्रतिवेदन ५४२३

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित ५४२३

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया के निलम्बन काल के परिहार के बारे में . ५४२३

अनुदानों की मांगें . . . ५४२३—७२

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय ५४२३—७२

दैनिक संक्षेपिका . ५४७३—७७

अंक ४७, बुधवार, १५ अप्रैल, १९५९/२५ चैत्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८२९ से १८३५, १८३७, १८३८, १८४० से १८४३, १८४५ से १८४७ और १८४९ से १८५२ ५४७९—५५०४

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८३६, १८३६, १८४४, १८४८ और १८५३ . ५५०४—०६

अतारांकित प्रश्न संख्या ३०३२ से ३०८१ और ३०८३ से ३११३ . ५५०६—३८

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया के निलम्बन काल के परिहार के बारे में . ५५३६

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . ५५३६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र . . ५५३६

प्राक्कलन समिति

सैंतालीसवां प्रतिवेदन . . ५५३६

अनुदानों की मांगें . . . ५५३६—६३, ५५६४—८६

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय . . ५५३६—५५

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय . ५५५५—६३, ५५६४—८६

याचिकायें ५५६३–६४

अनुदानों की मांगों पर मुखबन्ध के बारे में . ५५८७

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . ५५८८—६२

अंक ४८, गुरुवार, १६ अप्रैल, १९५९/२६ चैत्र, १८८१ (शाक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८५४ से १८५७, १८५९, १८६०, १८६३, १८६५, १८६७, १८६९, १८७०, १८७२, १८७३, १८७६ से १८७८ और १८८० . . . . . ५५९५—५६१९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८५८, १८६१, १८६२, १८६४, १८६६, १८६८, १८७१, १८७४, १८७५, १८७९, १८८१ से १८८३ और १७७७ . ५६१९—२४

अतारांकित प्रश्न संख्या ३११४ से ३१९० . ५६२४—५४

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . ५६५४–५५

प्राक्कलन समिति .

अड़तालीसवां प्रतिवेदन ५६५५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

बयालीसवां प्रतिवेदन . . . ५६५५

तारांकित प्रश्न संख्या ७७५ के उत्तर की शुद्धि ५६५५

अनुदानों की मांगें . . . . . ५६५६—५७०१

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय . ५६५६—७७

	पृष्ठ
वित्त मंत्रालय	५६७८—५७०१
कार्य मंत्रणा समिति	
सैंतालीसवां प्रतिवेदन	५७०१
दैनिक संक्षेपिका	५७०२—०७

अंक ४६, शनिवार, १८ अप्रैल, १९५९/२८ चैत्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १८८४, १८८६, १८८७, १८८९, १८९१ से १८९७, १९०० से १९०३ और १९०५ . .	५७०९—२९
अल्प सूचना प्रश्न संख्या २३ . . .	५७२९—३२
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १८८५, १८८८, १८९०, १८९८, १८९९, १९०४ और १९०६	५७३२—३५
अतारांकित प्रश्न संख्या ३१९१ से ३२४५	५७३५—५६
सभा-पटल पर रखे गये पत्र .	५७५७
प्राक्कलन समिति	
(१) कार्यवाही सारांश	५७५७
(२) अड़तीसवां प्रतिवेदन	५७५७
कार्य मंत्रणा समिति	
सैंतीसवां प्रतिवेदन	५७५७
सभा का कार्य	५७५८
अनुदानों की मांगें	५७५८—८०
वित्त मंत्रालय	५७५८—८०
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	
बयालीसवां प्रतिवेदन	५७८०
विधेयक पुरस्थापित	५७८०—८१
(१) श्री काशीनाथ पाण्डे का भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक (नई धारा ३८३ क का रखा जाना) . . .	५७८०—८१
(२) श्री बाल्मीकी का अखिल भारतीय घरेलू कर्मचारी विधेयक	५७८१
मध्यस्थता (संशोधन) विधेयक	
विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत . . .	५७८१—८७

पृष्ठ

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक . . . . ५७८७—९६

प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव—वापस लिया गया

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . ५७९७—५८०१

अंक ५०, सोमवार, २० अप्रैल, १९५९/३० चैत्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९०७ से १९११, १९१३ से १९१५, १९१७, १९२०, १९२२, १९२४, १९२५ और १९२७ से १९३१ . . ५८०३—२७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९१२, १९१६, १९१८, १९१९, १९२१, १९२३ और १९२६ . . . . . . ५८२७—२९

अतारांकित प्रश्न संख्या ३२४६ से ३३१६ . . . ५८३०—५८

अतारांकित प्रश्न संख्या ९५५ के उत्तर की शुद्धि . . ५८५८

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ५८५८–५९

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ५८५९

प्राक्कलन समिति

उनचासवां प्रतिवेदन . . . ५८६०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

१६ अप्रैल, १९५९ को इरोड पर कोचीन एक्सप्रेस की दुर्घटना ५८६०–६१

अनुदानों की मांगें . ५८६१—८२

वित्त मंत्रालय . ५८६१—८२

वित्त विधेयक

विचार करने का प्रस्ताव . . . . ५८८२—५९०४, ५९०५—१६

विनियोग (संख्या २) विधेयक पारित . . ५९०४—०५

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . ५९१७—२२

नोट: मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

79(Ai) LSD—10.

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

शनिवार, ११ अप्रैल, १९५९

२१ चैत्र, १८८१ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा (जम्मू तथा काश्मीर)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कानपुर के युद्ध सामग्री कारखाने में इस्पात की बर्बादी

+

†*१७७४. { **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री १५ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ९३९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युद्ध सामग्री कारखानों के महानिदेशक ने उस समिति के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है जिस ने कानपुर के युद्ध सामग्री कारखाने में इस्पात की बर्बादी के आरोप की जांच की थी; और

(ख) यदि हां, तो इस विचार का क्या परिणाम निकला है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी हां।

(ख) जांच बोर्ड ने पाया कि एक ओर तो ५ इंच वर्ग के लगभग ५९ टन ब्लूमों का हिसाब नहीं दिया जा रहा था, जिनकी लागत २५,२३० रुपये कूती गयी थी, और दूसरी ओर विभिन्न आकार के १९१·९५ टन बिलेट और ब्लूम जिनका पुस्तमूल्य लगभग ८३,९५० रुपये था। सामान में यह कमी होने और उसके फालतू होने की वजह यह थी कि सामान की मांग और संभरण में कोई नियमितता नहीं थी, और हिसाब-किताब भी ठीक से नहीं रखा गया था। इस के लिये ६ व्यक्ति दोषी ठहराये गये और उन्हें उचित सज़ा दे दी गयी है।

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या उस सुपरिंटेंडेंट को भी, जिस के काल में यह अनियमिततायें हुईं थीं, दण्डित किया गया है और क्या यह सच है कि जांच पूरी होने से पहले उसे ईसापुर के एक और युद्ध-सामग्री कारखाने में स्थानान्तरित कर दिया गया था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

62(Ai) L.S.D.—1

†श्री रघुरामैया : जांच बोर्ड ने यह बिचार प्रगट किया है कि किसी व्यक्ति विशेष के संबंध में जिम्मेदारी का अनुमान लगाना कठिन चीज़ होगी और यह कहा है कि छहों व्यक्तियों को उत्तरदायी माना जाता है और उन छहों व्यक्तियों को उपयुक्त दण्ड दे दिया गया है ।

†श्री स० म० बनर्जी : 'उपयुक्त दण्ड' से माननीय मंत्री का क्या तात्पर्य है ? उन्हें क्या दण्ड दिया गया है ?

†श्री रघुरामैया : इस मामले में युद्ध सामग्री कारखानों के महानिदेशक को ही पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं और उन्होंने दो मामलों में तो संचयी प्रभाव से तीन साल के लिये वेतन वृद्धि रोक दी है, दो की निन्दा की है और दो को चेतावनी दी है ।

†श्री स० म० बनर्जी : इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिये और क्या कार्यवाही की गयी है ?

†श्री रघुरामैया : बोर्ड ने स्वयं कई प्रकार की कार्यवाहियों का सुझाव दिया है । बोर्ड ने यह सिफारिश की है कि बारमिल स्टाक में वास्तव में कम फालतू सामान का पता चलान के लिये बार मिल सेमिस की स्वतंत्र रूप से जांच कर के मिल के विवरण से उसका मिलान कर लिया जाय । जांच करने वाला दल बार मिल यार्ड में पड़े माल और अन्य फालतू सामान का वर्गीकरण भी कर दे । इस के अलावा भविष्य में जो भी हाफ़-रोल्ड या रिजेक्ट्स रोल स्पाइल्स रोलिंग के उपयुक्त समझे जायें उन्हें अन्य काम आने योग्य सामान में मिलने का मौका दिये बिना तुरन्त नियमित स्टाक में चढ़ा लेना चाहिये । उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि सेमी-विवरण बनाने और उपभोग करने वाली कर्मशालाओं को सामान देने की प्रक्रिया में सुधार किये जांये, समय समय पर केवल परिमाणों की ही नहीं स्टाक की भी विभिन्न किस्मों की भी जांच की जाय और इस्पात की चीजों को पृथक रूप से उचित ढंग से रखा जाय ।

उपर्युक्त सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कानपुर के युद्ध सामग्री कारखाने के सुपरिटेंडेंट ने दो परिपत्र जारी किये हैं जिनमें से एक तो सैक्शनों में हिसाब रखने की प्रक्रिया को कड़ा बनाने के लिये है और दूसरा गोदाम में स्टाक का हिसाब रखने की प्रक्रिया को सख्त करने के लिये है । इस के अलावा युद्ध सामग्री कारखानों के महानिदेशक ने फैक्टरी के अधिकारियों से कर्मशालाओं के हिसाब की स्थिति पर भी चर्चा की ताकि उसे भी ठोस आधार पर रखा जा सके । इस से संबंधित हिदायतों को अंतिम रूप दिया जा रहा है ।

†श्री वाजपेयी : क्या सरकार को अन्य कारखानों में भी इस्पात की बर्बादी होने की शिकायतें मिली हैं और यदि हां, तो क्या उनकी जांच की जायगी ?

†श्री रघुरामैया : सभा को मालूम है कि खमरिया में हमारा युद्ध सामग्री कारखाना है और उसके संबंध में भी हम आवश्यक जांच आदि कर रहे हैं । उस मामले में भी हम उपयुक्त कार्यवाही कर रहे हैं ।

†श्री स० म० बनर्जी : इन छः कर्मचारियों में से कितने प्रथम श्रेणी के थे, कितने द्वितीय श्रेणी के थे, कितने तृतीय श्रेणी के और कितने चतुर्थ श्रेणी के थे ?

†श्री रघुरामैया : एक स्टोर-कीपर है, तीन सुपरवाइज़र हैं, एक चेकर है और एक फोरमैन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सोने का तस्कर व्यापार

†*१७७५. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल की सरकारी कार्यवाहियों की वजह से क्या भारत में स्थल अथवा जल मार्ग से चोरी से लाये जाने वाले सोने, और अन्य अवैध वस्तुओं में कमी हुई है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** स्पष्ट रूप में यह कहना संभव नहीं है कि सरकार द्वारा की गई कार्यवाहियों के फलस्वरूप स्थल अथवा जल मार्ग से चोरी से सामान लाने की घटनाओं में कमी हुई है या नहीं । फिर भी, यदि सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा पकड़े गये माल को इस तर्क के आधार पर इस बात का सूचक माना जा सके कि पकड़े गये सामान के परिमाण का अवैध माल के यातायात के परिमाण से निकट सम्बन्ध होता है, तो यह प्रतीत होगा कि १९५७ की अपेक्षा १९५८ में चोरी से माल लाने की घटनाओं में काफी कमी हो गयी है । जहां तक सोने का संबंध है, यह कहा जा सकता है कि जब कि १९५७ में पकड़े गये सोने की कीमत २.१३ करोड़ रुपये थी, १९५८ में यह संख्या केवल १.०६ करोड़ रुपये रह गयी अर्थात् पिछले वर्ष की अपेक्षा इस में ५० प्रतिशत की कमी हो गयी है ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया :** १.०६ करोड़ रुपयों के इस माल में से कितना विमानों द्वारा, कितना स्थल मार्ग से और कितना जल मार्ग से लाया जा रहा था ?

†**श्री ब० रा० भगत :** मैं अलग अलग कलेक्टरेट के आंकड़े बता सकता हूं ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या यह सच है कि पाकिस्तान में सैनिक शासन की स्थापना के बाद से उस देश से चोरी से आने वाले सोने में कमी हो गयी है । क्या सरकार तस्कर व्यापार को रोकने के लिये विहित उपायों के अलावा कुछ विशेष कार्यवाही भी करेगी ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** यह कहने से कि तस्कर व्यापार सैनिक शासन के कारण बन्द हुआ है, क्या उनका प्रयोजन यह है कि ऐसा ही कुछ कार्य यहां भी होना चाहिये ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् :** पिछले वर्ष कितने मुक़दमे चलाये गये ?

†**श्री ब० रा० भगत :** इस के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या पकड़े गये सोने की कीमत अन्तर्राष्ट्रीय बाजार भाव के आधार पर आंकी गयी है या अपने देश में प्रचलित भावों के आधार पर ? इसका परिमाण कितना है ?

†**श्री ब० रा० भगत :** कीमत देश के भावों के आधार पर कूती जाती है ।

†**श्री हेम बरुआ :** तस्कर व्यापार संबंधी कार्यों को कम कराने में सरकारी कार्यवाही का कितना हाथ है और तस्कर व्यापारियों द्वारा अधिक प्रभावशाली कार्यप्रणाली अपनाये जाने का इस पर कितना प्रभाव पड़ा है ? क्या इस बाद वाले पहलू के संबंध में कोई जांच की गई है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** यह बताना कठिन है ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़ :** सोने का तस्कर व्यापार रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ब० रा० भगत** : सीमा पर निगरानी को सख्त बनाने के लिये हम जो कार्यवाही करते हैं वह हम समय समय पर बताते रहते हैं।

†**श्री आचार** : मंत्री महोदय ने सोने के तस्कर व्यपार के आंकड़े दिये हैं ? अन्य अवैध वस्तुओं, विशेष रूप से घड़ियों के संबंध में क्या स्थिति है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : इसका उत्तर तो आरम्भ में ही दे दिया गया था।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : तस्कर व्यापार के इन मामलों में कितने विदेशियों का हाथ है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : यों ही बताना तो मुश्किल है लेकिन विदेशियों की संख्या काफ़ी है।

श्री अ० मु० तारिक : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हुकूमत के पास इस तरह की शिकायतें आई हैं कि हवाई कम्पनियों—चाहें वे ग़ैरमुल्की हों या मुल्की—के स्टाफ़ और आफ़िसर्ज़ स्मगलिंग में हिस्सा लेते हैं ?

†**श्री ब० रा० भगत** : आम तौर पर तो शिकायतें नहीं आईं, लेकिन अगर खास खास शिकायतें आती हैं, तो उनकी छान बीन की जाती है। अगर माननीय सदस्य के पास कोई सूचना हो, तो उस पर विचार किया जायगा।

†**श्री प्रभात कार** : इस पकड़े गये सोने का क्या उपयोग किया जाता है ? सरकार इसे बाजार में बेच देती है या ऋण चुकाने में इसका उपयोग किया जाता है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : इसे रिजर्व बैंक के पास भेज दिया जाता है और वह इसे निबटारा होने तक के लिये खाते डाल रखती है।

रेल भाड़ा वसूल करने में अनियमितता

†*१७७६. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या गृह-कार्य मंत्री ५ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १०१४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल भाड़ा वसूल करने में अनियमितता के बारे में विशेष पुलिस संस्थापन का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो गया और उस पर विचार कर लिया गया है ; और

(ख) क्या इस संबंध में कोई मुक़दमा चलाया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)**: (क) और (ख). विशेष पुलिस संस्थापन अब भी इस मामले की जांच कर रहा है।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या इस बात का अनुमान लगाया गया है कि सामान्य से कम भाड़ा वसूल करने से कितनी राशि का फर्क पड़ा है ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : इन माल डिब्बों में निर्धारित सीमा से अधिक माल लादा गया था और निर्धारित से कम भाड़ा वसूल किया गया था। इसलिये और भी जांच करने के लिये काफी गुंजाइश है। इस मामले में कहीं कुछ ग़बन अवश्य हुआ लेकिन ब्यौरे का अभी हिसाब लगाना है।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या इस मामले में फंसे ठेकेदार को मुअत्तल कर दिया गया है या उससे काम ले लिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री गो० ब० पन्त : मेरा संबंध उस ठेकेदार से नहीं पुलिस वाले मामले से है। और उस में जांच हो रही है । मुझे पता नहीं कि वह ठेकेदार अब भी काम कर रहा है या उसका ठेका रद्द कर दिया गया है ।

उड़ीसा का राज्य संग्रहालय

†*१७७८. श्री पाणिग्रही : क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री २६ फरवरी, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६२३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के राज्य संग्रहालय के निमित्त वित्तीय सहायता के लिये राज्य सरकार से जो आवेदन प्राप्त हुआ था क्या तब से उस पर विचार कर लिया गया है ; और

(ख) क्या उस संग्रहालय को कुछ वित्तीय सहायता दी जाने वाली है ?

†वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) और (ख). जी हां। १९५८-५९ में १ लाख रुपये का अनुदान मंजूर किया गया था।

†श्री पाणिग्रही : क्या राज्य सरकार से इस संग्रहालय के लिये कोई योजना या प्राक्कलन देने के लिये कहा गया था ; यदि हां, तो राज्य सरकार ने क्या प्राक्कलन दिये हैं ?

†श्री हुमायून कबिर : उन्होंने एक भवन के निर्माण का प्रस्ताव किया था। इसकी लागत ९ लाख रुपये कूती गयी थी और अब उनके प्राक्कलन बढ़कर १५ लाख रुपयों तक पहुंच गये हैं। हमने तदर्थ आधार पर १ लाख रुपये का अनुदान दिया है ।

†श्री पाणिग्रही : क्या तदर्थ आधार पर दिये गये १ लाख रुपये के इस अनुदान में कुछ वृद्धि होने की कोई संभावना है ?

†श्री हुमायून् कबिर : हम तदर्थ आधार पर १ लाख रुपये मंजूर कर चुके हैं। भविष्य में मौका आने पर हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे।

†श्री पाणिग्रही : विभिन्न संग्रहालयों को देने के लिये इस मंत्रालय के पास कुल कितनी राशि शेष रही थी और किन-किन संग्रहालयों को यह अनुदान मिला है ?

†श्री हुमायून् कबिर : इस समय हमारे पास देश भर के सभी संग्रहालयों के लिये केवल लगभग ५० लाख रुपये का उपबन्ध है। हम ने विभिन्न राजकीय संग्रहालयों और अन्य संग्रहालयों से उनकी जरूरत पूछी है। १९५८-५९ में हम ने कलकत्ते के भारतीय संग्रहालय के सुधार के लिये अनुदान दिये हैं। हमने प्रतिवेदन मांगे हैं जिन पर संग्रहालय मंत्रणा परिषद् की अगली बैठक में विचार किया जायेगा ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि इन अजायबघरों को जो सहायता दी जाती है उस के लिए क्या कोई सिद्धांत तै किये गये हैं या कोई निश्चय किये गये हैं कि उन आधारों पर यह दी जायेगी ?

श्री हुमायून् कबिर : इस के बारे में जरूर सिद्धान्त हैं। जो हमारा एडवायज़री बोर्ड है, उसने यह कहा है कि पहले तो हमें इक्विपमेंट के लिए, रिसर्च के लिए, लैबोरेटरीज़ के लिए, लाइब्रेरीज़ के लिए, पब्लिकेशंस के लिए मदद देनी चाहिये। फिर बिल्डिंग्स के लिए भी कभी कभी सहायता दी जा सकती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विश्वविद्यालयों में 'गांधी भवन

+

†*१७७९. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्री शिवनंजप्पा :

क्या शिक्षा मंत्री २ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ४८८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न विश्वविद्यालयों में 'गांधी भवनों' की स्थापना में और कितनी प्रगति हुई है;

(ख) अब तक किन-किन विश्वविद्यालयों में इनकी स्थापना हो चुकी है ; और

(ग) ये 'भवन' किस प्रकार के हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख). ९ दिसम्बर, १९५८ को गांधी स्मारक निधि और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक में गांधी भवनों की इमारतों के रेखांकित नक्शों पर विचार किया गया था और स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाने और स्थान का और भी बचत पूर्ण ढंग से उपयोग करने की दृष्टि से उनके नमूने में कुछ परिवर्तन कर दिया गया था । वास्तु शिल्पियों से अंतिम रूप से पुनरीक्षित डिज़ायन आ गये हैं ? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सभापति ने दिल्ली विश्वविद्यालय के उप-कुलपति से भी भवन के डिज़ायन के बारे में चर्चा की उसके निर्माण के लिये अस्थायी रूप से स्थान का चुनाव भी कर लिया गया है । जिन ६ और विश्वविद्यालयों ने यह योजना सिद्धांत रूप में स्वीकार कर ली है उनके भवनों के डिज़ायनों के बारे में आयोग संबन्धित विश्वविद्यालय से चर्चा कर लेगा ।

(ग) इन भवनों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यही है कि विश्वविद्यालय के क्षेत्र में एक ऐसा उपयुक्त स्थान बन जाय जहां गांधी-साहित्य रखा जा सके, जहां महात्मा गांधी के जीवन, आदर्शों और कार्यों के बारे मे अध्ययन-कक्षाये चलायी जा सकें, इन विषयों पर भाषणों का आयोजन हो सके, विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय क्षेत्र के भीतर या निकट ही रहते हुये ऐसे रचनात्मक कार्य करने के लिये प्रोत्साहित किया जा सके जो महात्मा गांधी के बताये हुये विचारों और तरीकों को प्रतिबिम्बित करते हों ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** विवरण से पता चलता है कि ६ विश्वविद्यालयों में ऐसे भवनों की स्थापना का उपबन्ध किया गया है । क्या मंत्रालय का इरादा भारत के सभी विश्वविद्यालयों में ऐसे भवनों की स्थापना करने का है, और यदि हां, तो भारत के सभी विश्वविद्यालयों में इन भवनों की स्थापना करने में कितना समय लग जायेगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** पहली बार में ६ या ७ विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही है । आगे चल कर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अन्य विश्वविद्यालयों में भी इन भवनों की स्थापना करा सकता है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या केवल इन भवनों की इमारतों के लिये ही अनुदान दिये जायेंगे या इनके रख-रखाव के लिये भी अनुदान दिये जायेंगे ; और यदि हां, तो यह अनुदान कितना होगा ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : ५०,००० रुपये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दे रहा है और ५०,००० रुपये गांधी निधि में से दिये जायेंगे । वे दोनों ही इसका खर्च उठा रहे हैं । इनकी स्थापना तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता से की जा रही है लेकिन बाद में विश्वविद्यालय स्वयं इनकी देख-रेख करेंगे ।

†श्री दी० चं० शर्मा : क्या ऐसा गांधी-साहित्य निकालने का प्रयास किया जा रहा है जो भारत और अन्य देशों में छात्रों के लिये उपयोगी सिद्ध हो सके ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : साहित्य तो काफी है, और हाल ही में गांधी जी के विचारों के बारे में यूनेस्को ने एक पुस्तक निकाली है । यह बड़ी बहुमूल्य किताब है और मुझे आशा है कि न केवल भारत में वरन् विश्वभर में यह बड़ी लोकप्रिय होगी ।

†श्री हेम बरुआ : क्या इन भवनों के तत्वावधान में विश्वविद्यालयों में गांधी जी के जीवन और दर्शन के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा व्याख्यान-माला चलाने का कोई कार्यक्रम है, और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : मुख्य प्रश्न से यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†श्री जाधव : किन-कन विश्वविद्यालयों ने इस योजना को स्वीकार कर लिया है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : इस योजना को इन-इन विश्वविद्यालयों ने स्वीकार कर लिया है :— इलाहाबाद, दिल्ली, केरल, नागपुर, पंजाब, पटना और राजस्थान ।

समाज कल्याण परियोजना दल का प्रतिवेदन

†

†*१७८१. { श्री भक्त दर्शन :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री जीन चन्द्रन् : }

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के सर्वछादी उद्धार का मूल्यांकन करने के लिये योजना की परियोजनाओं सम्बन्धी समिति ने जो समाज कल्याण परियोजना दल नियुक्त किया था क्या उसका प्रतिवेदन सरकार को दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रतिवेदन कब दिया गया था ; और

(ग) क्या इस प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायगी ?

†वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) से (ग)। इस दल का प्रतिवेदन मई, १९५९ के अन्त तक आने की आशा है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस समिति को अपना कार्य समाप्त करने के लिये कितना समय दिया गया था और क्या वह उस प्रोग्राम के अनुसार अपना कार्य कर रही है ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : इस समिति का जो निर्धारित समय था वह ३०-४-१९५९ को खत्म हो जाता है । पर जैसा मैंने अभी बताया है इस प्रश्न के उत्तर में कि यह समिति अपनी रिपोर्ट करीब करीब मई के अन्त में दे देगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन, क्या यह बतलाया जा सकता है कि अब तक इस समिति ने किन-किन राज्यों का या किन-किन जगहों का दौरा किया है और अपने कार्य में कहां तक प्रगति की है ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : इस कमेटी ने करीब करीब सभी राज्यों का दौरा किया है और जितने ये सोशल वैलफेयर एडवाइज़री बोर्ड राज्यों में हैं, उनसे बातचीत की है। बाकी जो हरिजन वलफेयर बोर्ड हैं, एडवाइज़री बोर्ड हैं उनसे बात की है। जो वोलंटरी वर्कर्स हैं या जो बेनिफिशरीज़ ह, जो फायदा उठाने वाले हैं, उन सभी से इस समिति ने बातचीत की है। इससे रिसर्च यूनिट के द्वारा भी जांच पड़ताल करने की कोशिश की है। अब यह अपनी आखरी रिपोर्ट तैयार कर रही है।

श्री पहाड़िया : मैं जानना चाहता हूं कि इस समिति ने क्या रिज़र्वेशन के सवाल पर भी विचार किया है ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : इस समिति ने वैसे रिज़र्वेशन के सावल पर विचार नहीं किया है पर इस समिति का जो पूरा प्रोग्राम है, उसमें हरिजन वैलफेयर का भी प्रोग्राम आता है और यह इस समिति के ऊपर है कि किस तरह को सिफारिशें वह करती है, उनके उत्थान के बारे में।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़ :** क्या सरकार प्रतिवेदन की उन विशेषताओं पर प्रकाश डाल सकती है जिनसे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उद्धार में मदद मिलती है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** यह बड़ा व्यापक प्रश्न है और इसमें इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता।

युवकों के शिविर और श्रम-सेवा सम्बन्धी समिति

†*१७८३. **श्री अरविन्द घोषाल :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युवकों के शिविरों और श्रम-सेवा के सम्बन्ध में कोई समिति बनायी गयी है; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रयोजन से ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार को (१) छात्रों और अन्य युवा व्यक्तियों के लिये श्रम और समाज सेवा शिविरों और (२) शिक्षा संस्थाओं में कैम्पस[1]-कार्य परियोजनाओं सम्बन्धी योजनाओं को क्रियान्वित करने के बारे में परामर्श देने के लिये इस समिति की स्थापना मई, १९५४ में की गयी थी।

†**श्री अरविन्द घोषाल :** यह कार्य किन-किन संगठनों को सौंपा जाता है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** जहां तक कैम्पस कार्य परियोजनाओं का सम्बन्ध है, इन्हें मुख्यतः शिक्षा संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, कालेजों और स्कूलों की मार्फत किया जाता है। जहां तक शिविरों का सम्बन्ध है, वे विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों तथा भारत सेवक समाज की तरह के अखिल भारतीय संगठनों की मार्फत आयोजित किये जाते हैं।

†**श्री अरविन्द घोषाल :** क्या अखिल भारतीय युवक संगठनों को इन युवक शिविरों में भाग लेने के लिये आमंत्रित किया जायगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** आमतौर पर इन युवक-शिविरों का आयोजन राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों की मार्फत कया जाता है। मैं बता चुका हूं कि कुछ अखिल भारतीय संगठन

†मूल अंग्रेजी में
[1]Campus

भी इस कार्यक्रम मे भाग लेते हैं। यदि ऐसा कोई अखिल भारतीय संगठन माननीय सदस्य की निगाह में हो तो मैं निश्चय ही उसके बारे में विचार करूंगा।

†श्री हेम बरुग्रा : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि १ अप्रैल से दिसम्बर, १९५९ तक की अवधि में ३९.७८ लाख रुपये इन श्रम तथा समाज-सेवा शिविरों को आवंटित किये गये थे, क्या इन आदर्शों के प्रसार में उपयोग की गई सेवाओं का मूल्यांकन किया गया है और यह पता लगाया गया है कि उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : हमारी जानकारी के अनुसार ये शिविर सफल रहे हैं। कभी कभी हमें प्रतिकूल सूचनायें भी मिलती हैं लेकिन सामान्यतया उन्होंने देश के युवा लोगों को उत्साहित ही किया है।

†श्री जाधव : क्या इस प्रयोजन के लिये कांग्रेस सेवा दल और राष्ट्रीय सेवा दल जैसे संगठनों पर, जो रचनात्मक कार्यों में बड़ी दिलचस्पी लेते हैं, विश्वास किया गया है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : अलग अलग संगठनों के बारे में तो मैं नहीं बता सकता लेकिन यदि माननीय सदस्य सूचना दें तो मैं पता लगा सकता हूं।

स्टैण्डर्ड वैकुअम आयल कम्पनी के मुख्य परामर्शदाता द्वारा खम्भात[1] का दौरा

+

†*१७८४. { श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री खुशवक्त राय : }

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टैण्डर्ड वैकुअम आयल कम्पनी के मुख्य परामर्शदाता की हाल की खम्भात की यात्रा किस प्रकार की थी और उसका क्या परिणाम निकला है; और

(ख) क्या भारत सरकार ने 'स्टैनवैक' को आमंत्रित किया था ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). श्री वाल्टर, जे० लेवी को, जो कई तेल कम्पनियों और सरकारों के सलाहकार का काम करते हैं, तेल सम्बन्धी विभिन्न मसलों के बारे में सामान्य परामर्श देने के लिये लगभग तीन सप्ताह के लिये भारत आने को आमंत्रित किया गया था। श्री लेवी को स्टैनवैक की मार्फत आमंत्रित करने का कोई प्रश्न ही नहीं था क्योंकि उनका दावा था कि वह स्वतंत्र परामर्शदाता के रूप में काम करते हैं। उन्होंने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, मंत्रालय और तेल-कम्पनियों से काफी लम्बी वार्ता की और खम्भात में उस स्थान पर भी गये जहां छिद्रण हो रहा है और वे बम्बई के तेल-शोधक कारखाने में भी गये। उनके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

श्री रघुनाथ सिंह : जो साहब आये थे वह सौराष्ट्र में क्या गये थे और वहां काम को देखा ? क्या उन्होंने कोई एन्क्वायरी की या सर्वे की तेल के सम्बन्ध में ?

सरदार स्वर्ण सिंह : जी हां, मैंने कहा कि वह कैम्बे गये थे और वहां जो ड्रिलिंग का काम हो रहा है उसे उन्होंने देखा। सर्वे का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सर्वे तो हमारे आयल ऐंड नैचुरल गैस कमिशन की पार्टी पहले ही कर चुकी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Cambay.

भू-परिमाप सम्बन्धी दर्शन यंत्र

+

†*१७८५. { **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री वारियर :
श्री भक्त दर्शन : }

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग १९ लाख रुपयों की कीमत के भू-परिमाप सम्बन्धी शुद्धि दर्शन यंत्र[1] जो कि विदेशों से मंगवाये गये थे, गत एक वर्ष से देहरादून में भारतीय भू-परिमाप विभाग के गोदामों में बन्द पेटियों में पड़े हुये हैं और उन्हें अभी तक खोला भी नहीं गया है; और

(ख) यदि हां, तो उन यंत्रों को खराब हो जाने से बचाने के लिये क्या क्या उपाय किये गये हैं ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) भारत-अमरीकी प्रविधिक सहयोग कार्यक्रम के अधीन २९-७-५८ और १२-११-५८ के बीच प्राप्त हुये शुद्ध दर्शन यंत्रों की कुछ एक पेटियां अभी तक नहीं खोली गयी हैं, क्यों कि जिन वायु-अनुकूलित कमरों में उन्हें लगाना है, वे अभी तक तैयार नहीं हुये हैं।

(ख) इन यंत्रों के नाजुक भागों को संभरणकर्ताओं ने लकड़ी की पेटियों में बन्द करने से पहले बड़ी सावधानी से सील कर दिया था। अब वे पेटियां पक्के गोदामों में रखी हुई हैं। सावधानी की दृष्टि से अधिक नाजुक और बहुमूल्य भागों की पेटियों को वायु-अनुकूलित कमरों में रख दिया गया है। यह देखने के लिये कि वे टूट फूट न जायें, उनका समय समय पर निरीक्षण किया जाता रहता है।

†**श्री स० म० बनर्जी :** क्या इन यंत्रों को रखने के लिये कोई विशेष गोदाम बनावाया जा रहा है ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** वे यंत्र पक्के गोदामों में रखे गये हैं। हमने लोक निर्माण विभाग से कह दिया है कि इनके लिय शीघ्रातिशीघ्र गोदाम बनवा दिया जाये और उसने आश्वासन दिया है कि सभी प्रकार की औपचारिकताओं को छोड़ कर वे शीघ्र ही निर्माण-कार्य प्रारम्भ कर देंगे।

श्री भक्त दर्शन : मैं यह जानना चाहता हूं कि जब इन यंत्रों के लिये वातानुकूलित मकान नहीं बना था, तब उनको पहले ही क्यों मंगा लिया गया?

†**श्री हुमायून् कबिर :** पहले नहीं मंगाया गया था। जून, १९५७ में कहा गया था कि यह मकान बनने चाहिये और मशीन आई जुलाई, १९५८ में। एअर कंडिशनिंग प्लान्ट मिलने में कुछ मुश्किल आई। पहले खयाल था कि मुल्क में वह मिल जायेगा, लेकिन मुल्क में वह नहीं मिला इस लिये दिक्कत हुई। पर जैसा मैंने बताया कि सी० पी० डब्ल्यू० डी० इस बारे में जरूरी कार्रवाई जल्दी कर रही है।

†**श्री तिरुमलराव :** क्या सरकार को इस बात का संतोष है कि ये पेटियां जो कि वायु-अनुकूलित कमरों में न रख कर साधारण से गोदामों में इतने लम्बे अरसे से पड़ी है, खराब नहीं हो रही हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Survey Precision Optical Instruments.

†**श्री हुमायून् कबिर** : मैंने तो पहले ही बता दिया है कि मुझे इस बात से संतोष नहीं है और इसीलिये हम हर संभव कार्यवाही कर रहे हैं ।

श्री भक्त दर्शन : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सी० पी० डब्ल्यु० डी० ने कोई अन्दाजा लगाया है कि देर से देर कब तक यह मकान बन जायेगा क्योंकि मुझे जो रिपोर्ट मिली है उसके अनुसार एक वर्ष तक यह व्यवस्था नहीं की जा सकेगी ।

श्री हुमायून् कबिर : उन्होंने बताया है कि हम फौरन बनायेंगे इस मकान को। जो गोडाउन फार्मेलिटीज होती हैं उन का इन्तजार न कर के काम को शुरू कर देंगे ।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह सत्य है कि जो यह यंत्र लगाये गये हैं, कोई भी भारतीय इंजीनियर उन का जानकार अभी तक उपलब्ध नहीं है और इस लिये उन का उपयोग नहीं किया जा रहा है ? क्या किसी भारतीय इंजीनियर को इस के लिये प्रशिक्षित किया जा रहा है या किसी विदेशी इंजीनियर को इस के लिये मंगाया जा रहा है ?

श्री हुमायून् कबिर : यह बात शायद पूरी तरह से सत्य नहीं है। जो सामान मंगाया गया उस में कुछ हिस्सा अभी भी इस्तेमाल हो रहा है। कोई २३ लाख रु० कीमत के सामान का इस्तेमाल शुरू हो गया है और करीब १६ लाख रु० कीमत का सामान अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ ।

रामानुजम् गणित संस्था,[1] मद्रास

\+

†*१७८७. **श्री ही० ना० मुकर्जी** :
श्री अय्याकण्णु :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यह निर्णय किया गया है कि रामानुजम् गणित संस्था, मद्रास, को समाप्त कर दिया जाये और उसके स्थान पर मद्रास विश्वविद्यालय में एक रामानुजम् प्रोफेसर का पद कायम किया जाये ; और

(ख) उसके क्या कारण हैं ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) और (ख) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

अशोक धर्मार्थ न्यास ने जनवरी, १९५० में रामानुजम् गणित संस्था प्रारम्भ की थी । उस न्यास के मार्ग में वित्तीय कठिनाइयों के आने पर १९५३-५४ में भारत सरकार ने संस्था के गणित के अध्यक्ष पर आने वाले खर्च को वहन करना स्वीकार कर लिया, परन्तु शर्त यह थी कि संस्था अपने कार्यों पर उतनी ही राशि खर्च करती रहेगी जितनी पहले किया करती थी । १९५३-५४ और १९५४-५५ के वर्षों के लिये प्रतिवर्ष १८,००० रुपयों के अनुदान दिये गये थे । परन्तु संस्था के खातों का लेखा परीक्षण करने के उपरान्त यह ज्ञात हुआ कि न्यास अपनी शर्तों को पूरी नहीं कर रहा है और उसने उस धन से एक रक्षित निधि सी तैयार कर ली थी । इसलिये १९५५-५६ में कोई अनुदान नहीं दिया गया । १९५६ के अन्त में न्यास ने संस्था को बन्द कर देने का निर्णय कर दिया । परन्तु उसी समय न्यास के संस्थापन और मद्रास विश्वविद्यालय के उप कुलपति ने भारत

†मूल अंग्रेजी में

[1]Ramanujam Institute of Mathematics.

सरकार से बातचीत चलायी और इसके परिणामस्वरूप यह निर्णय किया गया कि उपयुक्त योग्यता के बहुत कम उपलब्ध प्रोफेसरों से संस्था को चलाने में कठिनाई होने के कारण मद्रास विश्वविद्यालय के गणित विभाग के अन्तर्गत ही वह संस्था अपना काम करती रहे। यह निर्णय किया गया है कि १०००-१५०० रुपयों के वेतन क्रम पर एक रामानुजम् प्रोफेसर का पद कायम किया जाये और संस्था के वर्तमान स्थायी रिसर्च स्टाफ़ को उक्त प्रोफेसर के साथ सम्बद्ध कर दिया जाये। इसके लिये अनुदान देने के सम्बन्ध में जब तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कोई मंजूरी नहीं दे देता तब तक भारत सरकार इस व्यवस्था के लिये सहायता देती रहेगी।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : भास्कराचार्य के बाद देश के महानतम् गणितज्ञ का राष्ट्रीय स्मारक स्थापित करने की वांछनीयता को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार इस गणित संस्था को कायम रखने के सम्बन्ध में गंभीरता से विचार करेगी क्योंकि हो सकता है कि कोई वैकल्पिक प्रबन्ध उसी के समान संतोषजनक न हो ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : मैं ने विवरण में इस पर अच्छी प्रकार से प्रकाश डाला है। मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य ने विवरण पढ़ा नहीं है।

†**श्री पी० रा० रामकृष्णन** : विवरण में यह बताया गया है कि अनुदान के रूप में केवल १८,००० रुपये दिये गये थे। उस न्यास को अत्यधिक वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। क्या उस न्यास ने अनुदान के रूप में केवल इतनी ही राशि मांगी थी ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : यह एक गैर-सरकारी न्यास था जो कि एक महान योजना को लेकर प्रारम्भ किया गया था, परन्तु उनके पास धन या उपकरण पर्याप्त मात्रा में नहीं थे। उन्होंने हमसे जब सहायता मांगी तो हमने १८,००० रुपये प्रतिवर्ष अनुदान देना प्रारम्भ कर दिया। परन्तु नयी व्यवस्था के अनुसार अब वह संस्था मद्रास विश्वविद्यालय का अंग बन गयी है और उन्हें यह आश्वासन दिया गया है कि इस संस्था के एक प्रोफसर और सभी गवेषणा कार्यकर्ता अब भी पहले के समान ही काम करते रहेंगे। जब उनका कार्य बढ़ जायेगा और उसमें अधिक लोग काम करने लगेंगे तो उसके लिये एक अलग संस्था बनाने के प्रश्न पर फिर से विचार किया जा सकेगा।

†**श्री पी० रा० रामकृष्णन्** : संस्था द्वारा कितनी राशि मांगी गयी थी और उसे वास्तव में कितनी राशि दी गई है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : मांगी गयी राशि के बारे में जानकारी देने के लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है।

†**श्री तिरुमलराव** : क्या माननीय मंत्री का ध्यान हाल ही में मद्रास में प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये इस बयान की ओर आकृष्ट किया गया है कि सरकार का यह कर्तव्य है कि वह स्वर्गीय रामानुजम् की स्मृति को कायम रखे और उनके नाम पर चलने वाली संस्था की पूरी पूरी सहायता की जा जाये ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : जी, हां। प्रधान मंत्री की उस घोषणा के अनुसरण में अब सरकार श्री रामानुजम् की स्मृति गो कायम रखने का प्रयत्न करेगी। इसी लिये तो विश्वविद्यालय में एक रामानुजम् प्रोफेसर के पद को कायम कर दिया गया है। बिना सामग्री और उपकरणों के संस्था स्थापित करने का कोई लाभ नहीं है।

†मूल अंग्रेजी में

†श्री पी० रा० रामकृष्णन् : इस संस्था को समाप्त करके उसके स्थान पर विश्वविद्यालय में केवल एक प्रोफेसर का पद कायम कर देने से गवेषणा का सारा महत्व ही समाप्त हो जायेगा। उससे संस्था का मुख्य उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार उस संस्था को कायम रखने के प्रश्न पर गंभीरता से विचार करेगी और उसका खर्च वहन करने के प्रश्न पर भी विचार करेगी ?

†उपाध्यक्ष महोदय : यह तो तर्क और सुझाव प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

†श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि बहुत से रामानुजम् पेपरों और समस्याओं को हल करना शेष रह गया है, क्या सरकार उस संस्था को दिल्ली में चलाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

†श्री हुमायून् कबिर : मैंने विवरण में स्पष्ट कर दिया है कि उसे बन्द करने का मुख्य कारण यह था कि उसमें पर्याप्त संख्या में योग्य व्यक्ति नहीं थे। एक राष्ट्रीय संस्था स्थापित करने के लिये पर्याप्त संख्या में प्रतिष्ठित गणितज्ञों का होना आवश्यक है। उस संस्था में उन का अभाव है, इसी लिये हमने यही अच्छा समझा कि गवेषणा का यह कार्य विश्वविद्यालय में ही किया जाये और वर्तमान गवेषणा-कार्यकर्ताओं को उसमें ले लिया जाये। प्रोफेसर का काम करने के लिये हम एक लब्ध प्रतिष्ठ गणितज्ञ की खोज में हैं। जिन भी पत्रों को छपवाना हुआ, उन्हें छपवाने में हम पूरी पूरी सहायता करेंगे।

†श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : क्या यह सच नहीं है कि इसके लिये मद्रास राज्य या किसी भी राज्य में गणित की कोई भी 'चेयर' (प्रोफेसर पद) नहीं है और क्या इस बात को ध्यान में रखते हुये सरकार इस संस्था को कायम रखने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

†श्री हुमायून् कबिर : मैंने पहले ही बता दिया है कि हमने 'चेयर' (प्रोफेसर पद) स्थापित करने की जिम्मेवारी स्वीकार कर ली है। परन्तु उसे एक अलग संस्था के रूप में चलाना अभी संभव नहीं है।

दिल्ली पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज करने में विलम्ब

+

†*१७८८. { श्री स० म० बनर्जी :
श्री जगदीश अवस्थी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जैसा कि 'टाइम्स आफ इण्डिया' दिनांक २१ मार्च, १९५९ में खबर आयी थी, एक महिला को अपने खोये हुये पुत्र के सम्बन्ध में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिये ९ घण्टों तक प्रयत्न करना पड़ा था और दिल्ली के लगभग आधा दर्जन थानों के चक्कर काटने पड़े थे;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ; और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में इस प्रकार के बिलम्ब की रोक-थाम करने के लिये क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त): (क) और (ख). रिपोर्ट लिखने में कोई अनावश्यक देर नहीं लगी, परन्तु उस पर कार्यवाही करने में कुछ समय अवश्य लगा क्योंकि यह तय नहीं हो पाया कि मामला किस थाने के क्षेत्राधिकार के अधीन आता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) (१) रिपोर्ट पर एक दम कार्यवाही न करने के कारण सम्बद्ध पुलिस अफसरों पर चार्ज शीट लगा दी गई है ।

(२) इस सम्बन्ध में हिदायतें भी जारी कर दी गयी है कि पुलिस स्टेशनों पर दर्ज की गई रिपोर्टों पर कार्यवाही करने में देर न लगायी जाये ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिये कुछ राशि अदा करनी पड़ती है: और यदि हां तो, दिल्ली के लोगों को इस भ्रष्टाचार से बचाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : प्रश्न में तो यह बात नहीं बतायी गई है कि रिपोर्ट लिखवाने वाले व्यक्ति से पुलिस ने कुछ धन मांगा था ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : मुझे तो यह जानकारी प्राप्त हुई है कि पुलिस ने मामले को उचित प्रकार से दर्ज नहीं किया था और उसका कारण यह था कि वह गरीब औरत पुलिस को कुछ रुपया अदा नहीं कर सकी थी ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : परन्तु प्रश्न में तो इसका उल्लेख नहीं किया गया है । उसमें तो केवल रिपोर्ट लिखने में विलम्ब का ही उल्लेख है । उसका उत्तर दे दिया गया है कि रिपोर्ट लिखने में कोई अनावश्यक देरी नहीं लगी थी । केवल कार्यवाही करने में कुछ देरी हो गई थी और भविष्य में विलम्ब को दूर करने के लिये उपयुक्त कार्यवाही भी की जा चुकी है ।

†**श्री गो० ब० पन्त** : यह बात ज्यों ही मेरे ध्यान में लाई गई, मैंने तुरन्त ही डी० आई० जी० की सलाह से उचित कार्यवाही की । हां, मैं यह मानता हूं कि यह एक खेद पूर्ण घटना है ।

†**श्री सूपकार** : परन्तु उत्तर में तो यह कहा गया है कि रिपोर्ट लिखने में कोई देर नहीं लगी ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : "अनावश्यक देर" ।

†**श्री सूपकार** : क्या उस रिपोर्ट को पहले ही पुलिस थाने में दर्ज कर लिया गया था ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : जी हां । वह महिला आधी रात के समय रिपोर्ट लिखवाने के लिये गयी थी और आधे घण्टे में ही रिपोर्ट दर्ज कर ली गई थी ।

श्री वाजपेयी : क्या यह सच है कि सभी पुलिस स्टेशनों को यह आदेश दिया गया है कि शिकायत करने वाला किसी भी क्षेत्र का हो जो भी शिकायत दर्ज करने के लिये पुलिस स्टेशन में आये उसकी शिकायत को दर्ज कर लिया जाये ?

उपाध्यक्ष महोदय : यही तो उन्होंने अपने जवाब में कहा है ।

पंडित गो० ब० पन्त : उनसे खाली शिकायतें दर्ज करने के लिये ही नहीं कहा गया है बल्कि यह भी कि वे फ़ौरन उन के बारे में ज़रूरी कार्यवाही भी शुरू कर दें और फिर जिस पुलिस स्टेशन का वह मामला हो उसको इत्तिला दे दें मगर कार्यवाही रोकें नहीं ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या उस औरत के पुत्र के सम्बन्ध में कुछ पता लगा है ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : उस लड़के का शव तीन दिनों के उपरान्त नदी के किनारे पड़ा हुआ पाया गया वह प्रातः नहाने गया था और वहां डूब गया । उसकी रिपोर्ट आधी रात को लिखाई गई थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री ब्रजराज सिंह : क्या गृह मंत्रालय को तरफ से इस तरह की हिदायत जारी की गई है कि आम तौर से पुलिस वाले थाने में शिकायत दर्ज कराने वालों को महात्मा गांधी की लगी हुई तस्वीर दिखा कर कहते हैं कि देखो वह पांच उंगली दिखाला रहे हैं और इसलिये हम बिना ५ रुपये लिये रिपोर्ट दर्ज नहीं करेंगे, इस तरह की हरकत न करें और क्या इसके लिये कोई उचित व्यवस्था की जायगी जिससे कि भविष्य में इस तरह की चीज़ न हो ?

पंडित गो० ब० पन्त : हमारे सामने कोई इस क़िस्म को रिपोर्ट नहीं आई है और मैं समझता हूं कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं की जाती है।

आन्ध्र में लिग्नाइट के निक्षेप

†*१७६०. **श्री रामी रेड्डी** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश के कृष्णा और गोदावरी जिलों में लिग्नाइट के निक्षेप उपलब्ध हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस क्षेत्र का कोई सर्वेक्षण किया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) आन्ध्र प्रदेश के कृष्णा और गोदावरी जिलों में लिग्नाइट के निक्षेप पाये जाने के संबंध में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है ।

(ख) पूर्वी गोदावरी ज़िले के नियमित रूप से नकशे तैयार करने तथा खनिज सर्वेक्षण करने और कृष्णा जिले में पड़ने वाले कुडप्पा बेसिन के पूर्वी किनारे का परीक्षण करने का काम १९५८-५९ में भारत भूतत्वी सर्वेक्षण के क्षेत्रीय कार्यक्रम में सम्मिलित कर दिया गया था । आशा है कि यह काम अब १९५९-६० में भी जारी रखा जायेगा ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : भारतीय खान ब्यूरो उस क्षेत्र में निक्षेप ढूंढने के सम्बन्ध में कार्य कब तक प्रारम्भ कर देगा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मेरा खयाल है कि उस क्षेत्र में कोयला नहीं पाया जाता।

†**श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या आन्ध्र विश्वविद्यालय के भूतत्वी विभाग ने एक सर्वेक्षण किया है जिसके लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान भी दिया गया है और उसमें यह रिपोर्ट दी है कि उस क्षेत्र में लिग्नाइट पाया जाता है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : इस बारे में मुझे निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है कि क्या विश्वविद्यालय के उस विभाग को कोई केन्द्रीय अनुदान दिया गया था या नहीं । परन्तु मैंने स्वयं यह बता दिया है कि वहां पर लिग्नाइट पाया गया है। परन्तु इस सम्बन्ध में, इसी समय यह नहीं बताया जा सकता कि क्या वह लिग्नाइट निकाला जा सकता है या नहीं ।

आसाम आयल रिफाइनरी

†*१७६१. **श्री हेम बरुआ** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान आसाम के उद्योग मंत्री द्वारा हाल ही में आसाम विधान सभा में प्रस्थापित आसाम आयल रिफाइनरी (तेल शोधक कारखाने) के स्थान के सम्बन्ध में दिये गये बयान की ओर आकृष्ट किया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार आसाम सरकार द्वारा की गई सिफ़ारिश को दृष्टि में रखते हुये संसद में घोषित किये गये निर्णय में कुछ परिवर्तन करने का विचार रखती है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). वह कारखाना पहले से ही संसद में घोषित किये गये निर्णय के अनुसार गोहाटी--अमीनगांव में स्थापित किया जा रहा है ।

†**श्री हेम बरुआ** : सरकार ने गोहाटी--अमीनगांव के सम्बन्ध में फैसला करते समय किन किन प्रविधिक, आर्थिक और अन्य बातों को ध्यान में रखा था, क्यों कि रूमानियन विशेषज्ञों ने उस स्थान के बारे में सिफ़ारिश नहीं की थी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूं कि लगभग एक सप्ताह पहले इसी विषय पर चर्चा हुई थी और श्री मालवीय ने कारखाने को गोहाटी--अमीनगांव में स्थापित करने के कारणों पर प्रकाश डाला था ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या सरकार का ध्यान आसाम के उद्योग मंत्री द्वारा आसाम विधान सभा में दिये गये इस बयान की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें उन्होंने यह कहा था कि केन्द्रीय सरकार ने रोमानियन विशेषज्ञों की सिफ़ारिशों को अस्वीकार करते समय आसाम सरकार से परामर्श नहीं लिया था ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं माननीय सदस्य को सूचित कर देना चाहता हूं कि आसाम के उद्योग मंत्री कुछ ही दिन पहले यहां आये थे और वे गोहाटी--अमीनगांव क्षेत्र के निकट ब्रह्मपुत्र के दक्षिणी किनारे पर नूनमती नामक स्थान के सम्बन्ध में पूर्णरूपेण संतुष्ट थे ।

†**श्री हेम बरुआ** : इसमें एक भ्रांति है । सरकार द्वारा वास्तव में गोहाटी--अमीनगांव का स्थान चुना गया था । परन्तु अब स्थान बदल दिया गया है । गोहाटी--अमीनगांव क्षेत्र नदी के उत्तरी किनारे पर है और नूनमती दक्षिणी किनारे पर है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री ने बताया है कि आसाम के उद्योग मंत्री यहां पर आये थे और वे उस स्थान से पूर्णरूपेण सहमत हैं ।

†**श्री हेम बरुआ** : अब तो नूनमती नामक स्थान चुना गया है । इस स्थान के बारे में उद्योग मंत्री भी सहमत हैं और मैं भी सहमत हूं । परन्तु माननीय मंत्री का कहना है कि कारखाने का स्थान गोहाटी--अमीनगांव होगा । इसलिये मैं कहता हूं कि इसमें कुछ भ्रम सा है ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : इसमें भ्रम का कोई प्रश्न नहीं । जिस स्थान के सम्बन्ध में मैंने बताया है, उससे माननीय सदस्य भी सहमत हैं और राज्य सरकार भी सहमत है । तो फिर भ्रांति कहां है ?

†**श्रीमती सफीदा अहमद**: क्या उस तेल कारखाने का काम चलाने के लिये पदाधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती अभी से प्रारम्भ कर दी गई है और क्या सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि अभ्यर्थियों का इन्टर्व्यू दिल्ली की बजाय गोहाटी में हो ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मेरा अनुमान है कि भर्ती प्रारम्भ कर दी गई होगी क्योंकि कर्मचारियों का वास्तविक चुनाव तेल शोधक कारखाने के प्रबन्धकों द्वारा किया जाता है। केन्द्रीय सरकार का उससे सीधा सम्बन्ध नहीं है। इसका निर्णय प्रबन्धक करेंगे कि क्या इन्टर्व्यू दिल्ली में हो या गोहाटी में हो।

†**श्री प्र० चं० बरुग्रा** : क्या ग्रासाम के मंत्री ने अपने बयान में केन्द्रीय मंत्री के इस बयान का निराकरण किया था कि तेल शोधक कारखानों में १९६१ में काम प्रारम्भ हो जायेगा।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मेरा नहीं खयाल कि उन्होंने वैसा कहा था। उन्होंने तो केवल यही कहा था कि कुछ बिलम्ब हो गया है। उन्होंने यह भी कहा था कि जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, उसके अनुसार कार्य प्रारम्भ करने में कुछ कठिनाई सी है। परन्तु फिर भी १९६१ तक कार्य प्रारम्भ कर देने के सम्बन्ध में पूरा पूरा प्रयत्न किया जायेगा।

†**श्री मुरारका** : उस तेल शोधक कारखाने के स्थान को बदलने पर कुल कितनी लागत आयेगी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं यह नहीं कह सकता क्योंकि न तो पहले स्थान के बारे में कोई प्राक्कलन तैयार किये गये थे और न ही दूसरे स्थान के बारे में तैयार किये गये हैं।

†**श्री हेम बरुग्रा** : क्या रूमानियन विशेषज्ञों की सिफारिश को ठुकरा देने के बाद सरकार ने दूसरे स्थान के चुनाव के लिये उन विशेषज्ञों को पुनः भारत में ग्रामन्त्रित किया था ? यदि हां, तो उनके भारत में दुबारा ग्राने पर कुल कितना खर्च ग्राया था ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : इसका उत्तर उस दिन एक दूसरे प्रश्न के उत्तर में दे दिया गया था।

दिल्ली में ग्रांधी के कारण नुकसान

†***१७९२. श्री प्र० चं० बरुग्रा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में २९ मार्च, १९५९ को जो ग्रांधी ग्राई थी, उससे क्या नुकसान हुग्रा था; और

(ख) पीड़ित लोगों की सहायता करने के लिये सरकार ने क्या क्या कार्यवाही की है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) पुराने किले में ५० मकानों की छत्त उड़ गई और १२० मकानों की छत्तों को नुकसान पहुंचा। उससे लगभग ५००० रुपये का नुकसान हुग्रा ९ व्यक्तियों को चोटें ग्रायी जिनमें दो को ग्रस्पताल पहुंचाना पड़ा।

(ख) उन्हें दी गई सहायता के बारे में ब्यौरा ८ ग्रप्रैल, १९५९ को पुनर्वास तथा ग्रल्प संख्यक कार्य मंत्री द्वारा ग्रल्प सूचना प्रश्न संख्या १९ के उत्तर में पहले ही दिया जा चुका है।

†**श्री प्र० चं० बरुग्रा** : क्या यह सच है कि उस तूफान के कारण सफदरजंग तथा पालम के हवाई ग्रड्डों पर खतरे की निशानी दिखाई गई थी और इसलिये जहाज़ वहां पर न उत्तर सके और उन्हें किन्ही और हवाई ग्रड्डों पर जा कर उतरना पड़ा ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : हो सकता है कि वैसा हुग्रा हो, परन्तु इस बारे में पता नहीं।

---

†मूल ग्रंग्रेजी में

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : सरकार ने भविष्य में होने वाले इस प्रकार की आंधियों से होनी वाली दुर्घटनाओं की रोक थाम करने के लिये क्या क्या कार्यवाही की है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह एक व्यापक प्रश्न है और इसका उत्तर यह मंत्रालय नहीं दे सकता ;

†**श्री स० म० बनर्जी** : मूल प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने बताया है कि तूफान से पुराने किले के लगभग ५० क्वार्टरों के छत्त उड़ गई थीं और उन्हें प्रतिकर के रूप में कुल ५००० रुपयों की राशि वितरित की गई है। क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि पुनर्वास मंत्रालय ने पुराने किले निवासियों के प्रति जिम्मेवारी छोड़ दी है ; और यदि हां तो क्या उनके पुनर्वास की जिम्मेवारी अब दिल्ली प्रशासन स्वयं ले लेगा ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : उन्हें पुराने किले में ही क्वार्टर देने का प्रस्ताव किया गया था और बहुत से लोग उन क्वार्टरों में चले भी गये हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : वे यह भी जानना चाहते हैं कि क्या दिल्ली प्रशासन उन लोगों के पुनर्वास की भी जिम्मेदारी ले लेगा। जिन पर इसका असर पड़ा है ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : प्रश्न का संबंध केवल मात्र इस आंधी से पीड़ित होने वाले व्यक्तियों से है और मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं कि जिन व्यक्तियों के मकानों की छतें उड़ गई थीं उन्हें दूसरे मकान दे दिये गये हैं। अतः उनके पुनर्वास का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री स० म० बनर्जी** : मेरा प्रश्न यह है कि पुराने किले के निवासियों को....

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्तुत प्रश्न का संबंध विस्थापित व्यक्तियों के सामान्य पुनर्वास से नहीं है। इसलिये इस प्रश्न का उत्तर यहां पर नहीं दिया जा सकता। आंधी से जिन लोगों को नुकसान पहुंचा उन्हें पुराने किले में ही दूसरे मकान दे दिये गये हैं।

†**श्री स० म० बनर्जी** : पुनर्वास मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में यह कहा था कि हमने उन्हें रहने के लिये स्थान दे दिये हैं, बस अब हमारी जिम्मेदारी समाप्त हो गयी है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह बात तो उन्होंने विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के संबंध में कही थी, आंधी से पीड़ित इन व्यक्तियों के संबंध में नहीं कही थी। अतः वह एक अलग प्रश्न है।

†**श्री वाजपेयी** : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि पुराने किले के मकानों की आयु लगभग समाप्त हो गयी है, सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है जिससे भविष्य में उनकी छत्तें भी न उड़ जायें ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न भी पुनर्वास मंत्रालय या दिल्ली सरकार से पूछा जाना चाहिये।

†**श्री वाजपेयी** : परन्तु पुनर्वास मंत्रालय के पश्चिमी विंग तो समाप्त किया जा रहा है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : पुनर्वास मंत्रालय पर होने वाली चर्चा के समय यह बात उठायी जा सकती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

पुलिस की हिरासत में एक तिब्बती की मृत्यु

+

†*१७६३. { **श्री वाजपेयी** :
श्री आसार :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में लिये गये एक तिब्बती राष्ट्रजन, की जब वह २९ मार्च, १९५९ को एक मजिस्ट्रेट के सामने लाया जा रहा था, गिर पड़ा, और उसकी वहीं पर मृत्यु हो गयी ;

(ख) यदि हां, तो उसे गिरफ्तार करने के क्या कारण थे ;

(ग) क्या हिरासत के दौरान उसे सभी प्रकार की उचित सुविधायें प्राप्त थीं ;

(घ) क्या उसकी मृत्यु की परिस्थितियों के बारे में कोई जांच की गयी है ; और

(ङ) यदि हां, तो उस जांच की उपपत्तियां क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) एक तिब्बती राष्ट्रजन जिसे २९ मार्च, १९५९ के प्रातः गिरफ्तार किया गया, उसी दिन कचहरी में ही मर गया था जबकि मजिस्ट्रेट उसके कागजों पर विचार कर रहा था ।

(ख) उसे मोर सराय दिल्ली के रेलवे क्वार्टरों के कुछ निवासियों द्वारा की गयी शिकायत पर गिरफ्तार किया गया था । उन लोगों ने स्वयं ही उसे पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया था ।

(ग) जी हां ।

(घ) और (ङ). एक मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की गयी थी और उस मृतक की आंतों को रसायनिक परीक्षण के लिये भेज दिया गया है । उसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

†**श्री वाजपेयी** : क्या यह सच है कि उस तिब्बती का दिमाग ठिकाने नहीं था और वह किसी व्यक्ति के मकान में चला गया था ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : जी, हां । वह किसी व्यक्ति के मकान से पकड़ा गया था । वह दीवार फांद कर मकान के अन्दर चला गया था और वहां के लोगों ने यह शिकायत की थी कि वह वहां चोरी करने के लिये आया था ।

श्री भक्त दर्शन : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह तिब्बती हाल की तिब्बत की घटनाओं के बाद में भारत आया था, या वर्षों पहले से भारत में रह रहा था ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : वह तो बेचारा है नहीं ।

श्री भक्त दर्शन : मैं यह जानना चाहता हूं कि वह कितने समय पहले से भारत में निवास कर रहा था ?

उपाध्यक्ष महोदय : इसका मतलब यही है कि ठीक इनफारमेशन नहीं है ।

श्री वाजपेयी : क्या पोस्टमारटम की परीक्षा द्वारा यह प्रकट हुआ है कि उसका देहांत हृदय गति बन्द हो जाने से हुआ है ?

श्री गो० ब० पन्त : हृदय गति तो आखिर में बन्द होती ही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

यमुना नदी

+

†*१७९५. { पंडत द्वा० ना० तिवारी :
श्री भक्त दर्शन :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यमुना नदी को दिल्ली के घाटों के निकट लाने के लिये कोई प्राक्कलन तैयार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह प्राक्कलित राशि कितनी है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)**: (क) नमूने के प्रयोगों के पूरे हो जाने के बाद प्राक्कलन तैयार किया जायेगा जिसको पूना में केन्द्रीय जल गवेषणा संस्था द्वारा करने का विचार है। ये प्रयोग किये जाने से पूर्व यमुना नदी के पांच मील तक विस्तृत सर्वेक्षण करना होगा । दिल्ली नगर निगम प्राधिकार ने सर्वेक्षण आरम्भ कर दिया है और उसके परिणाम संस्था के निदेशक के पास शीघ्र ही पहुंचा दिये जायेंगे ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : सर्वेक्षण कब तक पूरा हो जायेगा ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : मुझे आशा है कि एक-दो महीने में हो जायेगा ।

श्री भक्त दर्शन : चूंकि दिल्ली में यमुना की धारा की समस्या कई वर्षों से चली आ रही है, तो क्या यह आशा है की जाती है कि काफी जल्दी इसके बारे में कार्रवाई की जायेगी और कोई देरी नहीं की जायेगी ?

श्री गो० ब० पन्त : कोशिश तो यही है।

निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा

†***१७९६. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री १५ दिसम्बर, १०५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ९५५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिये निदेशक परियोजना लागू करने के बारे में राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कितनी और आगे प्रगति की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

निम्न राज्य सरकारों/प्रशासनों ने राष्ट्रीय विस्तार खंडों में, जो प्रत्येक के सामने दिये गये हैं निदेशक परियोजना के रूप में या तो सर्वत्र निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू कर दी है अथवा लागू करने का विचार है :—

१. आंध्र प्रदेश .	१९५८–५९ में तीन राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड ।
२. बिहार	जनवरी, १९५९ से १७ सामुदायिक विकास/राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड ।

†मूल अंग्रेजी में

३. उड़ीसा .	१–४–१९५९ से ४ राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड ।
४. राजस्थान	जुलाई, १९५९ से अजमेर जिले का राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड।
५. दिल्ली निगम	१९५९–६० में दो राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** विवरण से पता लगता है कि केवल चार राज्यों और एक निगम ने इस कार्य को आरम्भ किया है । इन चार राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों में कितनी प्रगित हुई है, क्या माननीय मंत्री को यह विदित है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** जी हां, मुझे अन्य राज्यों के बारे में भी जानकारी है । मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये सम्पूर्ण सूचना सभा-पटल पर रख सकता हूं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** केन्द्रीय मंत्रालय द्वारा इन राज्यों को जिन्होंने राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों में सर्व निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा आरम्भ की है उन्हें कितनी सहायता अथवा अनुदान दिया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मेरे पास इस समय जानकारी नहीं है । मैं बताना चाहूंगा कि प्रारम्भिक शिक्षा के विस्तार के लिये ६० प्रतिशत सहायता दी जाती है किन्तु मैं इस बारे में बिल्कुल निश्चित रूप से नहीं बता सकता ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या इन राज्यों में सर्व निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को कार्यान्वित करने के लिये कोई विशेष उपकर अथवा शुल्क लगने वाला है ? यदि हां, तो वह किस प्रकार का है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** कुछ समय पहले हमने राज्य सरकारों से यह सिफारिश की थी किन्तु सामान्य रूप से इस प्रस्ताव पर वे सहमत नहीं हुई थीं ।

श्री भ० दी० मिश्र : क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन राज्यों ने अब तक निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा प्रारम्भ कर दी है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : पूरे राज्य में तो किसी राज्य में नहीं किया है, लेकिन सीमित क्षेत्रों में राज्यों ने फ्री कम्पलसरी प्राइमरी एजूकेशन इन्ट्रोड्यूस की है ।

श्री पद्म देव : क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि हिमाचल में जब मिनिस्ट्री थी, तो उस वक्त अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा के बारे में एक अधिनियम पारित हुआ था और क्या उसको कार्यान्वित किया गया है या नहीं ?

डा० का० ला० श्रीमाली : यह तो एन० ई० एस० ब्लाक्स के बारे में एक विशेष प्रश्न है । यदि माननीय सदस्य हर एक राज्य के बारे में इस वक्त इतिला पूछेंगे, तो वह मेरे पास नहीं होगी ।

†**श्री हेम बरुआ :** इस कार्यक्रम का प्रयोजन इन समस्याओं और कठिनाइयों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर अनुभव करना है जिससे सारे देश के लिये एक विशद कार्यक्रम बनाना है । इन चार राज्यों और दिल्ली निगम से जिनमें यह योजना लागू की गई है कितना ज्ञान प्राप्त हुआ है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : ये योजना तो अभी शुरू ही हुई है। माननीय सदस्य का कहना बिल्कुल सही है कि कुछ सीमित क्षेत्रों में निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रायमरी शिक्षा जारी करने से राज्य सरकारों को उन समस्याओं के बारे में अच्छी जानकारी हो सकेगी जिनका उन्हें सामना करना पड़ सकता है। मुझे निश्चय रूप से पता है कि इससे हमें अधिक विशद कार्यक्रम बनान में सहायता मिलेगी जो हम तृतीय योजना में बनाने का विचार करते हैं।

श्री अ० मु० तारिक : मैं इज्जत-माए वजीरे तालीम से यह जानना चाहता हूं कि रियासत जम्मू काश्मीर में, जहां एम० ए० तक तालीम मुफ्त है, हुकूमत को माली इमदाद देने के सिलसिले में और मजीद कालेज और स्कूल खोलने के लिये मरकजी वजारत तालीम ने क्या कदम उठाये हैं। चूंकि वहां पर तालीम मुफ्त दी जाती है, इस लिये वहां पर तालिब-इल्म बहुत बड़ी तादाद में पढ़ते हैं। उसको और बढ़ावा देने के लिये मरकजी वजारत क्या कर रही है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जो सहायता दूसरे राज्यों को देते हैं, वह जम्मू काश्मीर को भी देते हैं।

†**श्री च० रा० पट्टाभिरामन्** : क्या सरकार सभी राज्यों के लिये एक आदर्श योजना बनाने जा रही है अथवा वह अनिवार्य शिक्षा के लिये एक आदर्श योजना के बारे में सभी राज्यों की सहमति चाहती है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : आदर्श योजना कोई नहीं है। यह तो सामुदायिक विकास खंडों और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लागू करने का प्रश्न है।

†**श्री जाधव** : अब तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा में कितनी प्रतिशत जनता शामिल कर ली गई है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह स्पष्ट है कि इन खंडों में केवल कुछ ही जनसंख्या शामिल की गई है। जहां तक सारे देश का संबंध है, मैं माननीय सदस्य से इसके बारे में पूर्व सूचना चाहूंगा।

रूरकेला लौह अयस्क परियोजना

†*१७९८. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापानी प्रतिनिधिमंडल से रूरकेला लौह अयस्क परियोजना के बारे में वार्ता समाप्त हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या कोई निर्णय किया गया है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) और (ख). भारत सरकार और जापानी इस्पात मिशन के साथ १९६४ से रूरकेला क्षेत्र के किरिबुरु खानों से लौह अयस्क के संभरण के संबंध में जो समझौता हुआ था उस समझौते के ज्ञापन की एक प्रतिलिपि सभा-पटल पर २०-२-१९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५९४ के उत्तर में रख दी गई थी। जापानी प्रतिनिधि-मंडल से रूरकेला लौह अयस्क परियोजना के बारे में और आगे कोई बात-चीत नहीं हुई है।

†**श्री स० म० बनर्जी** : अन्तिम निर्णय कब तक होगा और वार्ता कब तक समाप्त होगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ब० रा० भगत :** वार्ता अंतिम रूप से की जा चुकी है। एक करार पर हस्ताक्षर हो चुके हैं जिसकी एक प्रति सभा-पटल पर रख दी गई है।

†**श्री पाणिग्रही :** करार में इन किरीबुरु खानों की कार्यपद्धति के बारे में जापानी मंत्रणा-दाता की नियुक्ति के बारे में कोई उपबन्ध नहीं था। भारत सरकार ने फिर इन किरीबुरु की लौह अयस्क की खानों के विकास के लिये जापानी मंत्रणादाता क्यों नियुक्त किये हैं?

†**श्री ब० रा० भगत :** करार से इसका सामना कर सकना मेरे लिये कठिन है किन्तु मैं मामले की जांच करूंगा। मोटे तौर से मैं यही कह सकता हूं कि यदि करार में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं था और यदि ऐसा हमें नहीं करना चाहिये था तो हम नहीं करेंगे।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, खड़गपुर

†*१८००. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **वैज्ञानिक, गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, खड़गपुर में भिन्न भिन्न क्षेत्रों से भर्ती किये गये उम्मीदवारों की संख्या में कोई अनुपात नहीं रखा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो योग्यता के सिद्धांत को न छोड़ते हुये इस वितरण में समानता लाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

†**वैज्ञानिक, गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर) :** (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

१९५८-५९ के सत्र में अखिल भारतीय टेक्निकल शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित चार प्रदेशों से निम्न प्रकार से छात्र लिये गये थे :—

(क) अवरस्नातक पाठ्यक्रम

उत्तरी क्षेत्र	२४३
पूर्वी क्षेत्र	१३७
दक्षिणी क्षेत्र	३१
पश्चिमी क्षेत्र	३१

(ख) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

दक्षिणी क्षेत्र	५४
उत्तरी क्षेत्र	५०
पूर्वी क्षेत्र	२४
पश्चिमी क्षेत्र	१३

संबंधित क्षेत्रों की जनसंख्या के आधार पर अवर-स्नातक स्तर पर उत्तरी प्रदेश में सबसे कम और दक्षिणी तथा पश्चिमी प्रदेशों में सबसे अधिक सुविधायें हैं। इस बात तथा इस तथ्य को भी

†मूल अंग्रेजी में

ध्यान में रखते हुये कि संख्या में प्रवेश संस्था द्वारा ली गई प्रतिद्वंतात्मक परीक्षा के परिणाम पर किया जाता है, सरकार इन पाठ्यक्रमों के लिये भर्त्ती किये गये छात्रों के बारे में कोई भी कार्यवाही करने का विचार नहीं करती है।

पाठ्य पुस्तक लेखकों के लिय 'कर्मशाला'

+

†*१८०१. { श्री स० म० बनर्जी :
श्री जगदीश अवस्थी :
श्री वासुदेवन् नायर :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पाठ्य पुस्तक लेखकों के लियें एक 'कर्मशाला' स्थापित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस 'कर्मशाला' का उद्देश्य क्या है ; और

(ग) इस पर कितनी राशि व्यय की जा चुकी है और कितनी व्यय की जाने वाली है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, हां।

(ख) प्रशिक्षणार्थियों को पाठ्य पुस्तकें लिखने के सामान्य सिद्धांत से अवगत कराना और पाठ्य पुस्तकें लिखने की विधि में सुधार करना।

(ग) व्यय का अनुमान ८,००० रुपये लगाया गया है। वास्तविक राशि तो कर्मशाला समाप्त हो जाने पर पता लगेगी।

†श्री सूपकार : यह 'कर्मशाला' कब स्थापित की गई थी ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : यह ९ मार्च से आरम्भ हुई है।

†श्री प्रभात कार : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि पाठ्य-पुस्तकें लेखकों के लिये 'वर्कशाप' (कर्मशाला) अच्छा शब्द नहीं है, क्या शिक्षा मंत्री इस शब्द को बदल देने पर विचार करेंगे ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : हमने इस पर विचार करके उसे बदल कर अब 'रचनालय' कर दिया है। वास्तव में माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न में 'वर्कशाप' का प्रयोग किया था।

†श्री दी० चं० शर्मा : इस 'कर्मशाला' में काम करने के लिये केवल वे ही व्यक्ति बुलाये जाते हैं जिन्होंने इस प्रकार का कुछ लेखन कार्य किया हो अथवा जिनसे इस प्रकार की पुस्तकें लिखने की आशा की जाती है ? ये लेखक शौकिया हैं अथवा पेशेवर ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : हमने राज्य सरकारों को लिखा था कि जिन लोगों को रचनालय का काम सौंपा गया है, ये लोग वे होने चाहियें जिनको अध्यापन का अनुभव हो और जिन्होंने वास्तव में पाठ्यक्रम-पुस्तक लिखने की दिशा में कुछ काम किया हो।

†श्री हेम बरुआ : इस कर्मशाला का पाठ्यक्रम निश्चित है अथवा लेखकों को नमूने की पाठ्य पुस्तकें दे दी जाती हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** इसमें सामान्यतया पाठ्य पुस्तक रचने की समस्याओं पर चर्चा की जाती है जिसके आधार पर प्रस्ताव यह है कि सामाजिक ज्ञान और सामान्य विज्ञान की नमूने की पुस्तकें तैयार की जायें ।

†**श्री वी० चं० शर्मा :** पाठ्य पुस्तक कर्मशाला में प्रवेश पाने वाले लोग कोई विशेष योग्यता वाले व्यक्ति होते हैं ? यदि ऐसा है तो उनकी क्या योग्यता होती है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** हमने राज्य सरकारों को लिखा था कि ये लोग कम से कम स्नातक होने चाहियें जिन्हें शिक्षा में डिग्री मिली हुई हो तथा अधिक अच्छा यह हो कि उन्हें अध्यापन का अनुभव हो । यह भी आवश्यक है कि उन्हें पाठ्य पुस्तकें लिखने का भी कुछ अनुभव हो । वे ऐसे व्यक्ति होने चाहियें जो संबंधित राज्यों में आगामी कुछ वर्षों में पाठ्य पुस्तकें तैयार करने में सहयोग दे सकें ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** यदि कोई माननीय सदस्य पहले सभा में उपस्थित नहीं थे और अब आ गये हों तो वह अपना प्रश्न पूछ सकते हैं ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** प्रश्न संख्या १७८२

छोटी कोयला खानों का मिलाया जाना

†*१७८२. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटी-छोटी कोयले की खानों को मिला देने के बारे में क्या प्रगति की गई है ; और

(ख) क्या इस प्रकार मिलाये जाने के लिये कोई सूत्र निकाला गया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) स्वेच्छा से मिलाने के लिये प्रोत्साहन देने के बारे में नियुक्त की गई समिति को अब तक मिलाने और सीमाओं के समायोजन के बारे में ३३ आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं जिनकी समिति जांच कर रही है ।

अनिवार्य रूप से मिलाने के लिये यथाशीघ्र उपयुक्त विधान बनाने के लिये भी कार्यवाही की जा रही है ।

(ख) बलवन्तराय मेहता समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर मिलाने का विचार है ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** मिलाने की योजना कब तक तैयार हो जायेगी ? क्या मिलाने की इस योजना को पूरा करने के लिये कोई तारीख निश्चित की गई है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मैं पहले किसी अवसर योजना की मुख्य-मुख्य बातें बता चुका हूं । बलवन्त राय मेहता समिति की मोटी-मोटी बातें मान ली गई हैं । इसके दो हिस्से हैं :—ऐच्छिक मिलाना और अनिवार्य रूप से मिलाना । जो समिति बनाई गई है उसने ऐच्छिक रूप से मिलाने वाली उन कोयला खानों से आवेदन मांगे हैं जिन्हें सहायता की आवश्यकता है और जो बड़ी खानों में मिलना चाहती हैं । इस मामले में विधान को सभा के सामने लाने में कुछ समय लगेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

दिल्ली के शरणार्थी प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज

+

†अल्प सूचना प्रश्न सं० *२१. { श्री वाजपेयी : श्री आसर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ३१ मार्च, १९५९ को जामनगर हाउस, नई दिल्ली के सामने जिन शरणार्थियों ने नई दिल्ली की विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियों के मकानों और मार्केटों की नीलामी के बारे में टेंडर प्रथा का विरोध किया था उन पर पुलिस को विवश होकर लाठी चार्ज और अश्रुगैस का प्रयोग किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो लाठी चार्ज के परिणामस्वरूप कितने प्रदर्शनकारी घायल हुये थे ;

(ग) क्या अश्रुगैस और लाठी चार्ज का प्रयोग करने से पहले प्रदर्शनकारियों को वहां से हट जाने के बारे में चेतावनी दी गई थी ; और

(घ) यदि हां, तो क्या यह चेतावनी मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई थी ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : फिलहाल इस मामले में जांच की जा रही है। मैं नहीं कह सकता कि अन्तिम उपपत्तियां क्या होंगी। किन्तु इतना तो माना जा सकता है कि इस मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायनिर्णयन किया जा सकता है, ऐसी परिस्थिति में मैं कुछ न कहना अधिक अच्छा समझूंगा। किंतु यदि जोर डाला जाता है तो मैं उत्तर देने के लिये तैयार हूं।

†उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि (क) और (ख). भाग का उत्तर दिया जा सकता है अर्थात् क्या पुलिस को विवश होकर लाठीचार्ज करना पड़ा था और कितने लोगों के चोटें लगीं। यदि यह जानकारी मंत्री महोदय को पता हो तो वह उत्तर दे सकते हैं। (ग) और (घ) भाग का उत्तर नहीं दिया जा सकता।

†श्री गो० ब० पन्त : (क) बार-बार चेतावनी देने के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिये अश्रुगैस का प्रयोग किया था। पुलिस ने लाठियों का उपयोग जामनगर हाउस के गेट पर प्रदर्शनकारियों को पीछे रोक रखने के लिये घेरा बनाने में किया गया था जहां कि लाठी चार्ज किया गया था।

(ख) चूंकि लाठी चार्ज नहीं किया गया था इस कारण प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†श्री वाजपेयी : क्या उस दिन विशेष को जामनगर हाउस के चारों ओर जलूस और बैठक पर कोई प्रतिबन्ध लगा था और यदि नहीं तो प्रदर्शनकारियों के नेताओं को जामनगर हाउस में घुसने क्यों नहीं दिया गया था ?

†उपाध्यक्ष महोदय : इन सारी बातों की जांच करनी होगी। पुलिस इसकी जांच कर रही है। मजिस्ट्रेट को इसका निबटारा करना पड़ सकता है। इन चीजों का अन्तिम परिणाम पर प्रभाव पड़ सकता है। मैं समझता हूं कि इससे जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और सदस्य को भी यह समझना चाहिये कि क्या इस प्रकार के प्रश्न पूछने से वह उन व्यक्तियों का काम बन सकेगा। जांच अभी की जानी है। यदि प्रतिबन्ध था तो उससे क्या हुआ और क्या वास्तव में कोई

---

†मूल अंग्रेजी में

ऐसी चीज हुई जिससे अश्रुगैस का प्रयोग करना उचित था अथवा नहीं। इन सब चीजों की जांच की जानी है। यह नाजुक मामला है इसलिये इसके बारे में हमें अधिक पूछताछ नहीं करनी चाहिये।

†**श्री वाजपेयी** : जांच किस प्रकार की हो रही है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : पुलिस जांच कर रही है।

†**श्री गो० ब० पन्त** : जांच दिल्ली प्रशासन के वरिष्ठ पुलिस सुपरिंटेंडेंट द्वारा की जा रही है।

†**श्री वाजपेयी** : न्यायिक जांच क्यों नहीं की जाती। लाठीचार्ज का हुक्म तो पुलिस के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ने ही दिया था जो उनके अधीन है।

†**श्री गो० ब० पन्त** : यदि मामला न्यायालय तक जाता है तो न्यायिक जांच होगी।

†**श्री सूपकार** : क्या घायलों को डाक्टरी सहायता दी गई थी, यदि दी गई थी तो घटना के कितनी देर बाद ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : मुझे बताया गया है कि मजिस्ट्रेट घटना स्थल पर उसी समय पहुंच गया था जबकि झगड़ा चल रहा था और उन्होंने लोगों से पूछा था कि क्या किसी के चोट लगी हैं और क्या कोई व्यक्ति उन्हें चोटें दिखा सकता है। किसी ने भी उन्हे चोट नहीं दिखाई थी।

†**श्री सूपकार** : क्या यह सच है कि एक नगर पिता के भी चोट लगी थी और क्या उन्हें वहां जो लोग उपस्थित थे, घटना हो जाने के बाद सफदरजंग अस्पताल ले गये थे ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या यह भी जांच पदाधिकारी से नहीं पूछा जाना चाहिये ?

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या यह सच है कि पुलिस ने ६० लोगों के नाम नोटिस जारी किये हैं। जब सारे मामले की जांच की जा रही है तो फिर नोटिस जारी करने की क्या आवश्यकता है ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : जिससे वास्तविकता का पता लग सके और जो लोग इस स्थिति में हैं कि सही-सही हाल बता सकते हैं वे ठीक हाल बता सकें।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

बेसिक शिक्षा सम्बन्धी साहित्य

†*१७८०. **श्री पांगरकर** : क्या शिक्षा मंत्री ८ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १०४१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा संबंधी साहित्य तैयार करने में और आगे क्या प्रगति की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ७६]**

†मूल अंग्रेजी में

छात्रों के लिये अवकाश शिविर

†*१७८६. { श्री कोडियान :
श्री वारियर :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की कोई योजना १४ से २४ वर्ष के आयुवर्ग के छात्रों के लिये अवकाश शिविरों का प्रबन्ध करने हेतु विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों को कुछ वित्तीय सहायता देने के बारे में है ;

(ख) यदि हां, तो १९५८ में ऐसे कितने शिविर लगाये गये ; और

(ग) इस संबंध में इस काल में राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों को कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां ।

(ख) केन्द्र की सहायता से एक शिविर लगाया गया था ।

(ग) आगरा विश्वविद्यालय को इस प्रयोजन के लिये ५,००० रुपये का अनुदान दिया गया था ।

हिमाचल प्रदेश में न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलग किया जाना

†*१७८९. **श्री नेक राम नेगी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के संघ क्षेत्र में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलम कर दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो कब तक करने का विचार है ?

†**गृह-काय मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) जी नहीं ।

(ख) हिमाचल प्रदेश एक छोटी सी प्रशासकीय इकाई है और वहां जैसी स्थिति है उसे देखते हुये फिलहाल वहां न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना संभव नहीं है ।

उत्तर प्रदेश में तेल का सर्वेक्षण

†*१७९४. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री विश्व नाथ राय :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री २८ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ३२३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू मौसम में तेल का पता लगाने के लिये बरेली, रामपुर, नैनीताल और पीलीभीत के जिलों में किये गये सर्वेक्षण के बारे में और आगे क्या प्रगति हुई है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : एक भूतत्वीय सवक्षण दल काठगोदाम के पूर्व में नैनीताल जिले में कार्य कर रहा है जिसने भूतत्वीय मानचित्र के १२० वर्गमील का और दूसरी ओर २७ मील लम्बे लाइन का सर्वेक्षण कर लिया है । १९५७-५८ में फसल के समय बरेली

†मूल अंग्रेजी में

के आस पास जो परिणाम निकले उनसे यह आवश्यक समझा गया कि वहां प्राप्त परिणामों का निर्वचन करने के लिये रामगंगा नदी से बदायूं, कासगंज और हाथरस होते हुये मथुरा जाने वाली सड़क पर भूकम्पीय जांच पड़ताल की जाये। एक दल ने दक्षिणी हिस्से का काम समाप्त कर लिया है और वह बरेली वापस लौट आया है। अब बरेली और काठगोदाम वाली सड़क के आस-पास के क्षेत्र में प्रयोग किया जा रहा है। इस दल ने लगभग ११७ मील लम्बा रिफ्लेक्शन प्रोफाइल और २२ मील का रिफ्रेक्शन प्रोफाइल पूरा कर लिया है। दूसरा दल बिजनौर जिले में भूभौतिकी कार्य कर रहा है। इस बारे में राय प्रकट करने से पूर्व परिणामों का संकलन करना होगा। यह कार्य फसल समाप्त हो जाने के बाद दलों के मुख्यालय लौट आने पर किया जायेगा।

विकलांगों के लिये अध्यापकों का प्रशिक्षण

†*१७९७. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकलांगों के लिये अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के बारे में कोई प्रबन्ध किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कहा और कितना ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है जो यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

राज्य व्यापार योजनायें

†*१७९९. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शेष बचे हुये स्टाक को साफ करने के लिये राज्य व्यापार योजनाओं के पुराने लेखाओं को समाप्त करने के बारे में किस प्रकार की कार्यवाही की गई है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : राज्य व्यापार योजनाओं का नियंत्रण विभिन्न मंत्रालयों द्वारा किया जाता है। मांगी गई जानकारी एकत्र की जा रही है जो सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

कुतुब मीनार से तेज रोशनी

†२९१८. **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्री भक्त दर्शन :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री १९ नवम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुतुब मीनार के बाहरी हिस्से में तेज रोशनी लगाने की योजना तैयार की जा चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) जी नहीं, योजना के बारे में अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

अस्पृश्यता

†२९१९. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब में १९५८–५९ में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम के अधीन कितने व्यक्तियों पर अभियोग चलाया गया था और उनमें से कितने लोगों को छोड़ दिया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : १ जनवरी से १५ नवम्बर, १९५८ तक सात व्यक्तियों पर अभियोग चलाया गया था जिनमें से एक को छोड़ दिया गया है जबकि अन्य छः व्यक्तियों के अभियोग अभी न्यायाधीन हैं ?

राज्य नियंत्रित उपक्रम

†२९२०. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे राज्य नियंत्रित उपक्रम कौन-कौन से हैं जो अपने लेखे वाणिज्यिक आधार पर रखते हैं और जो घाटे में चल रहे हैं ;

(ख) उपक्रम वार उनकी हानि के क्या कारण हैं ;

(ग) १९५६ से (वर्ष वार और उपक्रम वार) कुल कितना घाटा हुआ ; और

(घ) इस घाटे को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है, अथवा करन का विचार है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है जो यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

पंजाब में दान कर

२९२१. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८-५९ में पंजाब में (जिलावार) दान-कर के रूप में कुल कितनी धनराशि इकट्ठी की गयी है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : जानकारी एकत्र की जा रही है । यथा संभव शीघ्र एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ।

पंजाब में सम्पत्तिकर

२९२२. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८-५९ में पंजाब में (जिलावार) सम्पत्तिकर के रूप में कुल कितनी धनराशि इकट्ठी की गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): अब तक उपलब्ध जानकारी नीचे दी हुई है :—

क्रम संख्या	जिला	१९५८–५९ में (२८-२-५९ तक) धन-कर के रूप में इकट्ठी की गयी धनराशि
		रुपये
१	अमृतसर	१,१२,०००
२	अम्बाला	५,०००
३	भंटिडा	५३,०००
४	चंडीगढ़	३,०००
५	फिरोजपुर	६,०००
६	गुड़गांव	—
७	गुरुदासपुर	—
८	हिसार	८,०००
९	होशियारपुर	—
१०	जालंधर	४३,०००
११	कपूरथला	३,०००
१२	करनाल	२,०००
१३	कांगड़ा	—
१४	लुधियाना	९,०००
१५	महेन्द्रगढ़	—
१६	पटियाला	२८,०००
१७	रोहतक	२३,०००
१८	शिमला	१२,०००
१९	संगरूर	३,०००
	कुल	३,१०,०००

जम्मू तथा काश्मीर में प्राथमिक तथा बुनियादी शिक्षा के लिये अनुदान

†२९२३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८-५९ में जम्मू तथा काश्मीर सरकार को प्राथमिक तथा बुनियादी शिक्षा को योजनाओं के लिये कितनी धनराशि का अनुदान आवंटित किया गया है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : १०.६० लाख रुपये ।

बम्बई में प्रादेशिक भाषाओं का विकास

†२९२४. **श्री पांगरकर** : क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री ११ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १८३४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ में प्रादेशिक भाषाओं के विकास के लिये बम्बई राज्य को सहायक अनुदान के रूप में कितनी धनराशि दी गयी है ; और

(ख) यह धन किन मदों पर खर्च किया जाना था ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी, कुछ नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

एली फेन्टा की गुफायें

†२९२५. **श्री पांगरकर** : क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ में बम्बई के समीप एलीफेंटा की गुफाओं के संधारण पर कितना धन खर्च किया गया है ; और

(ख) १९५९–६० में कितना धन खर्च किया जायेगा ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा तथा सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) ३,३४६ रुपये (दिसम्बर, १९५८ तक) ।

(ख) ३०,००० रुपये ।

अजमेर में अढाई-दिन-का झोपड़ा

†२९२६. **श्री पांगरकर** : क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ में अजमेर में अढ़ाई-दिन-के -झोपड़े के संधारण पर कितना धन खर्च किया गया है ; और

(ख) १९५९–६० में कितना धन खर्च किया जायेगा ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) ७१८ रुपये (जनवरी, १९५९ तक) ।

(ख) ३,५६० रुपये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रतिरक्षा मंत्रालय के लिये विदेशों से की गई खरीद

†२६२७. **श्री बी० चं० शर्मा** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) १६५८–५६ में प्रतिरक्षा मंत्रालय के लिये भारत में और विदेशों से पृथक पृथक कितने मूल्य का सामान ख़रीदा गया ; और

(ख) १६५७–५८ में आंकड़ों से इनकी क्या तुलना है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है :—

विवरण

(रुपये करोड़ों में)

(१)	(२) १६५७–५८	(३) १६५८–५६
(क) विदेशों से खरीदे गये सामान का मूल्य .	८६.८५	७४.४७
(ख) भारत में खरीदे गये सामान का मूल्य .	५६.५७	६०.७६
	१४३.४२	१३५.२६

खंड ३ के आंकड़े आंकड़ों के नवीनतम मूल्याकन पर आधारित हैं। वास्तविक आंकड़े लेखाओं के बन्द हो जाने पर ही उपलब्ध होंगे ।

उत्तर प्रदेश में खेल-कूद

२६२८. **श्री सरजू पाण्डे** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खेल-कूद को बढ़ावा देने के लिये उत्तर प्रदेश की सरकार को १६५८ में कुल कितनी राशि दी गई ?

शिक्षा मंत्री (डा० का ० ला० श्रीमाली) : १,६७,८२८ रुपये ।

लोक सहायक सेना शिविर

२६२६. **श्री सरजू पाण्डे** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में लोक सहायक सेना अधिनियम, १६५६ की धारा ४ के अनुसरण में ३१ दिसम्बर, १६५७ से अब तक कितने शिविर तथा किन-किन स्थानों में आयोजित किये गये ; और

(ख) विभिन्न जिला शिविरों में कुल कितने स्वयं सेवक भर्ती किये गये ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन): (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ७७**]

†मूल अंग्रेजी में

लखनऊ में आसफउद्दौला का इमामबाड़ा

२९३०. **श्री सरजू पांडे :** क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८–५९ में लखनऊ स्थित आसफउद्दौला के इमामबाड़े की मरम्मत और देखभाल पर प्रतिवर्ष कितना व्यय किया गया ?

वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : १३७२.९२ रुपये (फरवरी, १९५९ तक) ।

स्त्रियों की शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति

†२९३२. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री राधा रमण :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री भक्त दर्शन :
श्री कोडियान :
श्री रघुवीर सहाय :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री विश्वनंजप्पा :
श्री बै० च० मलिक :
श्री सुब्बया अम्बलम् :
श्री अजीत सिंह सरहदी :

क्या शिक्षा मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे कि जिसमें यह दिखाया गया हो कि :

(क) क्या स्त्रियों की शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या समिति की सिफारिशों की परिनिरीक्षा कर ली गई है और उन पर फैसला कर लिया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** (क) से (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी, हां ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) समिति ने लड़के और लड़कियों और पुरुषों तथा स्त्रियों की शिक्षा के बीच मौजूदा असमता पर ध्यान दिया है और उसके कारण बताये हैं।

इस असमता को कम करने के लिये, समिति ने निम्नलिखित लक्ष्य सुझाये हैं :—

(१) प्राइमरी स्टेज	१९६५–६६ तक सब लड़कियों को स्कूल में प्रवेश दिया जाये।
(२) मिडिल स्टेज	१९६५–६६ तक स्कूलों में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कम से कम आधी तक बढ़ा दी जानी चाहिये।
(३) सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी स्टेज	जहां तक संभव हो लड़कियों को अधिकाधिक प्रवेश दिया जाये।

(२) उपरोक्त लक्ष्य प्राप्त करने के लिये समिति ने १८५ सिफारिशें की हैं। मुख्य सिफारिशें ये हैं कि इस समस्या को विशेष समस्या समझा जाये और लड़कियों और औरतों की शिक्षा के लिये योजनाओं को उच्च प्राथमिकता दी जाये। राज्य सरकारों को अधिक सक्रिय रूप में विशेष योजनाओं को बनाने के लिये, उनको आवश्यक धन प्राप्त कराके और योजनाओं की कार्यकारी क्रियान्विति के लिये जोर देकर केन्द्रीय सरकार को अपने ऊपर अधिक उत्तरदायित्व लेना चाहिये। राष्ट्रीय और राज्य मंत्रणा परिषद्, और केन्द्र में एक संयुक्त परामर्शदाता और सब स्टेजों के लिये एक सुगठित कार्यक्रम को बनाने, और उसको क्रियान्वित करने के लिये हर राज्य में एक महिला संयुक्त निदेशक के रूप में केन्द्र तथा राज्य दोनों में परामर्शदायी तथा प्रशासनिक कार्यों के लिये एक उचित व्यवस्था की जानी चाहिये। इस कार्यक्रम के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बाकी अवधि के लिये १० करोड़ रुपये और तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये १०० करोड़ रुपयों का विशेष आवंटन होना चाहिये।

(३) सीमित सरकारी प्रयत्नों को ध्यान में रखते हुये समिति ने शिक्षा के क्षेत्र में स्वेच्छिक प्रयत्न के विकास के लिये अधिक जोर दिया है।

(ग) समिति की सिफारिशों पर सरकार, शिक्षण, प्रशासनिक, वित्तीय और अन्य दृष्टिकोणों से विचार कर रही है।

विदेशों में प्रविधिक शिक्षा

†२९३३. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में (देशवार) कुल कितने भारतीय विद्यार्थी प्रविधिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ; और

(ख) इन विद्यार्थियों में से कितने (राज्य-वार) भारत सरकार से अथवा उन विदेशों से जहां वे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, छात्रवृत्तियां अथवा अन्य कोई वित्तीय सहायता पा रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक गवेषणा तथा सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें कुल विद्यार्थियों की संख्या तथा छात्रवृत्तियां और अन्य वित्तीय सहायता पाने वालों की संख्या के बारे में जानकारी दी हुई है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ७८]** राज्य-वार जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

स्टेनलैस स्टील का आयात

†२९३४. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में भारत में आयात किये गये स्टेनलेस स्टील का क्या मूल्य है ;

(ख) इस पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गयी ; और

(ग) आयात को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). १९५८ में भारत में १,१०,८५,४०७ रुपये के मूल्य का स्टेनलेस स्टील का आयात किया गया । इस पर इतनी ही विदेशी मुद्रा खर्च की गयी ।

(ग) १९५८ के बाद से स्टेनलेस स्टील के आयात की अनुमति केवल प्रतिबन्धित आधार पर दी जाती है । अप्रैल-सितम्बर, १९५८ और अक्तूबर १९५८—मार्च, १९५९ की अवधि में पुराने आयात कर्त्ताओं को कोई आयात नहीं करने दिया गया और केवल वास्तविक प्रयोक्ताओं को पुरोनिधान प्राधिकारी[1] की सिफारिश पर अपनी आवश्यकता का कुछ भाग आयात करने की अनुमति दी गयी ।

कानपुर में मिलों से आय-कर की बकाया

†२९३५. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री २ दिसम्बर, १९५८ के **अतारांकित प्रश्न** संख्या ७५४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर के मिल-स्वामियों से आय-कर की बकाया राशि की वसूली हो गयी है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या भुगतान के लिये उनको और समय दिया गया है ; और

(ग) यदि यह धनराशि निर्धारित समय मे वसूल नहीं होती है, तो क्या कार्यवाही की जायेगी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) आय-कर की वसूली विभिन्न कारणों अर्थात् अपील के निपटारे, बाकी मांग पर उनको देय भुगतान के समायोजन आदि पर रोक दी गयी है । बशेश्वर नाथ और आय-कर आयुक्त, दिल्ली के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कारण कुछ मांगें लागू नहीं की जा सकतीं ।

(ग) आय-कर अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Sponsoring Authority.

रूस भेजा गया भारतीय वैज्ञानिकों का दल

२९३६. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री १५ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५२५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि रूस भेजे गये भारतीय वैज्ञानिकों के दल के नेता ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : सरकार अभी इस रिपोर्ट पर विचार कर रही है क्योंकि इसमें आम तौर पर सिफारिशें की गई हैं । इसलिये योजना आयोग, राज्य सरकारों विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संगठनों से मशविरा करना जरूरी है ।

इस्पात बोर्ड

†२९३७. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोहा तथा इस्पात उद्योग का विकास करने के लिये एक "लोहा तथा इस्पात बोर्ड" बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव किस प्रक्रम पर है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह):** (क) और (ख). जी, अभी नहीं । एक लोहा तथा इस्पात मंत्रणा परिषद स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, खड़गपुर

†२९३८. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, खड़गपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों की कमी को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :

(१) १९५८-५९ के बाद से संस्था में स्नातकोत्तर अध्ययन के लिये उपलब्ध छात्रवृत्तियों को (जो १५० रुपये प्रति माह की हैं) प्रत्येक पाठ्यक्रम में दाखिल की गयी संख्या के केवल ५० प्रतिशत के बजाय ६० प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है ।

(२) उद्योग और सरकारी विभागों के गण्यमान्य व्यक्तियों को विभागीय मंत्रणा समितियां तथा परीक्षक मंडल (बोर्ड आफ़ एग्ज़ामिनर्स) से सम्बद्ध कर दिया गया है जिससे वे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों वाले विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त उच्च 'स्टैंडर्ड्स' के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकें और पाठ्यक्रमों के महत्व को समझ सकें ।

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग, उड़ीसा

†२९३९. **श्री संगण्णा :** क्या **वित्त** मंत्री केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग के कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों के निर्माण सम्बन्धी २४ नवम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३०७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक इस बारे में क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों का निर्माण करने के लिये भूमि की खरीद को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

प्राणदंड

†२९४०. **श्री सुबिमन घोष** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७ और १९५८ में राज्य-वार प्राणदंड के लघूकरण[1] के लिये सरकार को कितनी याचिकायें प्राप्त हुईं और उन में से कितनी मंजूर कर ली गईं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ७९]

पांडीचरी में खुदाई

†२९४१. **श्री इलयापेरुमाल** : क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५८-५९ में पांडीचरी में कोई खुदाई की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या परिणाम रहे ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) केन्द्रीय पुरातत्व विभाग ने हाल ही में पांडीचरी राज्य में कोई खुदाई नहीं की है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

चिंगलपट और तंजोर में खुदाई

†२९४२. **श्री इलयापेरुमाल**: क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य के चिंगलपट और तंजौर जिलों में हाल ही में कोई खुदाई की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या परिणाम हुए ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी नहीं । मद्रास राज्य के जिला चिंगलपट के कुन्नतूर स्थान पर १९५५ से १९५८ तक खुदाई हुई थी ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम

†२९४३. **श्री नरदेव स्नातक** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि २७ अक्तूबर, १९५६ को दिल्ली नगर क्षेत्र में (जहां दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, १९५४ लागू नहीं होता था) कितनी गैर-सरकारी भूमि ज़ेरकाश्त और बागों वाली बताई गई और वर्तमान आंकड़े क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Commutation.

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं है । यह कानूनगो और पटवारियों से पता लगाना पड़ेगा जिन्हें जानकारी देने में लगभग तीन सप्ताह लगेंगे । राजस्व कर्मचारियों को कुछ समय के लिये दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम कार्यान्वित करने के लिये लगाया गया है और यह काम पूरा होने को है । यदि उन कर्मचारियों को वापस बुला लिया जाये तो भूमि सुधारों में अड़चन पैदा हो जायेगी । इन परिस्थितियों में यह जानकारी एकत्र करने में जितना समय और मेहनत लगेगी उस के अनुसार उस से लाभ नहीं होगा ।

सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही

†२६४४. **श्री ले० अचौ सिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्रों में सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही के लिये पहले सरकार की अनुमति प्राप्त करनी पड़ती है ; और

(ख) गत तीन वर्ष में क्रमवार मनीपुर, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश में कितने सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) संघ राज्य क्षेत्रों के सरकारी कर्मचारियों के लिये कोई विशेष उपबन्ध नहीं है । देश के अन्य भागों की तरह इन क्षेत्रों में भी सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ दाण्डिक अभियोग चलाने के लिये सरकार की मंजूरी लेने सम्बन्धी कुछ उपबन्ध हैं जो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १९७ और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, १९४७ की धारा ६ में दिये गये हैं ।

(ख) क्योंकि यह स्पष्ट नहीं कि माननीय सदस्य किस प्रकार की कानूनी कार्यवाही के बारे में पूछ रहे हैं इसलिये जानकारी एकत्र करना सम्भव नहीं है ।

औद्योगिक खनिज पदार्थों सम्बन्धी प्रचार

†२६४५. **श्री ले० अचौ सिंह : क्या इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक खनिज पदार्थों के बारे में जनसाधारण और विद्यार्थियों को जानकारी देने की कोई योजना है ; और

(ख) क्या इस प्रयोजनार्थ विद्यार्थियों के लिये किसी विदोहन आन्दोलन का आयोजन किया गया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी हां । जनसाधारण को खनिज पदार्थों के बारे में अधिक जानकारी देने की एक योजना कार्यान्वित की जा रही है । भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के पदाधिकारी नमूने और चार्ट आदि ले जा कर गांवों में दिखाते हैं जिस से लोग उन पदार्थों को पहचानने लगें । अंग्रेजी, हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं में छपी हुई सामान्य जानकारी की पुस्तकें बांटी जाती हैं । छात्रों की रुचि पैदा करने के लिये भारत का भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग शिक्षा संस्थाओं को चट्टानों के टुकड़े और खनिज पदार्थ भेजता रहा है और वह प्रदर्शनियों में भी भाग लेता है जिस से कि लोगों की खनिज पदार्थों और उन की खोज में रुचि बढ़ जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने स्नातकोत्तर छात्रों को असल कार्यक्षेत्र में प्रशिक्षण देने की भी एक योजना बनाई है। इस समय लगभग ३९ स्नातकोत्तर छात्र भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के पदाधिकारियों के साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

रेडियो के वाल्व

†२९४६. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत 'इलैक्ट्रानिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड' में जो रेडियो के वाल्व बनाने का विचार किया जा रहा है वह उत्पादन के मूल कार्यक्रम में शामिल नहीं था ; और

(ख) क्या इन के वाणिज्यिक उत्पादन के कारण प्रतिरक्षा विभाग के लिये सामान के अनुसूचित उत्पादन को हानि नहीं पहुंचेगी ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कांगड़ा में गर्म पानी के चश्मे

†२९४७. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के कांगड़ा जिला में गन्धक के निक्षेपों के लिये गर्म पानी के चश्मों का कोई भूतत्वीय सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). जी हां। इस क्षेत्र में भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने सर्वेक्षण करते समय कांगड़ा जिले (ज्वालामुखी, लाओसा, टटवानी और टीवा अथवा जीवा) में विभिन्न गर्म पानी के चश्मों में गन्धक की मात्रा का पता लगाया था परन्तु किसी भी चश्मे में गंधक की मात्रा इतनी अधिक नहीं थी कि उसका विदोहन करना लाभप्रद होता ।

भारतीय पुलिस पर पाकिस्तानी तस्कर व्यापारियों द्वारा गोली चलाया जाना

†२९४८. { **श्री जाधव** :
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ८ मार्च, १९५९ की रात को कच्छ में कोटेश्वर के निकट भारतीय सीमा सुरक्षा पुलिस पर पाकिस्तानी तस्कर व्यापारियों ने गोली चलाई ;

(ख) क्या यह सच है कि पुलिस तस्कर व्यापारियों की नाव का पीछा कर रही थी;

(ग) तस्कर व्यापार को रोकने के क्या उपाय किये जा रहे हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) क्या यह सच है कि सुरक्षा बल की नाव कुछ समय से खराब पड़ी थी इसलिये तस्कर व्यापार बहुत बढ़ गया ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) असल बात यह है कि ८ मार्च, १९५९ को कोटेश्वर में गश्त लगाने वाले एक पुलिस दल ने खुले समुद्र में एक नाव देखी । उस नाव का पीछा नहीं किया गया क्योंकि वह बहुत दूर थी ।

(ग) तस्कर व्यापार को रोकने के लिये समय समय पर कई उपाय किये जाते हैं उन में से कुछ प्रमुख ये हैं :—

(१) समुद्री तट और सीमा पर सीमा शुल्क कर्मचारियों और पुलिस के सहयोग से गश्त बढ़ा दी गई है और अधिक सतर्कता बरती जाती हैं ।

(२) तस्कर व्यापार सम्बन्धी सूचनायें प्राप्त करने और उस सूचना का प्रयोग करने के तरीके बदल दिये गये हैं ।

(३) सीमा शुल्क विधियां अधिक कड़ी कर दी गई हैं, सजायें सख्त कर दी गई हैं और अधिक मुकदमे चलाये जाते हैं ।

(घ) पुलिस की गश्त लगाने की नाव कुछ समय से खराब थी क्योंकि पुर्जे नहीं मिल रहे थे । क्योंकि तस्कर व्यापार को रोकने के और कई तरीके हैं इसलिये यह कहना सही नहीं होगा कि केवल नाव न होने के कारण तस्कर व्यापार बहुत बढ़ गया ।

वयस्कों के लिये स्कूल

†२९४९. { **श्री कोडियान :**
श्री वारियर : }

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में अब तक स्वयंसेवक संस्थाओं को वयस्कों के लिय स्कूल खोलने के लिये कुल कितनी आर्थिक सहायता दी गई है;

(ख) क्या सरकार ने इन स्कूलों के संचालन के बारे में कोई मूल्यांकन किया; और

(ग) यदि हां, तो इस का ब्योरा क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) '६०,००० रुपये ।

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

उड़ीसा में खनन् पट्टे

†२९५०. **श्री पाणिग्रही** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा के सुकिंडा क्षेत्र के कुछ गैर-सरकारी खान मालिकों के कुछ आवेदन पत्रों की सिफारिश की हैं जिन में लौह अयस्क के खनन् पट्टे देने की मांग की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अनुमति दे दी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) जी हां। उड़ीसा सरकार ने सुकिंडा क्षेत्र में लौह अयस्क के खनन् पट्टे देने के लिये दो आवेदन पत्रों की सिफारिश की थी।

(ख) सरकार ने एक प्रार्थी को खनन् पट्टा देना स्वीकार कर लिया है। दूसरे आवेदन पत्र पर विचार किया जा रहा है।

जालंधर जिला में व्यय कर और सम्पत्ति कर देने वाले व्यक्ति

†२९५१. श्री दलजीत सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ में पंजाब के जालंधर डिवीजन में कितने व्यक्तियों ने व्यय कर और सम्पति कर दिया; और

(ख) उन से कितनी राशि प्राप्त की गई ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) २८-२-५९ को विभाग के रजिस्टरों के अनुसार जिन व्यक्तियों को व्यय कर और सम्पत्ति कर देना था उन की संख्या निम्नलिखित है :—

व्यय कर	४९
सम्पत्ति कर	४९५

(ख) २८-२-१९५९ तक इन करों के रूप में निम्नलिखित राशियां मांगी गई थीं :—

	रुपये
व्यय कर	२६,८५०
सम्पत्ति कर	३,८१,०००

अपीलीय सहायक आयुक्त का कार्यालय, ग्वालियर क्षेत्र

२९५२. श्री पहाड़िया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार "अपीलीय सहायक आयुक्त के कार्यालय, ग्वालियर क्षेत्र" को बन्द करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) अपीलीय सहायक आयुक्त का ग्वालियर का क्षेत्र (रेंज) २३ फरवरी १९५९ से बन्द कर दिया गया है।

(ख) ग्वालियर का क्षेत्र इसलिये बन्द किया गया है कि अपीलों की संख्या बहुत कम हो गई थी और इस कारण कार्यभार भी इतना कम हो गया था कि अलग क्षेत्र रखना उचित नहीं था।

अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां

†२९५३. श्री भा० कृ० गायकवाड़ : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये काम कर रही स्वयंसेवक गैर-सरकारी संस्थायें जिन्हें सहायता अनुदान देने के हेतु सरकार से

†मूल अंग्रेजी में

मान्यता प्राप्त हो चुकी है अपने प्रतिष्ठानों में कुछ प्रतिशत व्यक्ति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के रखती हैं; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिशतता क्या है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

नागा विद्रोही

†२९५४. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर के तामिगलांग सब डिवीजन में नागा विद्रोहियों के ३० कैम्प लग गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन कैम्पों का संचालन नागा हिल्ज तामिगलांग क्षेत्र से नागा नेताओं द्वारा किया जाता है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख). सरकार को ऐसे कैम्पों के बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

दिल्ली में मोटर वर्कशाप

†२९५५. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान २१ मार्च, १९५९ के "इंडियन एक्सप्रेस" में छपे इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि दिल्ली में बहुत सी अनधिकृत और बिना लाइसेंस की मोटर गाड़ी वर्कशाप चल रही हैं और उन में जो मरम्मत की जाती है उस के बारे में सभी लोग शिकायतें करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) जी हां ।

(ख) कानून के अधीन दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर समिति को यह अधिकार प्राप्त है कि गैर-सरकारी मकानों में यदि बिना लाइसेंस के कोई बड़ी वर्कशाप चल रही हो तो उस पर मुकद्दमा चला सके । इसी प्रकार ये स्थानीय संस्थायें उन व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही कर सकती हैं जो सड़क पर मोटरों की मरम्मत कर के मोटर के पुर्जे सड़क पर रखे रहते हैं । इन वर्कशापों में काम अच्छा होता है या नहीं इस का सम्बन्ध कार के मालिक और वर्कशाप के मालिक से ही है ।

सरकारी सेवा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्ति

†२९५६. **श्री अय्याकृष्णा** : काया गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के अधीन सभी विभाग १९५५ के पश्चात् इस सम्बन्ध में सावधिक प्रतिवेदन भेजते रहे हैं । सरकारी सेवा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों का क्या अनुपात है और कितने स्थानों पर इन जातियों के लोग नहीं लगाये गये हैं;

(ख) क्या विभागों के लिये ऐसे प्रतिवेदन देना जरूरी है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) प्रतिवेदनों के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). जी हां।

(ग) कमियों की ओर नियुक्तियां करने वाले प्राधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया गया है कि इन्हें पूरा किया जा सके ।

आधुनिक भाषाओं का विकास

†२९५७. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार को १९५९-६० के लिये "आधुनिक भारतीय भाषाओं (हिन्दी के अतिरिक्त) के विकास" की योजना के अन्तर्गत कोई आर्थिक सहायता दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो वह राशि कितनी है; और

(ग) पंजाबी भाषा के लिये कितना आवंटन किया गया है ?

वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास): (क) से (ग) राज्य सरकार से प्रार्थना की जा रही है कि वे भारत सरकार की "आधुनिक भारतीय भाषाओं (हिन्दी के अतिरिक्त) के विकास" की योजना के अन्तर्गत १९५९-६० के लिये अपनी प्रस्थापनायें भेज दें। जब पंजाब सरकार की प्रस्थापनायें प्राप्त होंगी तब उन पर विचार किया जायेगा ।

लिपिक सेवा की ग्रेड १

†२९५८. **श्री पाणिग्रही** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा योजना की स्थापना करते समय इस की ग्रेड १ की रिक्तियों को भरते समय कितने व्यक्तियों को टाइप की परीक्षा से मुक्त किया गया ; और

(ख) क्या केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा योजना के ग्रेड १ के लिये स्वीकृत संख्या में नियुक्तियां की जा चुकी हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) टाइप की परीक्षा से मुक्त किये व्यक्तियों की नियुक्तियों की संख्या यह है :

(१) वे व्यक्ति जो २३-१०-१९५३ को ४५ वर्ष से अधिक आयु के हो चुके थे	१५०
(२) अनुसूचित जातियों के सदस्य	५
(३) अंगहीन व्यक्ति	१३
(४) वे व्यक्ति जिन का सेवा काल १० वर्ष से कम नहीं था	३६
कुल	२०४

(ख) स्थापना करते समय लिपिक सेवा में ग्रेड १ के ८५० स्थान खाली थे। ये आंकड़े उन ६०० स्थानों के अतिरिक्त थे जो असिस्टेंटों के नियमित अस्थायी प्रतिष्ठानों में

†मूल अंग्रेजी में

सम्मिलित कर्मचारियों के लिये 'लियन' की व्यवस्था करने के लिये रक्षित रखे गये हैं। पूर्वोक्त वर्ग की ८४२ नौकरियों पर स्थायी करने के आदेश दिये जा चुके हैं। शेष ८ के आदेश भी शीघ्र ही जारी कर दिये जायेंगे। रक्षित स्थानों में से केवल २१५ का उपयोग किया गया था।

तपेदिक के रोगी

†२९५९. { श्री स० म० बनर्जी :
श्री जगदीश अवस्थी :
श्री वासुदेवन् नायर :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों के लिये बनाये गये अस्पतालों में असैनिक कर्मचारियों में तपेदिक के रोगियों के लिये कोई बिस्तर रक्षित रखे गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे बिस्तरों की संख्या क्या है?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां।

(ख) प्रतिरक्षा असैनिक (कल्याण) तपेदिक निधि के लिये दस।

राजनीतिक पीड़ित

†२९६०. { श्री बि० दासगुप्त :
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, १९५६ से मार्च, १९५९ तक गृह-कार्य मंत्री स्वविवेक अनुदान में से राजनीतिक पीड़ितों को कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई; और

(ख) इस समय कितने राजनीतिक पीड़ितों को ये अनुदान मिल रहे हैं?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) ६,६२,१७५ रुपये।

(ख) आवर्तक नगद अनुदान गृह-कार्य मंत्री के स्वविवेक अनुदान में से नहीं दिये जाते हैं। एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है जिस में उन राजनीतिक पीड़ितों की राज्यवार संख्या बताई गई है जिन्हें १ अप्रैल, १९५८ से ३१ मार्च, १९५९ तक गृह-कार्य मंत्री के स्वविवेक अनुदान में से एकमुश्त नगद अनुदान दिये गये। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ८०]**

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क कर्मचारियों के रहने के लिये मकान

†२९६१. श्री क० उ० परमार : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क कर्मचारियों को गांवों में विशेषकर बड़ोदा कलैक्टरेट में रहने के लिये उपयुक्त मकान नहीं मिलते; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). सरकार को ज्ञात है कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क कर्मचारियों को बड़ोदा कलैक्टरेट में रहने के लिये उपयुक्त मकान नहीं मिलते । यद्यपि यह सम्भव नहीं कि प्रत्येक स्थान पर क्वार्टर बनाये जायें फिर भी जहां अधिक कठिनाई है वहां क्वार्टर बनाने का विचार किया जा रहा है ।

दिल्ली नगर निगम को वित्तीय सहायता

†२९६२. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम ने अपने विकास कार्यों के लिये केन्द्रीय सरकार से १.५ करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

जम्मू तथा काश्मीर को सहायता

†२९६३. **श्री ब० चं० बरुआ** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७, १९५८ और १९५९ में अब तक जम्मू तथा काश्मीर को कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ख) इस प्रकार दी गई सहायता की लेखा परीक्षा कैसे की जाती है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य को निम्नलिखित सहायता दी गई है :--

	(लाख रुपये)
१९५६-५७ .	१०९५.०९
१९५७-५८	७०१.४७
१९५८-५९ .	५३६.६२ (अस्थायी) ।

(ख) नियंत्रक महालेखा परीक्षक का क्षेत्राधिकार जम्मू तथा काश्मीर तक बढ़ा दिया गया है । जम्मू तथा काश्मीर में किये गये सरकारी सौदों के लेखे तथा लेखा परीक्षा के बारे में उसे अन्य राज्यों की तरह अधिकार प्राप्त हैं ।

पंजाब में लौह अयस्क

†२९६४. **श्री राम कृष्ण गुप्त**: क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में चरखीदादरी के निकट कल्याण स्थान पर बढ़िया किस्म के लौह-अयस्क के निक्षेप मिले हैं;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो वह कौन सी किस्म का है और उनकी मात्रा लगभग कितनी है; और

(ग) उनका विदोहन करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) नहीं श्रीमान्। जिला महेन्द्रगढ़ की दादरी तहसील में कल्याण स्थान पर प्रथम ग्रेड के बहुत से निक्षेपों की सूचना मिली थी जिसका परीक्षण भारत के भूतत्वीय सवक्षण विभाग ने १९५१-५२ में किया था। कल्याण पहाड़ी का विस्तृत परीक्षण करने के बाद यह पता चला था अयस्क के निक्षेप इतने अधिक नहीं हैं कि उनका विदोहन लाभप्रद हो।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अगरताला में लड़कियों के स्कूल

†२९६५. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगरताला में लड़कियों के कुल कितने स्कूल (जूनियर या हाई) हैं;

(ख) प्रत्येक स्कूल में कितनी छात्रायें हैं; और

(ग) क्या वर्तमान स्कूल आवश्यकता को पूरा करने के लिये काफी हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

दोहरा कराधान

†२९६६. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत और पश्चिम जर्मनी में जो दोहरे कराधान से बचने के लिये करार किया गया है उसका ब्योरा क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : आय पर दोहरे कराधान से बचने के लिये भारत और जर्मनी के गणराज्य में एक करार का जो प्रारूप जून १९५८ में एक भारतीय कराधान शिष्टमंडल के बॉन जाने पर सरकारी स्तर पर तैयार करना आरम्भ किया गया था उस पर १८-३-१९५९ को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किये गये थे। करार की पुष्टि करनी होगी। अभी कुछ औपचारिक कार्यवाही की जानी है इसलिये करार की शर्तें अभी नहीं बताई जा सकतीं।

स्थगन प्रताव

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मुझे कुछ स्थगन प्रस्तावों की सूचना मिली है। जिनमें से एक श्री उ० चं० पटनायक का, दूसरा श्री खाडिलकर का, तीसरा श्री स० म० बनर्जी तथा श्री पाणिग्रही का, चौथा श्री हेम बरुआ का, पांचवां पंडित ब्रज नारायण 'ब्रजेश' का, तथा छठा श्री वाजपेयी का है। यह सभी स्थगन प्रस्ताव १० अप्रैल, ५९ को भारतीय वायुसेना के कैनबेरा विमान को पाकिस्तानी जैट विमानों द्वारा गोली मार कर गिरा देने के बारे में हैं। मैं इससे तो सहमत हूं कि यह मामला

†मूल अंग्रेजी में

[उपाध्यक्ष महोदय]

अविलम्बनीय लोक महत्व का है और इस के बारे में एक वक्तव्य दिया जाना चाहिये जिससे देश के लोगों को पूरी स्थिति का पता चल सके। परन्तु इस बारे में मुझे सन्देह है कि इसके लिये केन्द्रीय सरकार किस प्रकार जिम्मेदार है। क्या श्री उ० चं० पटनायक मुझे बतायेंगे कि केन्द्रीय सरकार की इस सम्बन्ध में क्या जिम्मेदारी है।

†**श्री उ० च० पटनायक** (गंजम): हम जानना चाहते हैं कि यह कैनबेरा विमान पाकिस्तानी क्षेत्र में कितनी दूर चला गया था।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : जैसा मैंने कहा, मैं इससे पूर्णतया सहमत हूं कि घटना से सम्बद्ध सभी तथ्य सभा को बताये जायें और मैं सरकार से इसके लिये कहूंगा। माननीय सदस्य भी यही चाहते हैं। मेरी राय में यह मामला स्थगन प्रस्ताव के लिये उपयुक्त नहीं है, अतः मैं इसकी अनुमति नहीं देता, लेकिन मैं प्रधान मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में वक्तव्य दें।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : स्पष्ट है कि यह घटना बड़ी ही गंभीर एवं खेदजनक है। इसके बारे में सम्बन्धित तथ्यों को जानने के लिये सभा की उत्सुकता मैं समझता हूं। वैसे तो जो बातें हमें पता हैं उन्हें मैं सभा के सामने रख देता परन्तु यदि आप अनुमति दें तो दोपहर बाद कोई समय निश्चित कर दिया जाये जब प्रतिरक्षा मंत्री इसके तथ्यों के बारे में वक्तव्य दें। इस समय वह दिल्ली में नहीं हैं। वह दोपहर बाद लौटेंगे। मेरा सुझाव है कि साढ़े पांच बजे प्रतिरक्षा मंत्री को वक्तव्य देने की अनुमति दी जाये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह बिल्कुल ठीक होगा। जब वक्तव्य दिया जायेगा उस समय सभी तथ्य सामने आ जायेंगे।

सभा-पटल पर रखा गया पत्र

खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम के अधीन अधिसूचना

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : मैं खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम १९५७ की धारा २८ की उपधारा (१) के अन्तर्गत दिनांक २८ मार्च, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३४९ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-१३४९/५९]**

सभा का कार्य

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : आपकी अनुमति से तथा श्री सत्य नारायण सिंह की ओर से, मैं मंगलवार १४ अप्रैल, १९५९ को आरम्भ होने वाले सप्ताह में लिये जाने वाले सरकारी कार्य की घोषणा करता हूं, जो इस प्रकार होगा :—

(१) सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा तथा मतदान;

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) वाणिज्य तथा उद्योग, और वित्त मंत्रालय की अनुदानों को मांगों पर चर्चा तथा मतदान;

(३) अनुदानों की अवशिष्ट मांगों को सभा में मतदान के लिए रखा जाना;

(४) वित्त विधेयक, १९५९ पर विचार तथा उसका पारित किया जाना।

सरकारी भाषा के सम्बन्ध में संसद की समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा के बारे में

†**श्री फ्रेंक एन्थनी** (नाम निर्देशित-आंग्ल भारतीय): क्या मैं जान सकता हूं कि गृह-कार्य मंत्री सरकारी भाषा के सम्बन्ध में संसद् की समिति का प्रतिवेदन सभा-पटल पर कब रखेंगे तथा उस पर चर्चा का कब और कितना समय दिया जायेगा ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)**: मेरा विचार इसे राज्य-सभा का सत्र आरम्भ हो जाने पर इस महीने की २० या २१ या २२ तारीख को या उसके आसपास दोनों सदनों की पटलों पर रखने का है। इस पर चर्चा कब होगी इसका निर्णय कार्य मंत्रणा समिति करेगी।

अनुदानों की मांगें

पुनर्वास मंत्रालय

†**उपाध्यक्ष महोदय**: अब सभा पुनर्वास मंत्रालय को अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा करेगी। श्री प्रकाश वीर शास्त्री अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री (गुड़गांव): उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहली बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अब तक जिस प्रकार की परम्परा रही है कि किसी भी मंत्रालय के अनुदानों पर जब चर्चा आरम्भ होती है तो उसमें जहां बहुत से माननीय सदस्य अंग्रेज़ी में अपने भाषण देते हैं वहां हिन्दी में बोलने वालों का अनुपात भी पर्याप्त रहता है। परन्तु माननीय मंत्री महोदय की ओर से उत्तर दिया जाता है तो वह प्रायः अंग्रेजी में ही होता है। मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से पिछले अधिवेशन में एक बार हमारे माननीय प्रधान मन्त्री महोदय ने विदेश मन्त्रालय पर हुई बहस का उत्तर अंग्रेज़ी में भी दिया था लेकिन जिन सदस्यों ने हिन्दी में चर्चा की थी, उनका उत्तर हिन्दी में ही दिया था, उसी तरह से.........

उपाध्यक्ष महोदय: क्या आप यह चाहते हैं कि रिहैबिलिटेशन की डिमाण्ड्स पर भी ऐसा हो ?

श्री प्रकाशवीर शास्त्री: इतना कह कर के अब मैं रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री की जो डिमाण्ड्स हैं, उन पर चर्चा आरम्भ करता हूं।

मुझे यह जान कर बड़ी प्रसन्नता हुई कि जब पुनर्वास विभाग की ओर से यह सूचना इस सदन को और बाहर भी दी गई कि लगभग एक वर्ष के पश्चात्, इस मन्त्रालय को समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि जो दायित्व इस मन्त्रालय को सौंपे गये थे उन दायित्वों को

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

वह अभी तक पूरी तरह से निभ्भ नहीं पाया है और जो विस्थापित भाई उधर से इधर आए हैं उनकी समस्यायें ज्यों की त्यों पड़ी हुई हैं । मैं जिस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, वहां पर कुछ स्थान इस प्रकार के हैं । जहां पाकिस्तान से आए हुए विस्थापित भाई रहते हैं । पुनर्वास मंत्रालय की ओर से जो तीन चार टाउनशिप बसाये गये हैं जैसे राजपुरा है, हस्तिनापुर है, फरीदाबाद है और कुछ इस प्रकार के टाउनशिप हैं, वहां पर बसे हुए विस्थापितों के बारे में शासन की नीति यह है कि वहां पर कुछ औद्योगिक क्षेत्र बनाये जायें, जिससे कि उन लोगों को रोज़ी देने का प्रबन्ध हो सके और उनके परिवारों के भरणपोषण की व्यवस्था सुगमता के साथ हो सके ।

जहां तक राजपुरा टाउनशिप का सम्बन्ध है, उसके बारे में मुझे बहुत अधिक विस्तृत जानकारी नहीं है, परन्तु इतना मैं अवश्य जानता हूं और यह इस आधार पर कि मुझे दो तीन बार वहां जाने का अवसर मिला है कि वहां पर एक बिस्कुट का बहुत बड़ा कारखाना है जो वहां पर पहले से ही चालू था । उसके अतिरिक्त अभी तक राजपुरा टाउनशिप को कोई औद्योगिक क्षेत्र बनाने की दिशा में विशेष प्रगति नहीं हुई है ।

जहां तक फरीदाबाद का सम्बन्ध है, वहां पर ३५,००० के लगभग विस्थापित भाई रहते हैं । हमारे पुनर्वास मन्त्रालय ने फरीदाबाद को औद्योगिक क्षेत्र बनाने का पर्याप्त प्रयास किया है । लेकिन दुर्भाग्य वहां के निवासियों का यह है कि इन फैक्टरियों में या इन कारखानों में जिन लोगों को रखा गया है उसमें फरीदाबाद के लोगों का अनुपात जितना अपेक्षित था उस अनुपात से नहीं रखा गया है और सबसे बड़ी कठिनाई की बात यह है कि फरीदाबाद का प्रबन्ध करने वाला जो एक डिवेलेपमेंट बोर्ड है, उस बोर्ड में कुछ इस प्रकार के व्यक्ति बिठाये गये हैं कि जो पैंशन याफ्ता लोग थे । उनको वहां पर नियुक्त करने की दृष्टि से अगर शासन का सीधा हस्तक्षेप वहां पर होता तो इस प्रकार के लोग बीच में नहीं आ सकते थे और उनके द्वारा लोगों की जो समस्यायें हैं, उनको सुलझाने में जो कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं, वे हमारे माननीय पुनर्वास मंत्री महोदय के सामने हैं ।

सबसे बड़ी कठिनाई इस समय वहां के विस्थापितों के सामने यह है कि उनको बसाने के लिये जो क्वार्टर बनाये गये हैं, जैसा कि शासन का कहना है कि ७० बाई ३० फुट का जो क्वार्टर है, उसकी लागत कीमत २६०५ रुपये तै की गई है लेकिन जो विस्थापित भाइयों से कीमत ली जायेगी तीस वर्षों में सूद-दर-सूद लगा कर के वह कीमत ४२७५ के लगभग बैठती है । इस विषय में मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन यह है कि जो भाई पंजाब से या फ्रण्टियर से या सिंध से या बंगाल से उजड़ कर आए हैं, यदि देखा जाए तो उन्होंने यह तपस्या, उन्होंने यह बलिदान और उन्होंने यह मुसीबत देश की स्वाधीनता के लिये ही मोल ली है और हमारी नैतिकता का यह तकाज़ा नहीं है कि जो क्वार्टर हमको २६०० में पड़ा है, उसकी कीमत हम सूद-दर-सूद लगा करके वसूल करें । वे लोग इतनी कीमत अदा करने की स्थिति में भी नहीं हैं । ४२७५ रुपये उनसे लिये जायें, यह स्थिति ठीक नहीं है ।

दूसरी समस्या जो फरीदाबाद टाउनशिप की है वह यह है वहां एक बहुत बड़ा अस्पताल है जिसको बादशाह खां अस्पताल कह कर पुकारा जाता है । १५० के लगभग वहां बैड्स हैं । लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, आपको यह जान कर आश्चर्य होगा कि अभी तक इस इतने बड़े अस्पताल में किसी भी विषय का कोई स्पेशलिस्ट वहां नहीं रखा गया है । कुछ समय पहले वहां एक सर्जन था लेकिन अब बहुत समय से कोई सर्जन भी वहां नहीं है । इसका अभिप्राय यह होता है कि जहां पर चालीस के लगभग फैक्टरियां हैं, अगर उनमें से किसी फैक्ट्री में किसी मज़दूर की हड्डी टूट जाती है या और इस प्रकार का कोई सीरियस एक्सिडेंट हो जाता है तो उसके इलाज के लिए, उसके उपचार के लिए, उसको दिल्ली भागना पड़ता है । दूसरी भाषा में यह कहना होगा कि फरीदाबाद का विस्था-

पित अगर मरना भी चाहे तो वह दिल्ली में आकर मर सकता है, फरीदाबाद में उसके मरने की भी गुंजाइश नहीं है । इस प्रकार की व्यवस्था वहां के अस्पताल में है । हमारे पुनर्वास मंत्री महोदय अच्छी तरह से जानते हैं कि फरीदाबाद में रहने वाले ३५,००० इन विस्थापितों में से लगभग १०,००० विस्थापित इस प्रकार के हैं कि जिन के परिवार वालों को एक समय का ही केवल भोजन मिल पाता है । जो आर्थिक दृष्टि से इतने दुर्बल हैं, वे अपना इलाज करवाने के लिये अगर अस्पताल में जाते हैं तो परची देकर दवाई लेने के लिये उनको बाजार भेज दिया जाता है । इतना बड़ा अस्पताल है और इस पर सरकार लाखों रुपये व्यय करती है, फिर भी वहां पर से बीमार व्यक्तियों को निराश होकर लौटना पड़े, यह हमारे शासन के लिये कोई श्रेयरकर स्थिति नहीं है ।

फरीदाबाद में फैक्ट्रियों पर गवर्नमेंट ने बहुत पैसा लगाया है । १८--२० लाख रुपये के करीब वर्किंग कैपीटल के रूप में दिया है और बिल्डिंग कैपीटल के रूप में लगभग २९ लाख रुपया फरीदाबाद को दिया गया है । लेकिन जैसा मैंने पहले निवेदन किया है, औद्योगिक क्षेत्र बनाने के पीछे शासन की नीति यह है कि जो लोग डेहरा इस्माईल खां और फ्रण्टियर से आए हैं, उनको उन फैक्ट्रियों के अन्दर खपाया जा सके । लेकिन अभी तक फरीदाबाद के अन्दर इस प्रकार की जो फैक्ट्रियां हैं, उनको अधिक से अधिक रुपया दिये जाने के पश्चात् भी एक भी मजदूर उनमें ऐसा नहीं है, जोकि फरीदाबाद का रहने वाला हो । उदाहरण के लिये मैं डोगरा स्टील वर्क्स का नाम लेता हूं । इस फैक्ट्री को ८६,००० रुपया वर्किंग कैपीटल के रूप में दिया गया है लेकिन इतना रुपया देने के बावजूद भी अभी तक डोगरा, स्टील वर्क्स के अन्दर एक मजदूर भी फरीदाबाद का रहने वला नहीं लगाया जा सका है । इसी तरह से फरीदाबाद ब्वेरी वर्क्स को जिसे ३०,००० रुपया दिया गया है गवर्नमेंट की ओर से, उसमें एक भी मजदूर इस प्रकार का नहीं है जो फरीदाबाद का रहने वाला हो । जब आप औद्योगिक क्षेत्र बनाते हैं और शासन की ओर से उनको पैसा दिया जाता है तो यह कहां तक उचित है कि वहां के रहने वालों में से एक को भी मजदूर की नौकरी पर न लगाया जाए और बाहर के लोगों को वहां खपाया जाए ।

वहां पर फैक्ट्रीज़ में जो नियुक्तियां की भी जाती हैं, उनका तरीका यह है कि प्रायः उनको अस्थायी रूप से, टैम्पोरेरी रूप से रखा जाता है और तीन महीने के पश्चात् उनको दुबारा नौकरी के लिए, सर्विस के लिये प्रार्थनापत्र देने पड़ते हैं । फैक्ट्री के मालिक नौकरों के साथ यह इसलिये करते हैं कि जो लेबर के लिए आपने कानून बनाया हुआ है, उन पर वह लागू न हो सके और उस कानून के अन्तर्गत जो सुविधायें लेबर को उन्हें देनी पड़ती हैं, जो संरक्षण देने पड़ते हैं, वे लेबर को न मिलें । इस लिये हर तीन महीने के बाद उनको फैक्ट्री मालिक के दरवाजे पर जा करके उसी प्रकार से प्रणाम करना पड़ता है उसी प्रकार एक दयनीय स्थिति में जा करके खड़ा होना पड़ता है और यह उनकी कृपा पर निर्भर करता है कि उनको रक्खें या न रक्खें । वह रख लेते हैं लेकिन रखने के पश्चात् लेबर कानून के अनुसार उनको जो सुविधायें प्राप्त होनी चाहियें वह नहीं प्राप्त होतीं । हर तीसरे मास में उनकी टैम्पोरेरी सर्विस दुबारा प्रारम्भ कर दी जाती है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन की नौकरियों के सम्बन्ध में कुछ स्थायित्व आना चाहिये और उनको थोड़ी मज़बूती मिलनी चाहिये जिससे उनको जीवन के सम्बन्ध में और भी कुछ आवश्यक सुविधायें प्राप्त हो सकें ।

फरीदाबाद के अन्दर एक फैक्ट्री है ईस्ट इण्डिया काटन मैनुफैक्चरिंग कं० (प्राइवेट) लिमिटेड । उस फैक्ट्री के अन्दर जो कार्य होता है उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती है । पहले यह फैक्ट्री एक फैक्ट्री के रूप में संगठित हुई और अगर वह एक फैक्ट्री के रूप में काम करती रहती तो हमारी गवर्नमेंट को ८ लाख ३ हजार, ८८० रु० एक्साइज ड्यूटी के रूप में मिलते । लेकिन उन्होंने एक्साइज ड्यूटी को बचाने के लिये आगे चल कर इस फैक्ट्री को दो हिस्सों में बांट दिया । आज उससे गवर्नमेंट को केवल ६ लाख, ६५ हजार ८२० रु० ही मिलते हैं । इस तरीके से इस फैक्ट्री के मालिकों ने और प्रबन्धकों ने १ लाख, ३८ हजार, ६० रु० एक्साइज ड्यूटी के बचाये । मेरा निवेदन यह है कि जब उसे औद्योगिक

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

क्षेत्र बनाया गया है तो यह आशा की जाती है कि इस औद्योगिक क्षेत्र से अधिक से अधिक आय हो सकेगी लेकिन इस प्रकार से फैक्ट्री के विभक्त होने के पश्चात् आज शासन को पूरा पैसा नहीं दिया जा रहा है । ऐसी दशा में हमें बहुत सावधान होकर कार्य करना चाहिये ।

मैं जो विशेष बात कहना चाहता हूं अपने पुनर्वास मंत्री से वह यह कि फरीदाबाद के लोगों की खराब स्थिति को देखते हुए वहां पर क्लैम्स सेट्लमेंट दफ्तर पहले फरीदाबाद में खोला गया था । फिर न जाने क्यों उस क्लैम्स् सेट्लमेंट आफिस को यहां बुला लिया गया । फरीदाबाद के विस्थापितों की इस प्रकार की स्थिति है कि वह बार-बार दिल्ली आयें और यहां आकर प्रतीक्षा करें, फिर अगली तारीख दे दी जाय, फिर दुबारा यहां आयें और फिर अगली तारीख दे दी जाय । इस प्रकार की दयनीय स्थिति में उन लोगों के साथ बड़ा अन्याय होता है । इसलिये मेरा निवेदन है कि यह क्लेम्स सैट्लमेंट का आफिस दुबारा फरीदाबाद के अन्दर स्थापित कर दिया जाय जिस से वहां क गरीब लोगों की परेशानी दूर हो सके ।

इस फरीदाबाद के संबंध में एक बात और कहना चाहता हूं । फरीदाबाद में पांच वार्डों में से नं० ४ वार्ड हमारे पुनर्वास मंत्रालय ने इस लिये खाली छोड़ा था कि जो उनकी स्माल स्केल इंडस्ट्रीज की योजना है उस के लिये छोटे छोटे उद्योग आरम्भ किये जायेंगे । गरीब आदमियों को उस के आधार पर कुछ थोड़ी सी राहत मिल जायेगी । लेकिन अभी तक, इतने वर्षों के बाद भी नं० ४ वार्ड खाली पड़ा हुआ है और लघु उद्योगों की स्थापना के लिये पुनर्वास मंत्रालय के द्वारा कोई भी पग नहीं उठाया जा सका । जो पुस्तिका आप की ओर से प्रकाशित की गई है उस में आप ने स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के लिये कुछ राशि निर्धारित की है । इस आधार पर मेरा निवेदन है कि पुनर्वास मंत्री जी से फरीदाबाद के लोगों को राहत देने के लिये ४ नं के वार्ड में, जो कि अभी तक रिक्त पड़ा हुआ है, छोटे-छोटे उद्योग आरम्भ किये जायें जिस से फरीदाबाद के परिवारों की देवियों और जो मजदूर हैं वह जा कर अपनी क्षुधा पूर्ति के लिये वहां पर काम कर सकें और अपने निर्वाह में समर्थ हो सकें ।

इसके बाद मैं कुछ शिक्षा के सम्बन्ध में भी कहना चाहता हूं । अभी तक ३५ हजार की आबादी की उस बस्ती में केवल मैट्रिक तक शिक्षा देने का प्रबन्ध है । मैट्रिक के पश्चात् कुछ भी नहीं है । मैं पुनर्वास मंत्री जी का इस बात के लिये धन्यबाद दूंगा कि मैं एक बार उन से मिल कर निवेदन किया तो उन्होंने मेरे अनुरोध को स्वीकार करते हुए हमारे सांस्कृतिक मंत्री को यह लिखा कि एक टेकनिकल स्कूल फरीदाबाद में खोल दिया जाय । हमारे सांस्कृतिक मंत्री ने इस विषय में थोड़ी सी सहानुभूति भी दिखाई । पंजाब के लिये जब हमने लिखा तो गुड़गांव स्वीकृत तो हुआ, लेकिन फरीदाबाद के लोगों का दुर्भाग्य, कि वहां पर गुड़गांव के एक मिनिस्टर थे वह बजाय फरीदाबाद के उसे रिवाड़ी में खींच कर ले गये जब कि बगल में सिर्सा में दूसरा टेकनिकल स्कूल खुल रहा है । इस सम्बन्ध में लोगों को राहत देने के लिये अगर टेकनिकल स्कूल खोला जाय तो अच्छा है, नहीं तो फिर उच्च शिक्षा के लिये डिगरी कालेज ही खोल दिया जाय ।

इस के बाद मैं एक विशेष बात डेवेलपमेंट बोर्ड के संबंध में कहना चाहता हूं । मैं ने अपने पुनर्वास मंत्रालय के मंत्री महोदय को लिखा भी था कि डेवेलपमेंट बोर्ड में काम करने वाले जो लोग हैं उन की सर्विसों की क्या गारंटी है । जब दस वर्ष पहले यह विभाग स्थापित हुआ था तो इस विभाग की भी स्थापना पुनर्वास मंत्रालय की ओर से हुई थी, अब तक जो ६ करोड़ रु० इस फरीदाबाद की उन्नति पर खर्च किये गये हैं वे भी इसी विभाग की ओर से खर्च किये गये हैं । लेकिन दस-दस वर्ष पश्चात यहां पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के अगले जीवन का जब सम्बन्ध आता है तो न पंजाब

गवर्नमेंट इस दायित्व को लेने के लिये तैयार होती है और न सैन्ट्रल गवर्नमेंट ही तैयार होती है। हमारे पुनर्वास मंत्रालय का कहना है कि कि जब हम फरीदाबाद का पूरा चार्ज पंजाब गवर्नमेंट को सौंपेंगे तो हम उन के सर्विस के संबंध में भी यह निवेदन करेंगे कि प्रायरिटी उन को दी जाय। लेकिन प्राथमिकता देने के साथ साथ दस दस वर्ष तक जो उन्होंने दियानतदारी के साथ सेवा की है उस के सम्बन्ध में आप क्या गारैन्टी देना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि दस वर्ष की सर्विस के लिये उन्हें कुछ इस प्रकार की सुविधायें अवश्य मिलनी चाहियें जिस से आगे चल कर उन को दिक्कत न हो। अगर किसी आदमी को २५० रु० वेतन मिलता था उस को नये सिरे से आरम्भ करके १०० वेतन दिया जाय तो चूंकि वह २५० रु० के वेतन में अपने बच्चों को शिक्षा देने का अभ्यस्त है इस लिये १०० रु० में ऐडजस्ट करने में उसे कठिनाई होगी।

अब जो कुछ मैं कहना चाहता हूं वह इस इलाके की ही नहीं बल्कि पूरे पंजाब की समस्या है और वह खुराक की तकावी के संबंध में है। जो वहां के विस्थापित उजड़ कर कैम्पों में आ कर बसे थे, इस सम्बन्ध में उन को थोड़ा सा आटा वगैरह दिया जाता था। बहुत से लोगों को देहातों में फैलाने के लिये पुनर्वास मंत्रालय की ओर से कहा गया था कि अगर वह वहां चले जायें तो वह उन को थोड़ा सा लोन देगा। हर आदमी को साढ़े तीन रु० के हिसाब से और छोटे बच्चों को पौने दो रू० के हिसाब से। उस समय यह सहयोग दिया गया था जो कि अब वापिस लिया जायगा। हालांकि इस तरह की कोई लिखा पढ़ी उस समय नहीं हुई थी कि यह ऋण है, लेकिन अब आज वह रुपया वसूल किया जा रहा है। अकेले गुड़गांव जिले में २ लाख रु० इस तरह का है जो वसूल किया जायगा। मेरा निवेदन यह है कि जब वह सहयोग के रूप में दिया गया था और दुखी स्थिति में दिया गया था तो या तो उस रुपये को छोड़ ही दिया जाय या फिर अगर लिया जाना है तो ३० वर्ष में तकावी की शक्ल में लिया जाय।। आज तहसीलदार और पटवारी उन के घरों पर धरना दिये बैठे हैं और उन की कुर्कियां चल रही हैं। इस सम्बन्ध में थोड़ी सी सहूलियत उन को आज प्राप्त होनी चाहिये।

अब जो लोग पूर्वी पाकिस्तान से आये हैं उन के बारे में थोड़ा सा आप का ध्यान दिला कर मैं समाप्त कर दूंगा। आप की पुस्तिका में लिखा हुआ है कि १ अप्रैल, सन् १९५८ के बाद पूर्वी पाकिस्तान से प्रव्रजन करने वालों को पुनर्वास की सुविधायें नहीं दी जायेंगी। मेरा निवेदन है कि यह दूसरे देशों के लोगों को तो हम अपने देश में सुविधा दे सकते हैं तब जो हमारे अपने हैं जो वहां की परेशानियों से तंग आ कर यहां आ रहे हैं, उन को यह सुविधा न दी जाय तो यह कहां तक ठीक होगा। इस संबंध में मेरा निवेदन यह है कि यह जिस प्रकार सरदार पटेल ने यह कहा था कि अब जब हमारा बटवारा हो चुका है तो जो लोग यहां पर रह गये हैं उन की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और जो उधर हैं उन की जिम्मेदारी आप के ऊपर है। इस के बाद भी अगर वहां से लोग आते हैं भाग भाग कर तो इतनी धरती आप हमें दें ताकि हम आने वाले लोगों को बसा सकें। उसी तरह से मेरा निवेदन है कि जो लोग वहां से अपने जीवन की समस्या से परेशान हो कर आप का दरवाजा खटखटा रहे हैं उन की ओर ध्यान दिया जाय। हम शरणागत को शरण देने में सदा से निपुण चले आये हैं। इस लिये इस प्रकार का आदेश निकालना हमारे लिये अमानवीय बात होगी।

अब मैं विशेष रूप से उन के संबंध में कहना चाहता हूं जो कि पुराने किले के शरणार्थी हैं, जिन की इतनी चर्चा हो चुकी है। अगर पुनर्वास मंत्रालय उन को वहां से हटा रहा है तो उन के लिये जमीन की व्यवस्था और मकान की व्यवस्था होनी चाहिये। मकान बनाने के लिये उन को थोड़ा सा ऋण दिया जाय।

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

अब इतना ही निवेदन कर के मैं बैठा जाता हूं कि जो हमारे भाई उधर से उजड़ कर आये हैं उन की तरफ हम को अवश्य ध्यान देना होगा। हम भले ही इस बात को बढ़ बढ़ कर अपने भाषणों में कहें कि हम ने इस देश की स्वाधीनता के लिये खून का एक कतरा नहीं बहाया, लेकिन वह लोग भी जो अपनी बहनों, अपनी माताओं, पुत्रों को छोड़ कर चले आये हैं, और आज भी उनकी आंखों में आंसू रुक नहीं सके हैं, उन को देख कर के आज हमारी आत्मा टकरा टकरा कर कहती है कि उन का दायित्व हमारे ऊपर है और जब तक उन को हम अच्छी तरह से नहीं बसा सकेंगे तब तक पुनर्वास मंत्रालय का दायित्व नहीं समाप्त हो सकता ।

श्री पहाड़िया (सवाई माधोपुर–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत थोड़े समय में केवल दो चार बातें अर्ज कर के अपना भाषण समाप्त करूंगा। हमारे पुनर्वास मंत्री जी को यह भली भांति मालूम है कि मैं उस इलाके से आता हूं जहां एक तरफ तो शरणार्थी बसते हैं, दूसरी तरफ लोकल हिन्दू हैं और तीसरी तरफ उन के द्वारा बसाये गये लोग जो कि वहां के रहने वाले हमारे मेव भाई हैं, जो मुसलमान हैं। वह इलाका एक ऐसी जगह है जिस को देख कर बहुत से प्रश्न उठ खड़े होते हैं। हमारे पुनर्वास मंत्री जी भी दो तीन बार वहां जा चुके हैं, यहां पर भी कई बार उस के ऊपर विचार विमर्श हो चुका है। उन की जो भी तमाम समस्यायें हैं उन को मैं छोड़ता हूं केवल भूमि सम्बन्धी समस्या के बारे में कहना चाहता हूं। वह अभी तक सुलझ नहीं पायी है। वहां के शरणार्थियों को जमीनें देने का बहुत बड़ा सवाल है। जिस समय उन को वहां भेजा गया वहां पर उन को वाजिब तरीके से जमीनें दी गई या नहीं, उन को स्थायी तौर पर बसाया गया या अस्थायी तौर पर, आज मेरा यह विषय नहीं है, लेकिन मैं साफ तौर से जानना चाहता हूं कि जब लोकल काश्तकारों को राजस्थान टेनेन्सी ऐक्ट के हिसाब से यह अधिकार दिया जा रहा है और जब यह मान लिया गया है, कि जो जमीन जोतेगा वह जमीन उस की होगी, उस को खाते दारी के राइट्स प्राप्त होंगे, तो इन शरणार्थियों के साथ यह भेद भाव क्यों बरता जाता है? मैं इसे अन्याय तो नहीं कहना चाहता लेकिन कम से कम इस तरह का भेद भाव उन के साथ नहीं होना चाहिये। जो अधिकार राजस्थान टेनेन्सी ऐक्ट के हिसाब से लोकल काश्तकारों को मिला हुआ है वहीं उन को भी दिया जाना चाहिये ताकि उन को यह सर्टेन्टी रहे कि वह जो जमीन जोतेंगे वह उन की रहेगी।

(श्री बर्मन पीठासीन हुए)

जहां तक मालिकाना हक का सवाल है, मालिकाना हक के लिये आपने कहा कि जो दरें निश्चित की गई हैं उनके हिसाब से अगर वह कुल रुपया जमा करा दें तो उनको मालिकाना हक प्राप्त हो जायेगा। जो लोग मालिकाना हक प्राप्त करना चाहते हैं वे उसको प्राप्त करने के लिये आप के पास कीमत जमा करायेंगे उनको तो आप मालिकाना हक दे देंगे लेकिन जो लोग काश्तकाराना हक लेना चाहते हैं, खातेदारी हक लेना चाहते हैं उनको भी जल्दी से जल्दी फैसला सुना दें ताकि उनको खातेदारी हक मिल जाये और वह उस भूमि पर डट कर दूसरे काश्तकारों की तरह से काश्त कर सकें। इसके साथ ही वहां पर दूसरे काश्तकार भी हैं लोकल मेव भी हैं। सन् १९४७ के पहले जबकि वहां मेव बसते थे तो सारी जमीनों पर मेवों, लोकल काश्तकारों और हरिजनों का मालिकाना हक था। सन् १९४७ में मेवों के भाग जाने के बाद एक अजीब फिज़ा बनी। वहां पर शरणार्थी पहुंचे और वे उन जमीनों पर आबाद हुये और खेतीबाड़ी करने लगे। बाद में जब मेव वापिस आ गये तो उन जमीनों पर खाली मालिकाना हक ही नहीं मांगा बल्कि उन जमीनों का कब्जा भी वापिस मांगा। अब लोकल काश्तकार जो कि जमीन पर काश्त करते थे

उन्होंने भी मतालवा किया कि हमारी जमीन हमको मिलनी चाहिये और मेव उधर उन पर काबिज होने का मतालबा कर रहे हैं। अब वहां पर लोकल काश्तकार की, मेवों की और दूसरे रेफ्यूजीज़ भाइयों की समस्यायें हैं उनको ठीक से सुलझाने के लिये और सैट्ल करने के लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार कोई एक ऐसी कमेटी का निर्माण करे जो कि इस मामले को ठीक सुलझाये वैसे पहले भी इस बारे में काफी विचार विमर्श हो चुका है लेकिन मैं चाहता हूं कि इस समस्या को अन्तिम तौर पर जल्द से जल्द खत्म करना चाहिये। मेरी यह मांग है कि मेवात में राजस्थान टेनेंसी ऐक्ट के हिसाब से लोकल काश्तकारान को जो मालिकाना हक या खातेदारी का हक मिला हुआ है वह रेफ्यूजीज़ को भी मिलना चाहिये।

दूसरा सवाल वहां के लैंड और मकानों के बढ़े हुये किराये का है। वहां पर उनसे काफी रैंट लिया जाता है जो कि सोच समझ कर वाजिब तरीके पर लिया जाना चाहिये। वहां पर शरणार्थियों से दुगना किराया लिया जाता है। इस पर विचार हुआ कि दुगना नहीं लिया जाना चाहिये और चूंकि फसल भी खराब हो गई इसलिये सवाया रैंट लेना चाहिये लेकिन इस सवाये रैंट को यह कर अमल में लाया जा रहा है कि यह एक खास समय के लिये ही है। अब मेरा कहना यह है कि शरणार्थियों की स्थिति अच्छी नहीं है और वह यह बढ़ी हुई दर का लगाने देने की बिलकुल हैसियत में नहीं हैं। एक बार यह तय भी हुआ कि वे अपना रैंट इंस्टालमैंट्स में देंगे लेकिन बाद में वह चीज़ भी पता नहीं क्यों ढीली पड़ गई और आज सरकारी अफसरान उनको लगान के और रैंट के कारण बहुत परेशान करते हैं और वे बेचारे अपने दुखों और मुसीबतों की फरियाद लेकर हमारे पास भागे आते हैं। इसलिये हमें इस चीज़ को मान लेना चाहिये कि अगर हम रेफ्यूजीज़ को उन पर मालिकाना हक़ नहीं देना चाहते तो मत दीजिये लेकिन काश्तकाराना हक़ या खातेदारी का हक़ लोकल काश्तकारान को दे देना चाहिये और जो लगान आपने तय किया है उसके हिसाब से उनसे वसूल किया जाना चाहिये।

बहुत से भाइयों को जमीन के साथ में मकान भी मिले थे और मकान देते समय उनसे कहा गया था कि जिनके १०००० से नीचे के क्लेम्स हैं वे अपने क्लेम्स दर्ज न करायें और उनको वैसे ही दूसरे रूप में मुआविजा दे दिया जायगा। लेकिन बाद में यह मालूम हुआ कि उन भाइयों के जिनके कि क्लेम्स १०००० से नीचे के थे और जिन्होंने कि उनको जमा नहीं कराया उनको कुछ भी मुआविजा नहीं मिला और वह वगैर मुआविजा के रह गये। अब जिनको आपने जमीन भी दी है मकान भी दिये हैं जो मकान और जमीन उनको आपने एलाट किये हैं उसके बावजूद भी उनको जमीन और मकान नहीं मिले हैं और वे दूसरों के कब्जे में हैं।

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :जमीनें क्या लोकल्स के पास हैं ?

श्री पहाड़िया : लोक्ल्स के पास हैं या मेवों के पास हैं।

दूसरी बात मैं जो निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि एक एक मकान को आपने दो, दो व्यक्तियों को दे रक्खा है। किसी आदमी को एक जमीन का टुकड़ा दिया और किसी आदमी को एक जमीन का टुकड़ा दिया लेकिन मकान एक ही दोनों को दिया है। अब होता यह है कि मकान में वह रह पाता है जो लट्ठबाज़ होता है और कमजोर और गरीब आदमी डर कर वहां से भाग खड़ा होता है। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि मकान को दो हिस्सों में बांट दिया जाय और पक्का मकान उनको नहीं दे सकते तो कच्चा मकान उनके वास्ते बनवाइये। आपके वायदे के अनसार कच्चे मकान का उसका हक़ है। इसलिये एक ही मकान को जो आपने २ व्यक्तियों को दिया

[श्री पहाड़िया]

हुआ है वैसा न करके या तो उनको अलग अलग मकान दीजिये या फिर उस मकान के कायदे और कानूनी तौर से दो हिस्से कीजिये ताकि यह रोज़मर्रा के उठने वाले झगड़े खत्म हो जायं.....

श्री मा० श्री अणे (नागपुर) : ऐसे कितने मकान हैं जहां कि एक-एक में दो दो आदमी बस रहे हैं ?

श्री पहाड़िया : उसकी संख्या तो मुझे ठीक से मालूम नहीं है। इसका तो मिनिस्टर महोदय को ज्ञान होगा।

राजस्थान में रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री की जो जमीन है उसका प्रबन्ध वैसे तो राजस्थान सरकार के हाथ में रहता आया है लेकिन हो यह रहा है कि इंतजाम तो राजस्थान गवर्नमेंट करती है लेकिन अडंगा सैंट्रल गवर्नमेंट लगाती रहती है और इस अड़ंगेबाजी के कारण वहां के रवेन्यु आफिसर्स काफी परेशान होते हैं और वे बेचारे इस परेशानी में रहते हैं कि किस को एलौट करें और किस को एलौट न करें किस को पट्टा करें और किस को पट्टा न करें। इस संबंध में मेरा सैंट्रल गवर्नमेंट से निवेदन है कि वह मेहरबानी करके अपना पैसा लिये जाय या जो भी कायदे कानून हैं उसको बरते लेकिन वहां का तमाम इंतजाम राजस्थान सरकार को दे दिया जाय जिससे कि कोई निश्चित एथारिटी हो जो कि सब इंतजाम करे। आज हमारे काश्तकार को बड़ी परेशानी का सामना करना होता है और अगर वह कोई पट्टा करना चाहता है तो उसको पता नहीं रहता कि वह किस के पास जाय, पहले कस्टोडियन अफसर के पास जाय या सैटिलमेंट अफसर के पास जाय, और इसलिये मैं चाहता हूं कि काश्तकारों की इस परेशानी को खत्म किया जाय। न तो मेव काश्तकार को पता लगता है न रेफ्यूजी काश्तकार को पता लगता है और इस परेशानी और दिक्कत को रफ़ा करने के लिये कोई एक ऐसी निश्चित एजेंसी बना दी जाय ताकि उनको अपना काम करवाने के लिये अलग-अलग दौड़ना न पड़े, और एक ही एजेंसी पर जाकर वह अपनी दरख्वास्त दे सके और पट्टे वगैरह का सब काम पूरा कर सके।

इसके अलावा यह जो प्रापरटीज़ सेल की जाती है उनके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि अव्वल तो यह होता है कि १०००० रुपये से कम मालियत की जो जमीन है और जो कि शरणार्थी को एलौट की हुई है वह उनको दे दी जायगी और उसको मुआविजे में भर लिया जायगा। लेकिन अमल में हम देखते हैं कि कुछ और ही हो रहा है। एक जमीन पर जिस पर कि शरणार्थी आबाद है उसको आपके आदमी खुले तौर पर नीलाम करते हैं और चूंकि उनके पास उसको खरीदने के लिये काफी पैसा नहीं होता है इसलिये वे उसको खरीद नहीं पाते हैं और उनको उन जगहों से निकाल दिया जाता है। इस तरह के कितने ही केसेज़ मेरे नोटिस में आये हैं और उन्होंने दरख्वास्ते भेजी हैं और मैं समझता हूं कि वह दो, तीन रोज में उन तक पहुंच भी जायेंगी। मैं चाहता हूं कि पुनर्वास मंत्री महोदय और उनका मंत्रालय इस समस्या की ओर ध्यान दे और जो शरणार्थी उन जगहों पर आबाद हैं उनको इस तौर पर निकाल बाहर न किया जाय बल्कि उन जगहों और मकानों में जिनमें कि वे आबाद हों, वे उनको दे दी जायें और उनकी कीमत उनके मुआवजे से काट ली जाय।

श्री मेहर चन्द खन्ना : मैं माननीय सदस्य का बहुत ही मशकूर हूंगा अगर वह मुझे कोई ऐसा केस बतलायेंगे जिसमें कि एक एलौटेबुल प्रापरटी जिसकी कि कीमत १०००० से नीचे हो, जिसका कि आकुपेशन एथोराइज्ड हो और एलौटी उसे खरीदना चाहता हो वह उसको न दी जाकर उस प्रापरटी को नीलाम करने का हुक्म मेरे वहां से दिया गया हो ?

श्री पहाड़िया : मैं अपना भाषण समाप्त करने के बाद मंत्री महोदय को एक प्लाट का ही नम्बर नहीं बल्कि दो प्लाट्स के नम्बर दूंगा जिनमें कि ऐसा किया गया है और वह उनके बारे में जांच पड़ताल करवा सकते हैं ।

अब प्लाट्स की नीलामी के बारे में मेरा निवेदन यह है कि उसमें बड़ी घपलेबाजी चलती है क्योंकि कोई अलग-अलग मकान तो बने हुये हैं नहीं जिनकी कि नीलामी की जानी है। प्लाट्स तो सफा चट जमीन पर होते हैं और उदाहरण की तौर पर मैं आपको बतलाउं कि नवी मुहम्मद नं० १ प्लाट पर वहसियत किरायेदार आबाद है और नम्बर २ प्लाट पर करीम मुहम्मद आबाद है अब जब कस्टोडियन मुहकमे वाले सेल करने जाते हैं तो इस प्लाट्स के सेल में भी रिश्वत चलती है और नतीजा यह होता है कि दोनों प्लाट्स को नकशे में एक ही प्लाट दिखा कर नीलाम कर देते हैं और उसको तकीमुहम्मद खरीददार को दे देते हैं । और वे बेचारे लोकल लोग जो कि उन प्लाट्स के किरायेदार होते हैं मुंह ताकते रह जाते हैं और उनकी बेदखली की नौबत आजाती है। इसलिये मैं चाहता हूं कि आपने जो प्लाट्स की लिस्ट बनाई हुई है वह अब पुरानी हो चुकी है और उसको फिर से रिवाइज करने की बहुत जरूरत है और उनकी लिस्ट लोकल रेकार्डस से टली करनी चाहिये ताकि ठीक से पता चल सके कि कौन से प्लाट की नीलामी हो रही है और आज जो यह गड़बड़ चल रही है वह बन्द हो ।

अब करप्शन की तो बात ही क्या कहना । वहां के लोकल लोग और खास कर हमारे गरीब हरिजन भाई जो कि वहां पर अपनी ज़मीनों पर आबाद थे उनसे तहरीरी सबूत मांगा जाता है कि वह वाक़ई में उन ज़मीनों पर आबाद होने के हक़दार हैं । उनसे कहा जाता है कि आप इसकी दसदीक़ कराइये कि यह आपकी ज़मीन है । अब आप ही समझ सकते हैं कि उन बेचारों के पास तसदीक़ कराने के लिए क्या रक्खा है ? जो कुछ कागज़ात वगैरह थे भी वे आग में जल गये या पानी में बह कर नष्ट हो गये । आज हरिजनों को यह कह कर उन ज़मीनों से बेदख़ल किया जा रहा है कि यह ज़मीन कस्टोडियन की है और कस्टोडियन की कह कर उसको नीलाम कर देते हैं । इस तरह के कितने ही केसेज़ अदालत में चल रहे हैं । अब हरिजन लोगों को इसके कारण बड़ी कठिनाई और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है । पहले आपने फ़ैसला किया था कि जो हरिजन लोग वहां पर रह रहे हैं उनको ही वाजिब तरीक़े पर दिया जायगा और पंजाब में आपने शायद ऐसा किया भी है तो फिर राजस्थान में क्यों इस सुविधा से लोगों को वंचित रक्खा जा रहा है ? करप्शन की हद हो रही है और आपके कस्टोडियन के अफ़सरान जिस को मरज़ी चाहती है उससे कुछ ले कर उसको तो आबाद रहने देते हैं और बाक़ी लोगों को उनकी जगहों को दूसरों को नीलाम करके बेदख़ल कर देते हैं । इस तरह की धींगामुश्ती को रोकना चाहिये ।

इसके साथ ही साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे प्लाट्स हैं जिन को कि रैलीजस लाट्स कह कर आपने छोड़ रक्खा है । अब मसलन वहां पर कोई तकिया था, कच्ची कब्र बनी हुई थी लेकिन अब तो वहां पर खेत खड़ा है और आपने ऐसी ज़मीनों की नीलामी इस बिना पर रोक रक्खी है कि यह रैलीजस प्रापरटीज़ हैं । अब मेरा कहना यह है कि अगर आप ऐसे स्थानों की नीलामी खुले तौर पर नहीं कर सकते तो आप उनको शिक्षा संस्थाओं, अस्पतालों या अन्य समाजोपयोगी संस्थाओं को दे सकते हैं । हम ऐसे प्लाट्स को पंचायतों को दे सकते हैं । अब उन जगहों में न तो कोई मंदिर नज़र आता है, न मस्जिद और तकिया वग़ैरह और मैं नहीं समझता कि उनकी नीलामी क्यों रोकी जा रही है । सरकारी तौर पर उन ज़मीनों का इस्तेमाल किया जा

†मूल अंग्रेजी में

[श्री पाहाड़िया]

सकता है और कोई कारण मुझे तो नहीं दिखाई देता कि वे इस तरह बेकार पड़ी रह । हम से पंचायत और दूसरे क्लब्स ज़मीन की आये दिन मांग करते रहते हैं और हम इस तरह की ज़मीन उन पंचायतों, क्लबों और सामाजिक संस्थाओं को बड़ी आसानी से दे सकते हैं और मुझे तो उस में कोई दिक्कत नज़र नहीं आती है ।

मैं इतना ही निवेदन करके अपना स्थान ग्रहण करता हूं कि मेवात की समस्याओं को मंत्री महोदय शीघ्रातिशीघ्र हल करने का प्रयत्न करें ।

श्री मेहर चन्द खन्ना : जो धार्मिक स्थान हैं उनको नीलाम कर दें ?

श्री पहाड़िया : मैंने अर्ज़ किया कि वहां पर कुछ इस प्रकार के धार्मिक स्थान बिल्कुल बेकार पड़े हुए हैं । वह ज़मीन ऊबड़ खाबड़ हो गई हैं, मकान वग़ैरह कुछ नहीं हैं बिल्कुल ज़मीनें बेकार पड़ी हुई हैं और मंत्री महोदय मुझे यह कहने के लिए माफ़ करें कि लोग उन जगहों पर टट्टी व पेशाब करते हैं । मैं चाहता हूं कि ऐसी ज़मीनों को काम में लाया जाये ।

†**श्री बांगशी ठाकुर** (त्रिपुरा–रक्षित–अनुसूचित आदिम जातियां) श्रीमान मैं समझता हूं कि पुनर्वास विभाग की समस्यायें अब इतनी उलझन वाली हो गई हैं कि उनका कोई हल नज़र नहीं आता है । १९५८–५९ में इस विभाग के लिये भारत सरकार के प्राक्कलित व्यय का ९ प्रतिशत इसी विभाग का व्यय था । । और इस व्यय का यही नतीजा है कि सरकार जनता पर कर लगाती है ; वास्तव में पुनर्वास विभाग से सरकार के खर्चे में बहुत अधिक वृद्धि हुई है ।

त्रिपुरा को लीजिए । मेरे विचार से त्रिपुरा को छोड़ कर विश्व में अन्य कोई स्थान ऐसा नहीं होगा जहां पर शरणार्थियों की संख्या स्थानीय जनसंख्या से अधिक हो । पश्चिमी जर्मनी में शरणार्थियों तथा स्थानीय जनता का अनुपात १ : ४ का है जब कि त्रिपुरा की स्थानीय जनसंख्या ३ लाख थी और ४ से ५ लाख शरणार्थी अब वहां पर हैं । इससे स्पष्ट हो जाता है कि समस्त भारत में त्रिपुरा की शरणार्थी पुनर्वास समस्या सबसे गम्भीर है ।

त्रिपुरा में या तो पहाड़ियां हैं या घने जंगल हैं । खेती योग्य भूमि बहुत थोड़ी है । परिवहन तथा संचार व्यवस्था भी बड़ी खराब है । स्थानीय प्रशासन ने जो उद्योग स्थापित किये हैं वह भी सीमित हैं : पाकिस्तान से वह चारों ओर से घिरा हुआ है । इसके अलावा यह स्थान मैदानों में रहने वाले शरणार्थियों को पुनर्वासित करने योग्य नहीं है । जब पहले पहल शरणार्थी त्रिपुरा में आये तो उन्हें दान के रूप में रुपया दिया गया ; फिर उनसे कहा गया कि वे खेती योग्य भूमि होने का सबूत दें तो उन्हें मकान सम्बन्धी और अन्य ऋण दिये जा सकते हैं । खेती योग्य भूमि दिखाना असंभव था । उन्हें कौन भूमि देता । न ही उनके पास पैसा था । अधिकारी भी नियमों के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते थे । लेकिन सब यह भी सोचते थे कि इन लोगों को जिन्दा रखना है । इसलिये कागज़ पर यह दिखा दिया गया कि अमुक व्यक्ति के पास अमुक जमीन है और फिर उसे ऋण दे दिया गया । अब मेरा कहना यह है कि यदि सरकार प्रत्येक शरणार्थी परिवार को दो एकड़ जमीन देने की स्थिति में है, तो उन लोगों को वंचित न रखा जाये जिनके पास ज़मीन सिर्फ़ कागज़ पर है, असल असल में नहीं । इतना होने पर भी जब सरकार ने इन शरणार्थियों को यहां पर बसाने का निश्चय किया और जब ये शरणार्थी उस भूमि से जंगल साफ करने गये तो वास्तविक मालिक वहां पर आ गया और उसने जंगल साफ करने से इनको रोक दिया । अब मुक़दमे बाजी शुरू हुई और शरणार्थियों को जो धन जंगल साफ करके खेती करने के लिये दिया गया था वह धन अब मुक़दमेबाजी में काम आ रहा है ।

---

†मल अंग्रेजी में

इसलिये मैं यही बताना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जब इतना धन वहां पर व्यय करना चाहते हैं तो कृपा करके इसका भी पता लगायें कि वह धन ठीक प्रकार से व्यय किया जा रहा है। मेरा सुझाव है कि दोनों सदनों के सदस्यों की एक सलाहकार समिति बनाई जाये जो त्रिपुरा की पुनर्वास समस्याओं का अध्ययन करें और अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे।

†**श्री अरविन्द घोषाल** (उलुबेरिया) : शरणार्थी समस्या बहुत दिनों से चली आ रही है तथा यह बड़ी कठिन समस्या है क्योंकि इतने दिन हो जाने पर भी इसका कोई हल नहीं निकाला जा सका जिससे शरणार्थियों तथा अन्य लोगों को संतोष हो जाये। शरणार्थी शिविरों में शरणार्थी पशुओं से भी बुरी हालत में रहते हैं और इसका समस्त उत्तरदायित्व मंत्रालय की अदक्षता पर है। अब तक पूर्वी पाकिस्तान से लगभग ४१ लाख शरणार्थी आये जिन में से ३२ लाख पश्चिमी बंगाल में हैं। इस समस्या के हल न होने का कारण यही है कि केन्द्रीय तथा राज्य दोनों सरकारों ने इस समस्या की गम्भीरता को ध्यान में रख कर इसको हल नहीं करना चाहा। १९५७ तक केन्द्रीय सरकार बड़ी धन राशि राज्य सरकार को दे देती थी तथा राज्य सरकार उस राशि में से शरणार्थियों को ऋण देती थी। ऋण देने में बड़ी धांधली होती थी और इस प्रकार बहुत सा धन शरणार्थियों को न मिल कर बीच के लोगों की जेब में जाता था।

ऋण देने के अतिरिक्त १९५६, १९५७ और १९५८ में ८५० लाख रुपया शरणार्थियों को मकान बनाने के लिये स्वीकार किया गया। परन्तु मुझे संदेह है कि इसका २५ प्रतिशत भी शरणार्थियों को दिया गया। इन मकानों के ऋण के बारे में एक बात यह भी बताना चाहता हूं कि यह धन राशि मकान की लागत के आधार पर नहीं दी जाती थी ; लागत व्यय से यह हमेशा कम होती थी। दूसरे यह किस्तों में दी जाती थी तथा तीसरे इसको देने की व्यवस्था भी कुछ इस प्रकार की थी जिससे भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता था। मेरा विचार है कि यदि ऋण देने के बजाय सरकार ने मकान बनाये होते और उसका वितरण शरणार्थियों में किया होता तो अधिक उपयुक्त होता।

१९५७ में दार्जिलिंग सम्मेलन में पश्चिमी बंगाल सरकार ने अपने राज्य में ५० प्रतिशत विस्थापित व्यक्तियों को बसा लेना स्वीकार किया था। १९५८ की जुलाई में उन्होंने अपना विचार बदल दिया और केवल १०,००० परिवारों को बसाने की जिम्मेदारी ली तथा भारत सरकार ने ३५,००० परिवारों को बसाने की जिम्मेदारी ली और बताया कि जुलाई १९५९ को शिविर बन्द कर दिये जायेंगे : अब मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री बतायें कि हालत क्या है। क्योंकि जुलाई, १९५९ में केवल तीन महीने शेष हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इसहाक़ प्रतिवेदन में जो १६ लाख एकड़ भूमि को कृषि योग्य बनाने की सिफारिश की है उसमें से कितनी भूमि खेती योग्य बना ली गई है।

दण्डकारण्य के बारे में बहुत सी बातें कही जा रही हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री सही तथ्य हमें बतायें।

श्री नवल प्रभाकर (बाह्य दिल्ली—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : सभापति महोदय, मैं पुनर्वास मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं उस काम पर जो उनके मंत्रालय ने किया है। लेकिन मेरे निर्वाचन क्षेत्र की कुछ कठिनाइयां हैं जिनको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

सबसे पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि बहुत से गांवों में पुनर्वास मंत्रालय की भूमि पड़ी हुई है जिसे कोई विस्थापित भाई नहीं ले रहे हैं, और जिन पर जमींदारों ने कब्जा कर लिया है। आपने पंजाब में हरिजनों को मकान आदि बनाने के लिये जमीन दी है। मैं चाहता हूं कि उसी तरह

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नवल प्रभाकर]

से दिल्ली में भी आप हरिजनों को जमीन दें । पिछले दिनों आपने एक प्रश्न के उत्तर में पंजाब के लिये यह स्वीकार किया था कि वह भूमि पिछड़े वर्ग के लोगों को और हरिजनों को दी जानी चाहिये । मैं चाहता हूं कि दिल्ली में भी वही बरताव किया जाये ।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक नई कालोनी झील कुरंजा बनायी गई है । न मालूम वह कालोनी किस विचार से बसायी गई थी, किस इंजीनियर ने इसको बसाने का सुझाव दिया था । मुझे अत्यन्त दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि वह कालोनी बहुत ही नीची जमीन में है । जरा सी बरसात होते ही वहां पानी उबलने लगता है ।

इसके अतिरिक्त वहां के किसानों को आज तक मुआवजा नहीं दिया गया है । जब भी मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के उस इलाके में जाता हूं तो किसान लोग मेरे पास आते हैं और रोने लगते हैं । वह कहते हैं हमें मुआवजा किस कदर कम दिया जाता है । उनको १०० रुपया प्रति बीघा मुआवजा दिया जाता है जो कि दस नये पैसे प्रति वर्ग गज पड़ता है और जिनको उस जमीन पर बसाया गया है उनसे पुनर्वास मंत्रालय ११ रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से वसूल करता है । आप विचार कीजिये कि एक ओर तो विस्थापित लोगों से ११ रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से रुपया वसूल किया जाता है और दूसरी ओर जिनकी वह भूमि है उन किसानों को दस नये पैसे प्रति वर्ग गज के हिसाब से मुआवजा दिया जाता है । यह असमानता बहुत अनुचित मालूम पड़ती है । आप उस पर विकास का खर्च भी लगा लें तो उसे साढ़े चार रुपये, पांच रुपये, साढ़े सात रुपये या ज्यादा से ज्यादा आठ रुपये प्रति वर्ग गज पर विस्थापितों को दें । किन्तु उनसे ११ रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से लिया जाता है और जिस किसान की जमीन है, जिसका सब कुछ उजड़ गया है, उसको दस नये पैसे प्रति वर्ग गज के हिसाब से दिया जाता है, यह कहां तक न्यायसंगत है । मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि उनको इतना कम मुआवजा क्यों दिया जा रहा है और विस्थापितों से इतना अधिक क्यों लिया जा रहा है । मैं चाहूंगा कि वह इसका कारण बतायें ।

जहां तक कि तीन नई कालोनीज़, झील कुरंजा, तहार और रमेश नगर का ताल्लुक है, इन तोनों कालोनीज़ में विस्थापितों को १०० वर्ग गज जमीन और ५२० रुपया फी विस्थापित दिया गया था । हमारी बहिन डा० सुशीला नायर जो पहले दिल्ली राज्य के अन्दर पुनर्वास मंत्री थीं. उन्होंने, सुनते हैं, कहा था कि जिस जमीन पर आपको बसाया गया है वह भूमि आपको मुफ्त दे दी जाती है और यह ५२० रुपया भी आपको मुफ्त दिया जाता है । किन्तु अब उन विस्थापित भाइयों से जिनके कि क्लेम हैं कहा जाता है कि तुमको पूरा रुपया देना होगा और उनसे रुपया वसूल किया जाता है और उस रुपये की वसूली में भी बड़ी असमानता है । किसी से १२०० रुपये वसूल किये गये, किसी से १३०० वसूल किये गये, किसी से १६०० वसूल किये गये और किसी से १८०० वसूल किये गये । मैं मंत्री जी से इस बात का स्पष्टीकरण चाहूंगा कि इस तरह की असमानता एक ही कालोनी में, एक ही जैसे प्लाट के लिये क्यों की जा रही है ।

जिनके क्लेम नहीं हैं उनको ५३० रुपये की छूट दी गई है । किन्तु जैसा कि मैंने अभी बताया, जो जमीन दस नये पैसे प्रति वर्ग गज के हिसाब से ली गई है उस पर अगर आप ५३० रुपये और भी लगा दें तो भी सरकार को लाभ रहता है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बताने की कृपा की जाये कि यह लाभ क्यों है ।

जहां तक इन कालोनीज़ का सम्बन्ध है उनके सम्बन्ध में मैंने बहुत से प्रश्न किये और उनके उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया, उन्होंने एक बहुत लम्बी चौड़ी लिस्ट दी, कि अमुक तारीख को हां बिजली पहुंच जायेगी, अमुक तारीख को नल लग जायेंगे, अमुक तारीख को सीवर लग जायेगा

आदि-आदि । किन्तु जो तिथियां निश्चित की गयी थीं उनको तीन वर्ष बीत गये और अब पुनर्वास मंत्रालय बन्द होने जा रहा है, पर वह सब काम पूरा नहीं हो पाया है । मैंने चार साल पहले एक प्रश्न किया था कि यह जो नई कालोनी झील कुरंजा की है उसमें पानी भर जाता है । उसके उत्तर में मंत्री जी ने कहा था कि हम वहां पर एक पम्प मंगवा कर लगा देंगे और वह पानी बाहर निकाल दिया जाया करेगा । किन्तु मैं अभी थोड़े दिन हुये वहां गया था । वहां पर आज की तारीख तक तो कोई पम्प लगा नहीं है यह मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं और पानी वहां से नहीं निकल रहा है, नालियों का पानी सड़ता रहता है क्योंकि जमीन नीची है । तो मैं चाहूंगा कि यदि पम्प लगाना है तो वैसा कह दीजिये और अगर नहीं लगाना है तो वैसा कह दीजिये कि पम्प नहीं लगाना है, कोई इन्तिजाम नहीं हो सका है, या यह कह दीजिये कि हमने जो आर्डर दिया था वह केंसिल कर दिया गया है, ताकि जो आशा रहती है वह तो कम से कम न रहे ।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं । वह यह कि यदि आप इन कालोनीज का विकास नहीं कर सकते हैं तो आप कृपा करके दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन को कहिये और उनसे कोई फैसला कर लीजिये, उनको जो कुछ भी आप डेवेलपमेंट चार्जेज़ देना चाहें दे दीजिये, या चाहे न दीजिये, आप उन पर कोई नैतिक दबाव डाल दीजिये या कोई आदेश दे दीजिये ताकि उन कालोनीज में किसी न किसी तरह उन विस्थापित भाइयों के लिये विकास हो जाये । मुझे आशा है आप यह करेंगे, और मैं बहुत ही विनम्र भाव से कहता हूं कि इस काम के लिये आपका वायदा है, और यह काम हो जाना चाहिये ।

एक कालोनी आपने बनायी है कीर्ति नगर । उस कालोनी के लिये आपने एक कारपोरेशन बनाया था । उस कारपोरेशन का यह काम था कि जो ज्यादा पैसा दे उसको प्लाट दिया जाये । उसने आरम्भ में आठ रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से जमीन दी पर अन्त में उसका दाम ६५ रुपये प्रति वर्ग गज तक कर दिया । आप देखें कि भारी टेंडरों पर यह जमीनें दी गयीं और विस्थापित भाइयों ने क्लेम और जेवर आदि बेचकर आपको पैसा दिया । लेकिन पिछले ६ वर्ष से वे निरन्तर प्रार्थना करते आ रहे हैं कि हमें पट्टा दे दिया जाये ताकि हम दिल्ली प्रशासन से ऋण ले सकें और अपने लिये मकान बना सकें जिसमें रह सकें, किन्तु उनकी इतनी प्रार्थना करने पर भी और उनके पूरा पैसा दे देने पर भी उनको कोई पट्टा नहीं दिया जा रहा है । जिसकी वजह से उनको ऋण नहीं मिल रहा और वे मकान नहीं बना पा रहे हैं । यह बड़ी विचित्र बात है । इसमें प्रशासन का कोई पैसा खर्च होने का सवाल नहीं है । मैं देखता हूं कि इस प्रशासन में ऐसी खराबी आ गई है कि कोई काम हो उसमें देरी की जाती है । उस कारपोरेशन का यह काम था कि वह प्लाट बेच दे और उनका विकास करे और समाप्त हो जाये । उस कारपोरेशन ने तमाम प्लाट बेच दिये हैं और भूमि का विकास भी हो रहा है और वह विकास का काम सी० पी० डब्ल्यू० डी० को दे दिया गया है । इस तरह से कारपोरेशन का काम खत्म हो गया है । लेकिन पट्टे देने का काम अभी बाकी पड़ा है और इसलिये कुछ लोग अभी भी उसमें चिपके हुये हैं । मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि पुनर्वास मंत्रालय और पुनर्वास मंत्री महोदय से बार-बार प्रार्थना की जा रही है लेकिन वह इस काम को सम्पन्न नहीं कराते हैं । ६ साल पहले जब कि हमारा . . . . .

†**सभापति महोदय :** माननीय सदस्य को व्यक्तिगत शिकायतें इस समय नहीं बतानी चाहिये ।

श्री नवल प्रभाकर : इस बात को मैं छोड़ देता हूं और अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने कुछ मकान बनाये हैं, लेकिन वे अभी से टपकने लगे हैं, टूट गये हैं और गिरने वाले हैं ।

† मूल अंग्रेजी में

[श्री नवल प्रभाकर]

इस तरह के तो मकान बनाये गये हैं, लेकिन उन के लिये इतनी रकम थोपी गई है। स्वभावतः लोग देखते हैं कि हम से इतनी रकम ली जा रही है, लेकिन जो मकान बनाये गये हैं, वे गिरने वाले हैं : अगर सरकार कोई इस तरह की चीज़ को खरीदे, जो कि निकम्मी हो, तो उस के पैसे वह क्यों देगी ? मेरा अनुरोध है कि इस विषय में एक्शन लिया जाना चाहिये। पटेलनगर, मोतीनगर और तिलकनगर में जो ऐसे मकान हैं, जो कि बिल्कुल जर्जर अवस्था में हैं और जो गिरने वाले हैं, उन की तरफ़ ध्यान दिया जाना चाहिये।

मकानों की कीमतों में जो असमानता है, उस के विषय में मैं यह कहना चाहता हूं कि जो डबल-स्टोरीड मकान हैं, वे बहुत थोड़ी जगह में बने हुये हैं, लेकिन उन की कीमत बहुत ज्यादा है, जब कि जो मकान २०० गज़ के प्लाट पर बने हुये हैं, उन की कीमत थोड़ी है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस असमानता पर कुछ प्रकाश डालेंगे।

कहने के लिये मेरे पास कई बातें थीं, लेकिन समय कम होने के कारण मैं समाप्त करता हूं।

श्री चुनीलाल (अम्बाला-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : सभापति महोदय, आप ने मुझे दो शब्द कहने का अवसर दिया, उसके लिये मैं आप को धन्यवाद देता हूं। मैं इस मंत्रालय और मंत्री महोदय को मुबारकबाद देना चाहता हूं क्योंकि मंत्रालय ने बहुत बड़ा काम किया है। इतने लोग यहां पर आये, उन सब को बसाना, उनको रोज़गार देना एक बहुत बड़ा काम है। अगर देखा जाये, तो जो पाकिस्तान से आये हुये भाई हैं, वे हर मैदान में हर तरह से यहां के रहने वाले लोगों से आगे ही मिलते हैं। आज उन की हालत ऐसी है कि उन को पिछड़ा हुआ या शरणार्थी या दुखी नहीं समझा जा सकता है। जितना काम इस मंत्रालय ने पाकिस्तान से आने वाले भाइयों के लिये किया है, उस के लिये वे भाई इस मंत्रालय के और खास तौर से मंत्री महोदय के हमेशा आभारी रहेंगे।

इस मंत्रालय ने उन लोगों के लिये दो लाख के करीब मकान बनाए, कालोनीज़ बनाई, जिन में उन को दस्तकारी वगैरह की और रोज़गार की काफी सहूलियत दी, ताकि वे आबाद होने के साथ-साथ बारोज़गार भी रह सकें। एजूकेशन के क्षेत्र में उन्होंने १३ लाख स्टुडेंट्स को फ़ीशिप, स्टाइ-पेंड्स और ग्रान्ट्स की शक्ल में मदद दी, जिस से पाकिस्तान से आने वाले भाइयों के बच्चे अच्छी तालीम पा सकें। ८६ हज़ार लोगों को उन्होंने टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग देने का इन्तजाम किया। इस मंत्रालय की तरफ से कई होम्ज़ और इनफ़र्मरीज़ भी खोली गई हैं, जिन में ओल्ड पर-सन्ज़ और अन-एटैच्ड औरतें रखी गई और वहां पर उन को इतनी सुविधायें दी गईं, जो कि उन को घरों में भी नहीं प्राप्त हो सकती थीं। सर्विसिज़ में भी पाकिस्तान से आये हुये दो लाख से भी ज्यादा लोगों को काम दिलाया गया।

इसके साथ ही मैं मंत्रालय का इस बात के लिये बहुत आभारी हुं कि मंत्री महोदय ने हरिजनों को गांवों में वे ज़मीनें, जो कि उन के पास थीं, जिन पर वे काबिज़ थे, बहुत सस्ते दामों पर दीं। हरिजन उस के लिये इस मंत्रालय के आभारी रहेंगे। इस के साथ ही उन्होंने उन हरिजनों से रेन्ट हासिल करने के लिये काफ़ी सहूलियतें दी हैं, जिन की तरफ़ काफ़ी रेन्ट बाकी हैं और यह तय किया कि एक महीने का रेन्ट उन से एरियर्ज़ के तौर पर लिया जाये। इस के अलावा इस मंत्रालय ने तकरीबन पचास हज़ार मकान, जिन की लागत तकरीबन एक करोड़ रुपया है, हरिजनों को पंजाब में रूरल एरियाज़ में दिये हैं। मंत्रालय ने उन को बीस रुपये में मकान और दस रुपये में साइट दी

है । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि शहरों में भी बहुत से हरिजन हैं, जो कि अपने झोंपड़े बना कर या इवैकुई प्रापर्टी में रहते हैं और वे सैकड़ों सालों से ऐसे रह रहे हैं बड़ी तायदाद म बीस, तीस, पचास साल से ऐसे रह रहे हैं । मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्री महोदय उन को भी मकान और प्रापर्टी नामीनल प्राइसिज़ पर देने की कृपा करेंगे ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (हिसार) : हिसार में दी है ।

श्री चुनीलाल : मैं सब के लिये कह रहा हूं । अगर हिसार में दी है, तो यह बड़ी खुशी की बात है । दरअस्ल अगर देखा जाय, तो हरिजन लोग पैदाइशी रेफ़्यूजी हैं । उन के पास ज़मीन नहीं है । उन को डिस्प्लेस्ड क्या कहें, वे तो विदाउट प्लेस हैं । मुझे उम्मीद है कि मंत्री महोदय फ़राखदिली से काम ले कर उन को यह शहरी ज़मीन व मकान देने की कृपा करेंगे ।

जो मुसलमान गुड़गांव, महेन्द्रगढ़ और अलवर से चले गये थे, वे काफ़ी तादाद में वहां से वापस आये । मंत्री महोदय और इस मंत्रालय ने उन को आबाद किया और उन की ज़मीन और मकान वापस किये । यह भी उन्होंने सराहनीय काम किया है । इसके लिये मैं उनको धन्यवाद दिये वगैर नहीं रह सकता हूं ।

इस सदन में रिहैबिलिटैशन डिपार्टमेंट की तरफ़ से थर्ड पार्टी क्लेम्ज़ का वादा १९५४ में किया गया था । बहुत सारे लोकल लोगों का कर्ज़ा उन मुसलमानों की तरफ़ था, जो कि यहां से चले गये अगर वे यहां होते तो इन अनसिक्योर्ड डेट्स को उन से वसूल किया जा सकता था, उन की जायदाद से वसूल किया जा सकता था । लेकिन चूंकि वे चले गये और उन की ज़मीन यहां रह गई और कस्टोडियन ने उस पर कब्जा किया, इसलिये वह कर्ज़ा डिपार्टमेंट को उन लोगों को देना चाहिये, क्योंकि यह उस का अखलाकी फ़र्ज़ हो जाता है ।

मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि आप ने पहले ही मुझे कह दिया है । एक बात और कह कर मैं बैठना चाहता हूं । दंडकारण्य स्कीम ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के लिये बड़ी अच्छी है और इसके लिये मैं मंत्री महोदय और इस मंत्रालय को बधाई देता हूं ।

अन्त में मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि शहरों के मकान भी हरिजनों को दे दिये जायें ।

चौ० रणवीर सिंह (रोहतक) : दे दिये हैं ।

श्री चुनीलाल : इस रिपोर्ट में तो नहीं है । मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि जो शहरी जायदाद हरिजनों के कब्जे में है, वह उन को देने की बात करेंगे ।

†**श्री दशरथ देव** (त्रिपुरा) : श्री मेहर चन्द खन्ना ने हमें बार-बार यही बताया है कि त्रिपुरा में पुनर्वास कार्य बड़े संतोषजनक रूप में चल रहा है परन्तु मेरा मत इसके बिल्कुल विपरीत है। त्रिपुरा में दो प्रकार के शरणार्थी हैं । एक तो वह जो त्रिपुरा में १९५४ से पहले आये थे तथा दूसरे वह जो १९५४ के बाद में आये । १९५४ से पहले आने वाले शरणार्थियों को तो पुनर्वासित कर दिया गया । परन्तु १९५४ के बाद आने वाले शरणार्थियों की हालत बड़ी खराब है । उनको ऋण बहुत कम दिया जा रहा है । हाल में ही पंढ़वपुर कालोनी में दो शरणार्थी, नरेश डे तथा निखिल घोष भूख से मर गये । मेरा माननीय मंत्री से निवेदन है कि इस की जांच करें और उनके परिवारों को कुछ सहायता दिलायें ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री दशरथ देव]

हाल में ही अगरतला में १९ शरणार्थियों ने पुनर्वास कार्यालय के सामने भूख हड़ताल कर रखी है । अब यह भूख हड़ताली ३१ हो गये है : उनकी मांग है कि कृषि ऋण बढ़ा दिया जाये तथा ऋण की दूसरी किस्त दी जाये : मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री इस ओर ध्यान दें क्योंकि उनकी मांगें उचित हैं ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अब मैं शरणार्थियों से धन वापस लिये जाने के बारे में कुछ कहूंगा । त्रिपुरा में खाद्यान्नों की बहुत कमी है । चावल बहुत महंगा है : सूखा पड़ा है, बाढ़ें आई हैं । इसलिये मेरा निवेदन है कि शरणार्थियों से ऋण की वसूली निलम्बित करदी जाये । मैं यह भी चाहता हूं कि रायमा सरमा योजना को आगे बढ़ाया जाये । शरणार्थियों को आवंटित भूमि का सीमांकन शीघ्र किया जाये जिससे इनमें झगड़े न हों ।

आशा थी कि सिमन चरा कोलोनी में रहने वाले शरणार्थियों ने भूमि को खेती योग्य बनाने के लिये जो खर्च किया है, वह उनको मिल जायेगा । परन्तु अब तक यह लागत नहीं दी गई है । इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये ।

कालापानी मोहन-भोग में शरणार्थियों को वह भूमि दी गई जिसपर आदिमजाति के लोगों का कब्जा है । उनसे यह ज़मीन छीनना ठीक नहीं है क्योंकि इस से इन आदिमजातियों का रोजगार समाप्त हो जायेगा । मेरा सुझाव है कि जमीदारों अथवा जोतेदारों की ज़मीन शरणार्थियों को दी जानी चाहिये तथा आदिमजाति के लोगों की ज़मीन नहीं दी जानी चाहिये ।

अन्त में मैं यह बताना चाहता हूं कि अगर ताला के पुनर्वास विभाग के १३५ चौथी श्रेणी के कर्मचारियों से कहा गया है कि वह ४० रुपये प्रति माह लेने के बजाये २० रुपये लें । यह उनके साथ ज्यादती है क्योंकि सचिवों, निदेशकों आदि का वेतन कम न करके, इन बेचारे ग़रीब लोगों के पेट पर लात मारी जा रही है । मैं आशा करता हूं कि श्री खन्ना मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे ।

श्रीमती सहोदरा बाई राय (सागर-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझती हूं कि पंजाब के जो लोग हैं और दिल्ली के जो लोग हैं, जो मैम्बर हैं, उनको बोलने के लिये ज्यादा मौका दिया जाता है लेकिन जिन की हालत बहुत खराब है, उनको मौका नहीं दिया जाता है । पंजाब और दिल्ली वालों की हालत अच्छी है और उनको मौका भी मिल जाता है लेकिन........

श्री नवल प्रभाकर : यह विस्थापितों का मामला है ।

श्रीमती सहोदरा बाई राय: आप बीच में न बोलिये । मैं जब भी आप बोलते हैं, कभी आपके बीच में नहीं बोलती हूं । दिल्ली वाले हमारे जो काम हैं, वे होने नहीं देते हैं और चाहते हैं कि उनके जितने काम हैं वे हो जायें । वे हम को बोलने भी नहीं देना चाहते--

उपाध्यक्ष महोदय : मैं तो खामोश बैठा हूं । आप बोलिये और मैं सुनूंगा ।

श्रीमती सहोदरा बाई राय: उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करती हूं कि पुनर्वास मन्त्री महोदय को देहातों में जाकर वहां का दौरा करना चाहिये । वहां पर वह कभी नहीं जाते हैं, वहां का वह कभी दौरा नहीं करते हैं । दिल्ली में ही वह अधिक रहते हैं । दिल्ली की हालत को ही अच्छा बनाने की वह फिक्र करते हैं, उस जगह की तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं, जहां पर कि बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ ।

दिल्ली में अच्छे मकान बने हुए हैं, पक्के मकान बने हुए हैं, हरिजनों की भी अच्छी हालत है वे भाई रोटी खाते हैं लेकिन उस एरिया की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है जहां की हालत खराब है। हमारे मध्य प्रदेश में जो विस्थापित भाई आए थे उनकी वही हालत है जो कि १९४७ और १९४८ में थी, उसमें कोई फर्क नहीं आया है। उनके लिए कोई भी पक्के मकान नहीं बनाये गये हैं। उनके पास जो टूटी फूटी झोंपड़ियां हैं, उनके ऊपर छप्पर पड़े हुए हैं, और बरसात के चार महीने उनके हाय दैया-हाय दैया करके गुजरते हैं। विस्थापित भाई जहां जाकर बसे हैं वे हैं सागर, दमोह, बीना, कटनी, इत्यादि और इन जगहों पर आप कभी गये भी नहीं हैं। जब भी कभी मैं वहां पर सेवा कार्य करने के लिये, रचनात्मक कार्य करने के लिये जाती हूं वे लोग कहते हैं कि आपके चुने जाने से क्या फायदा हुआ, आप कभी यह आवाज भी नहीं लगाती हैं कि पक्के मकान ही इन लोगों के लिये बनें। दिल्ली के शरणार्थी तो हलवा पूरी खाते हैं, लेकिन वहां के भाइयों को चना खाने को भी नसीब नहीं होता है। वहां पर उनकी हालत नाजुक है।

वहां के लोग बार-बार मुझ से कहते हैं कि कुछ तो कहो ! वे कहते हैं कि तुम अंग्रेजी जानती नहीं हो इस वास्ते बोल भी नहीं सकती हो। उनसे कहती हूं कि हिन्दी तो जानती हूं और बोल भी सकती हूं। मैंने कई बार सदन में आप से कहा कि यहां पर कोई बात आती है तो इंग्लिश में आती है। हिन्दी में नहीं आती है। अगर हिन्दी में आये तो जो लोग हिन्दी वाले हैं जिन को इंग्लिश समझने में अड़चन होती है, वह भी उसको समझ सकें और बाहर वाले भी जिन्होंने हमें चुन कर भेजा है वह भी समझ सकें कि उनके लिये कुछ कहा गया है। इसीलिये हमारे भाई पार्लियामेंट में हिन्दी नहीं बोलते कि अगर वह हिन्दी में बोलते हैं तो हमारे पत्रकार लोग उनके बारे में एक शब्द नहीं लिखते। अगर अंग्रेजी में बोलते हैं तो लम्बी चौड़ी स्पीच निकलती है। हमारे यहां के लोग हम से कहते हैं कि बाई हमारे लिये कभी कुछ नहीं बोलती बालती तो अखबार में न आता। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि जैसे यहां सब चीजें अंग्रेजी में आती हैं उसी प्रकार हिन्दी में भी आनी चाहियें और जिस क्षेत्र से ज्यादा मेम्बर चुन कर आते हैं यानी देहातों से, उनकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : आज वह जरूर लिखेंगे।

श्रीमती सहोदरा बाई राय : नहीं, यहां मेरी बात नहीं है। मैं जो कुछ बोलना चाहती हूं वह जनता की भलाई के लिये कहना चाहती हूं, अपनी बढ़ाई के लिये नहीं। जिस जनता ने हमें निर्वाचित करके भेजा है उसके लिये कहती हूं। अगर मैं अपनी बड़ाई के लिये कहूं तो मुझे बैकुंठ में भी जगह नहीं मिलेगी। जो सेवा करे वह उसके लिये अपनी बढ़ाई करे तो यह ठीक नहीं होता। हम तो जनता के सेवक हैं। मेरी पुनर्वास मंत्री से प्रार्थना है कि जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां शरणार्थियों की नाजुक हालत है उसे उनको देखना चाहिये। वैसे तो शरणार्थी लोग खेती करना नहीं चाहते क्योंकि वे तो व्यापार में ही निपुण हैं। व्यापार में वे बड़े अच्छे हैं जिन क्षेत्रों में शरणार्थी गये हैं वहां के व्यापारी रोते हैं, वे कहते हैं कि जबसे शरणार्थी आये हैं, हमारा व्यापार खराब हो गया है। व्यापार में वे शरणार्थी लोग लग गये हैं, लेकिन कोई शरणार्थी जमीन नहीं जोतता है।

चौ० रणवीर सिंह : पंजाब में जोतते हैं।

श्रीमती सहोदरा बाई राय: पंजाब का प्रदेश बड़ा अच्छा है, वहां नहरें हैं, पानी है, तमाम अच्छी चीजें उनको मिली हुई हैं, दूसरों को नहीं मिली। जब हमारे भाई बोलते हैं तो पंजाब की बात कहते हैं, यू० पी० की बात कहते हैं। पंजाब और यू० पी० के अन्दर नहरें हैं, कुएं हैं, तालाब हैं, सभी बातें हैं। लेकिन कुछ हम लोग हैं जो कि भगवान् के भरोसे बैठे रहते हैं। पानी बरस गया तो फसल हो गई, नहीं

[श्रीमती सहोदरा बाई राय]

बरसा तो खत्म हो गई और लोग भूखों मरने लगते हैं । हमें ऐसी एरियाज को भी देखना चाहिये । जब आप बात करते हैं तो पंजाब और उत्तर प्रदेश की । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि उनको ऐसी जगहों को देखना चाहिये जहां की हालत खराब है, जिन के लिये खाने को चना भी प्राप्त नहीं होता । जहां पर बैकुंठ बना हुआ है उसी को और बकुंठ बना दिया जाता है । इसलिये मैं पुनर्वास मंत्री जी से प्रार्थना करती हूं कि आप दौरे कीजिये और ऐसी जगहों को देखिये जहां की हालत बहुत खराब है ।

आज शरणार्थियों को सिन्धी पढ़ाने की बात हो रही है, उसको आप को देखना चाहिये ।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद): वह तो अब जा रहे हैं, दौरा क्या करें ?

श्रीमती सहोदरा बाई राय : हिन्दी स्कूल खोलिये, हिन्दी पढ़ाइये । जहां पर सिन्धी लोग हैं वह शरणार्थी हैं, वह सिन्ध से चले आये, आप उनको सिन्धी क्यों पढ़ाते हैं ? हिन्दी पढ़ाइये । आप उनके पास जाइये तो सिन्धी बोलते हैं । दस साल हो गये लेकिन अभी वह हिन्दी सीख नहीं पाये । आप कुछ ऐसा इन्तजाम कीजिये कि हिन्दी चालू हो । एक तरफ तो हम कहते हैं कि हिन्दी चालू हो, दूसरी तरफ जब आप सदन में आते हैं तो "यस" और "नो" के सिवा कुछ कहते ही नहीं । कोई कहता है कि हिन्दी बोलो, तो अंग्रेजी में कहेंगे कि ब्लडी फूल है, अगर हिन्दी बोलने वाला अंग्रेगी में बोले तो कहेंगे वेरी गुड । ऐसा नहीं होना चाहिये । ऐसा रखिये कि हमारे सदन के सारे लोग उसकी कार्यवाई को समझ सकें और देहात की जनता तक वह सारी चीजें पहुंच सकें । मेरी ऐसी प्रार्थना है कि आप इसके लिये उचित कदम उठायें ।

जहां-जहां शरणार्थियों के लिये अफसरों ने मकान बनवाये हैं उनमें बैठने तक की जगह नहीं है । पैसा तो उसमें बहुत लगा, लेकिन पता नहीं वह पैसा किसी की जेब में गया या क्या हुआ, पर जो भी मकान बने हैं वह इतने खराब हैं कि वहां पर कोई बैठ नहीं सकता है। मकान ऐसे होने चाहियें कि उनमें शरणार्थी लोग अपनी फैमिलीज के साथ रह सकें ।

अन्त में मैं यही कहना चाहती हूं कि यहां पर जो भी कार्यवाई हो वह हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में हो और उन लोगों को बोलने का मौका ज्यादा मिलना चाहिये जिनकी हालत खराब है । पंजाब वालों को आप समय कम दिया करें । उनको आखिर इसकी क्या जरूरत है ?

†**श्री स० म० बनर्जी** (कानपुर) : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि निलाम के बारे में जो गोलमाल हो रहा है उसके बारे में पुनर्वास मंत्रालय क्या कर रहा है । अभी उस दिन ४ हजार गृहहीन व्यक्तियों ने प्रदर्शन किया था । उन पर लाठी वर्षा की गई । किन्तु मेरा निवेदन है कि जिस उद्देश्य से यह प्रदर्शन किया गया था । उस पर मंत्रालय को सहानुभूति के साथ विचार करना चाहिये । मैं ने सुना है कि कुछ दलाल होते हैं जो नीलाम के अवसर पर उपस्थित रहते हैं और सरकारी उच्च-पदाधिकारियों से मिले रहते हैं और वे मूल्य बढ़ाते रहते हैं ।

दूसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या अखिल भारतीय कांग्रेस का कार्यालय निष्क्रम्य सम्पत्ति है, क्या इसका मूल्य लगभग १४ लाख रुपये है और क्या अधिक ग्राहकों को बुलाये बिना ही बहुत कम मूल्य पर इसको नीलाम करने का विचार है और क्या इसको कम मूल्य पर बेचने का प्रयत्न किया गया था ?

कुछ अनधिकृत अभिकरण हैं जो मान्य दावों को असली मूल्य से ५०-६० प्रतिशत पर ही खरीद लेते हैं और खरीदार को नकद रुपया दे देते हैं । इस प्रकार के ये अभिकरण सारे भारत में मिलते हैं और बेचारे विस्थापितों के सहारे रुपया कमाते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पुराने किले में रहने वाले विस्थापितों को वहां से हटाकर लाजपतनगर में ले जाया जा रहा है जो वहां से २½ मील दूर है। कहा जाता है कि इन विस्थापितों ने इन मकानों पर लगभग ६०,००० रुपये खर्च किये हैं और सरकार से कोई ऋण आदि नहीं लिया है। मैं चाहता हूं कि इन विस्थापितों को बसाने के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार किया जाये और इस बारे में मंत्रियों की एक भी समिति की स्थापना की जाये जो इस बारे में जांच करे। मैं चाहता हूं कि इस बारे में एक नीति बना दी जाये। माननीय मंत्री ने कहा है कि वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय इस मामले की जांच करेगा। यह तो कोई बात नहीं हुई। मेरा कहना तो यही है कि उन के साथ सहानुभूति से बर्ताव किया जाये। आशा है कि माननीय मंत्री महोदय अपने उत्तर में मेरी इन सभी बातों का उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मेरी अदब से गुजारिश है कि पुराने किले के रेफ्यूजीज के रिहैबिलिटेशन के बारे में मिनिस्टर साहब बाद में फैसला करें। मैं उन से आज उस बारे में फैसला नहीं चाहता। मैं यह नहीं चाहता कि आज अभी वह उसके बारे में जवाब दें। मैं खुद बोलना चाहता था लेकिन वक्त नहीं था। लेकिन मैं ने इस बारे में उन से दरख्वास्त की हुई है और मैं चाहता हूं कि जो उनका केस है वह फिर मिनिस्टर साहब के सामने रैव्यु के लिये रक्खा जाय। इनको जो मिनिस्ट्री आफ क्लचरल एफ्यर्स के सुपुर्द किया है तो यह तो तेल ही निकालना जानते हैं और यह तो उन रेफ्यूजीज़ का तेल ही निकाल देंगे या मोन्यूमेंट बना देंगे और मैं तो चाहता हूं कि उनका मामला उसी रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री और मंत्री महोदय के सुपुर्द रहे जिन्होंने कि उन की बुरे समय मे हर तरह से मदद की और जब वहां पर तूफान आया तो वहां जाकर उनकी मदद की वे ही उनके बारे में फैसला करें और मुझे पूरी उम्मीद है कि मिनिस्टर साहब उस बारे में ठीक और माकूल फैसला करेंगे। मेरे लायक दोस्त का जो यह ख्याल है कि वजीर साहब जब भी पुराने किले के रेफ्यूजीज की बाबत बोलते हैं तो वेनजेंस से बोलते हैं, दुरुस्त नहीं है और उन के ऊपर ऐसा इल्जाम लगाना नामुनासिब है . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : यह नामुनासिब ही नहीं है बल्कि इस से उन लोगों के कौज़ को जिन के लिये कि वह प्लीड करते हैं उन को इससे कोई फायदा नहीं होता, नुकसान ही हो सकता है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : आज उस बारे में कोई जवाब न दिया जाये। मैं चाहता हूं कि सारा केस दुबारा मिनिस्टर साहब के सामने रक्खा जाये और मुझे पूरी उम्मीद है कि उन के हाथ से ठीक और माकूल फैसला होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्या भी मंत्री महोदय से अपना प्रश्न कर लें।

श्रीमती लक्ष्मी बाई (विकाराबाद) : मैं आप के द्वारा मंत्री महोदय से यह पूछना चाहती हूं कि पुराने किले में रेफ्यूजीज़ के लिये जो क्वार्टर्स बने हुए हैं उनको मैं समझती हूं कि बने हुए शायद १० वर्ष हुए होंगे। ईंट, चूना और सीमेंट से अखिर यह मकान बने थे और जब इन पक्के मकानों की यह अवस्था है कि वे तूफान आने से ढह पड़े तो फिर कच्चे मकान और झोंपड़ियों का तो कहना ही क्या। मैं मंत्री महोदय से इस बारे में जवाब सुनना चाहूंगी कि आखिर यह क्या वजह है कि वे इतनी जल्दी गिर गये जब कि हम देखते हैं कि पुराने पक्के बने हुए मकान कितने ही वर्षों १००, १०० वर्षों के खड़े रहते हैं। मैं चाहती हूं कि मंत्री महोदय इस बारे में जांच करें कि आखिर इस के लिये कौन जिम्मेदार है। किस ने एस्टिमेट्स बनाये थे किस ठेकेदार को इन क्वार्टर्स को बनाने का ठेका दिया गया था और इन में कैसा मैटिरियल लगाया गया, आदि और जांच करके हाउस को इस बारे में पूरे डिटेल्स् में बतलायें।

†श्री मेहर चन्द खन्ना : अब से चार वर्ष पूर्व मुझे प्रधान मंत्री महोदय ने पुनर्वास मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी थी। पुनर्वास की दिशा में पश्चिमी खण्ड में तो काफी प्रगति हुई है और अच्छे परिणाम भी निकले हैं केवल दो प्रमुख बातें रह गयी थीं। एक प्रतिकर योजना का कार्यान्वित किया जाना और दूसरा शहरी चल और अचल सम्पत्ति के बारे में पाकिस्तान से वार्ता करना। पूर्वी खण्ड में स्थिति बहुत ही खराब थी। पूर्वी पाकिस्तान से काफी हिन्दू अपने घर-बार त्याग कर लगभग १ हजार व्यक्ति प्रति दिन की संख्या में भारत आ रहे थे। अतः ऐसी अवस्था में कोई योजना बनाना या किसी प्रकार का लक्ष्य निर्धारित करना नितान्त असम्भव था। दो-तीन वर्षों के बाद, लगभग जनवरी १९५७ के आरम्भ में स्थिति सुधरी और हमने पुनर्वास के सम्बन्ध में काफी प्रभावशाली पग उठाये। जब मैं पूर्वी खण्ड की बात करता हूं, तो उस में बंगाल के अतिरिक्त आसाम और त्रिपुरा भी सम्मिलित रहता है क्योंकि जो ४२ लाख लोग पूर्वी पाकिस्तान से आये हैं, उन में से ३२ लाख पश्चिमी बंगाल में और ९ लाख त्रिपुरा में गये। लगभग एक लाख लोग बिहार उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इत्यादि में गये। आज इस देश में विस्थापितों की कुल संख्या ९० लाख है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की समस्या, इतने कठिन हालात में, किसी भी देश के सामने कभी भी उत्पन्न नहीं हुई होगी। इन ९० लाख विस्थापितों में से ४७ लाख तो पश्चिमी खण्ड में हैं और ४२ लाख पूर्वी खण्ड में। चूंकि दोनों खण्डों के विस्थापितों की समस्यायें एक जैसी नहीं हैं, अतः मैं दोनों प्रकार के विस्थापितों की समस्याओं की चर्चा अलग-अलग करूंगा। पहले मैं पश्चिमी क्षेत्र की चर्चा करूंगा।

जैसा कि मैं ने इस से पूर्व कहा है कि दो मुख्य समस्यायें थीं। एक, मुआवजे की योजना तैयार करना और दूसरे, पाकिस्तान से वार्ता। मुआवजे की योजना इस मंत्रालय की सब से बड़ी सफलता है। मैं इसका श्रेय नहीं लेता। इसका श्रेय भारत सरकार को और इस सदन को है। मानव इतिहास में किसी भी देश ने इस प्रकार की अवस्था में मुआवजा नहीं दिया। यह प्रथम देश है जहां सब से अधिक संख्या में विस्थापितों ने आश्रय लिया और भारी वित्तीय कठिनाइयों के बाद भी हमने विस्थापित व्यक्तियों को मुआवजा दिया। हमने विदेशों से ऋण तो लिये हैं, परन्तु पुनर्वास के लिये हमने एक पाई भी किसी देश से नहीं ली। अब तक हम ३३० करोड़ रुपया पुनर्वास पर खर्च कर चुके हैं और पूर्वी खण्ड में अभी काम चल रहा है। इस सम्पूर्ण राशि को देश के सामान्य राजस्व से लेकर व्यय किया गया है।

प्रतिकर योजना तैयार करने में जिन लोगों ने महीनों तक परिश्रम कर के अपना सहयोग हमें दिया है, मैं उन के लिये बहुत आभारी हूं। इस प्रतिकर योजना के भी दो अंग हैं। एक शहरी मुआवज़ा योजना और दूसरा देहाती मुआवज़ा योजना। शहरी मुआवज़ा संचय में हमारे पास १८५ करोड़ रुपये तक की आस्तियां विद्यमान हैं। जिनको अभी मुआवजा प्राप्त करना है, ऐसे लोगों की संख्या लगभग ४,७२,००० है।

यह योजना जून १९५५ में बनी और घोषत हुई थी। इस के बाद सितम्बर १९५५ के अन्त तक दोनों सदनों ने तत्सम्बन्धी नियमों को पारित किया था। उस समय मैं ने बताया था कि मैं शीघ्रातिशीघ्र इस योजना को कार्यान्वित करने का प्रयत्न करूंगा और मैं ने एक लाख मामलों को निबटाने का वार्षिक लक्ष्य रखा था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम ने न केवल उस लक्ष्य को ही पूरा किया, परन्तु उस से आगे भी निकल गये। मेरे माननीय मित्र सरदार अजित सिंह सरहदी ने जो आंकड़े प्रस्तुत किये हैं, मेरे मत में, ठीक नहीं हैं। मेरी जानकारी के अनुसार फरवरी १९५९ तक

†मूल अंग्रेजी में

४,००,७३५ लोगों को मुआवजा मिल चुका है। उन के कथनानुसार २,८६,७७६ व्यक्तियों को मुआवजा मिल चुका था। उन्होंने दो आंकड़े छोड़ ही दिये। ५७,७१६ तो वे हैं, जिन्हें आखिरी किश्त प्राप्त हो गई है। अन्तरिम योजना के अधीन की ७६,००० व्यक्तियों की संख्या को तो ले ही नहीं रहे हैं जिन्हें मुआवजा मिल गया है। मैं तो केवल उन ५७,७१६ लोगों को सम्मिलित कर रहा हूं जिन्हें हम अन्तिम मुआवजा दे चुके हैं हम ने १७ प्रकार के लोगों के लिये प्राथमिकता निर्धारित की और उन को ५० करोड़ रुपया नकद प्रतिकर दिया जा चुका है। इस के अतिरिक्त अन्य लोगों को सम्पत्ति के रूप में प्रतिकर दिया जाना था। ५३,२७३ लोगों के मामलों को हम ने अन्तिम रूप दे दिया है और उन को लेखे का विवरण दे दिया गया है। सरकारी नीलामों में वे लोग मकान खरीद सकते हैं। यह उन का काम है। मैं ने अपना काम कर दिया है। अतः मुझे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाना गलत है।

मैं मंत्रालय का प्रमुख हूं। यदि मेरे अधिकारी भ्रष्ट हैं, तो मैं भी भ्रष्ट हूं और उन की समस्त भ्रष्टता का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेने को तैयार हूं। हमारे अधीन १८५ करोड़ रुपये की योजना चल रही है हम ३३० करोड़ रुपया सहायता और पुनर्वास के लिये दे चुके हैं। यदि आप को भ्रष्टाचार का एक भी मामला नजर आये, तो मुझे बताइये मैं उस की पूरी जांच करूंगा। सदन को मैं आश्वासन देता हूं। इस मंत्रालय का कार्य विस्थापितों को सहायता देना और उन का पुनर्वास करना है। हमें इन विस्थापितों का राजनीतिक शोषण नहीं करना है। यह हमारी नीति नहीं है।

हम ने ४ लाख विस्थापितों को मुआवजा दिया है। अब ७०,००० के लगभग विस्थापित व्यक्ति बाकी रहते हैं। औसतन १०,००० मामलों का निपटारा प्रतिमास कर दिया जाता है। वास्तव में इस वर्ष हम ने १ लाख ५० हजार लोगों को मुआवजा दिया है। कठिन हालतों में काम करने वाले मंत्रालय का रिकार्ड इस से अधिक अच्छा नहीं हो सकता। यदि मैं किसी भी विस्थापित के प्रति पक्षपात करता हूं तो मैं समझता हूं कि मैं इस पद के योग्य नहीं हूं। मेरी किसी के प्रति भी बुरी भावना नहीं है। मध्य प्रदेश की मेरी माननीय बहिन का कहना ठीक है कि दूर-दूर रहने वाले लोगों को अपनी आवाज सुनवाने में कठिनाई होती है और दिल्ली के लोग दोनों सदनों के ७५० सदस्यों में से किसी न किसी के पास जा कर अपनी बात ऊपर तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि बहुधा संसद सदस्य दिल्ली में रहने लगे हैं। श्री स० म० बनर्जी जैसे माननीय सदस्य भी कानपुर के शरणार्थियों की बात कम करते हैं उन्हें भी पुराने किले के लोगों की चिन्ता अधिक रहती है। दिल्ली का जहां तक सम्बन्ध है, हम ने २०, २५ करोड़ खर्च कर के बस्तियां बसाई हैं। इस में लगभग ५०,००० मकान हैं। उन में से कुछ ऐसे भी हैं, जिन्हें आवण्टित नहीं किया जा सकता। बाकी सब आवण्टित हो सकते हैं। आज दिल्ली में भूमि और सम्पत्ति का दाम ३०० से ४०० प्रतिशत तक बढ़ चुका है। यदि सरकार मुनाफाखोरी करती तो इस आय से ही सारी की सारी मुआवजा योजना को कार्यान्वित किया जा सकता था। हम इस सम्पत्ति को बाजार पर बेच सकते थे। परन्तु यह सरकार की नीति नहीं है। हमारी पुनर्वास की नीति है परन्तु हमें यह भी देखना है कि दिल्ली के बाहर रहने वाले विस्थापितों को भी समुचित भाग प्राप्त हो। दिल्ली के ही लोगों को सब तरह से लाभ नहीं होना चाहिये।

माननीय मित्र श्री नवल प्रभाकर ने कहा कि मकान और दुकानें इत्यादि खराब हैं। ठीक है, परन्तु हम सब कहते हैं कि आप उसे खरीदिये। हम से मकान व दुकानें ५ हजार में ले कर लोग मंडी में उन्हें २० हजार में बेच रहे हैं। मैं उन से अधिक पैसा नहीं मांग रहा हूं। परन्तु मैं यह कहता हूं कि रियायतों की भी एक हद होनी चाहिये। जिन लोगों को अभी तक मुआवजे के रूप में कुछ नहीं मिला है उन के हित का ध्यान रखते हुए मैं लम्बित मामलों को निबटाना चाहता हूं। हम दिल्ली में किसी को सम्पत्ति का मालिक बनने पर मजबूर नहीं करते। परन्तु यदि कोई मालिक बनना चाहता है, तो उसे उस की कीमत देनी ही होगी। यह बात बड़ी अच्छी प्रकार से आप को समझ लेनी चाहिये।

[श्री मेहर चन्द खन्ना]

अब मैं मुआवजा योजना के देहाती अंग पर आता हूं। इस दिशा में हम ४ लाख मामलों में १०३ करोड़ रुपया अदा कर चुके हैं। इस में से ५२ करोड़ के करीब नकद दिया गया है। पहले पहल पंजाब में इस योजना के अन्तर्गत ४,७७,००० लोगों को अर्धस्थायी आधार पर भूमि आवण्टित की गई थी। यह भूमि २४ लाख मान एकड़ थी। श्री अजित सिंह सरहदी साहब ने कहा था कि २,१५,००० मामलों में स्थायी-अधिकारी दिये गये हैं। परन्तु अवस्था यह है कि १९ लाख मान एकड़ भूमि के स्थायी अधिकार दिये जा चुके हैं। यह लगभग ७८ प्रतिशत है: अब बाकी २ लाख लोगों को लगभग ५ लाख मान एकड़ भूमि प्राप्त करनी है। प्रश्न पूछा गया था कि ये लोग क्यों अपना आवण्टन प्राप्त नहीं करते ?

मैं इस का उत्तर देता हूं। इन में बहुत संख्या छोटे दावों की है और उन की इस में रुचि नहीं है। बहुतों को पंजाब के बाहर भूमि आवण्टित की गई है। शायद प्रश्न पूछने वाले माननीय सदस्य को पता होगा कि जिन लोगों को राजस्थान, उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों में भूमि दी गई है, वे पंजाब के इन छोटे-छोटे आवण्टनों को नहीं ले रहे हैं। क्योंकि इसे ले लेने से उन की दूसरी आवण्टन रद्द हो जायेगा। कुछ लोगों ने देहाती मकानों के दावे प्रस्तुत किये थे, वे भी अनुपात से अपना मुआवजा लेने की चिन्ता में हैं। परन्तु यदि उन्हें भूमि मिल जाये तो उन का यह दावा रद्द हो जाता है। बहुत से लोगों का जमाबन्दी रिकार्ड अभी पाकिस्तान से नहीं आया है, जिस के कारण उन के आवण्टन का स्थायीकरण नहीं किया गया। हम उन के मौखिक साक्ष्यों और उन के दावे की छान-बीन कर रहे हैं। बाद में स्थायी आदेश भी दे दिये जायेंगे।

एक माननीय सदस्य ने देहाती मकानों का उल्लेख किया था। यह ठीक है कि देहाती मकानों का बहुत कम आवण्टन किया गया है। मैं इस मामले में पूरी जांच कर रहा हूं। परन्तु एक स्पष्टीकरण मैं देना चाहता हूं कि देहाती मकानों का सम्बन्ध भूमि के आवण्टन से भी है। यदि इन दो लाख दावेदारों ने इन आवण्टनों को स्वीकार न किया, तो उन्हें कोई देहाती घर अलाट नहीं किया जा सकता। कई घर तो पंजाब में वर्षा और तूफानों से ही नष्ट हो गये। कुछ भी हो, जो मुआवजे का कार्य हम ने १९५५ में आरम्भ किया था वह लगभग पूर्ण हो चुका है। पाकिस्तान से वार्ता करने के मामले में मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं तीन-चार बार कराची हो आया हूं। वहां मैं अपने पुराने और नये मित्रों से भी मिला हूं परन्तु खेद है कि अभी तक इस मामले में कुछ भी नहीं हुआ है। हाजी मौला बक्श ने इस दिशा में 'अमानत में ख्यानत' न करने का मुझे आश्वासन भी दिया था। मैं पाकिस्तान की सरकार अथवा अन्य किसी बाहरी व्यक्ति को दोष नहीं देना चाहता। मैं पाकिस्तान की सरकार को मानवता के नाम पर अपील करना चाहता हूं कि यदि हम उन लोगों को, चाहे वह भारत से पाकिस्तान गये हों या पाकिस्तान से भारत में आये हों, बैंकों अथवा लोकरों में रखी हुई सम्पत्ति वापस दे सकें तो उन के प्रति बड़ा उपकार होगा। पाकिस्तान की सरकार को इस बात में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

आचार्य कृपालानी ने सामान्य बजट पर चर्चा के समय चौधरी रिपोर्ट का हवाला देते हुए एक बड़ी चोट की है। उन्होंने उस को बड़ी चकाचौंध करने वाली रिपोर्ट बताया है और उस का हवाला देते हुए कहा है कि पंजाब में निष्क्रान्त व्यक्तियों की भूमियों का बटवारा करते हुए कुछ अधिकारियों ने मुगलिया जमाने के अधिकारियों की भांति अपने मित्रों और संबंधियों को जागीरों की भांति जमीनें बांटी हैं और नैतिक और कानूनी बन्धन का कोई ध्यान नहीं रखा। समाचार पत्रों ने भी इस रिपोर्ट की विशेष चर्चा की है। मैंने अभी तक वह रिपोर्ट नहीं पढ़ी है। एक या दो मास पूर्व इस की एक प्रति हमारे मंत्रालय में आई थी। इस में एक हज़ार पृष्ठ हैं। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी

इस का अध्ययन कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि उस रिपोर्ट में आचार्य कृपालानी द्वारा उद्धृत पैरा नहीं है। अभी तक वह रिपोर्ट गोपनीय है। मेरी समझ में नहीं आता उन को यह सब सूचना कहां से और कैसे मिली। फिर भी मैं आप को इस की थोड़ी सी पृष्ठ भूमि बताना चाहता हूं।

१९५४-५६ के वर्षों में कई स्थानों से ये शिकायतें मिलीं कि पंजाब में शहरी और देहाती भूमियों के और बागान के बटवारे में बड़ी गड़बड़ियां हुई हैं। क्योंकि इन शिकायतों की संख्या बहुत अधिक थी और ये १९४९ से लेकर एलाट की गई भूमियों के बारे में थी इसलिये १९५६ में इनकी छानबीन करने के लिये एक जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। वह जांच अप्रैल, १९५८ में प्रारंभ हुई और फरवरी १९५९ में पूरी हुई। यह अधिकारी अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक वरिष्ठ अधिकारी था और उन्होंने एक हजार पृष्ठ की रिपोर्ट दी है। इस के दो भाग हैं। पहले भाग में भूमि के बन्दोबस्त की योजना की सामान्य रूपरेखा दी गई है और बताया गया है कि विभिन्न प्रकार की भूमियों का किस आधार पर आवण्टन किया गया है। दूसरे भाग में ७० ऐसे मामले दिये गये हैं जिनमें जांच अधिकारी के अनुसार, भूमि की ठीक आवण्टन नहीं किया गया है। यह रिपोर्ट एक अन्तरिम रिपोर्ट है क्योंकि यह केवल फाइलों में लिखित सूचना और फैसलों के आधार पर तैयार की गई है और इस में और किसी प्रकार का साक्ष्य नहीं लिया गया है जिस से कि दूसरे पहलुओं पर भी प्रकाश पड़ सकता हो।

इस रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है। इस में कुछ समय लग जायेगा क्योंकि हमें केवल इस रिपोर्ट को ही नहीं देखना है बल्कि इन फाइलों को भी देखना है जिन के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। हम यह देखना चाहते हैं कि क्या इन मामलों में स्पष्टतया यह विदित होता है या नहीं कि इन में कोई भयानक अनियमितता हुई है? आशा है यह कार्य अप्रैल के अन्त तक पूरा हो जायेगा। इस के बाद ही सरकार कोई निश्चय करेगी कि क्या कार्यवाही की जाय।

इस प्रकार मैं आप को अपने मंत्रालय के विरुद्ध १९५४ में लगाये गये दो आरोपों का उत्तर दे चुका हूं। मैं आप को यह भी बता चुका हूं कि हम ने अब तक क्या कार्य किया है। यह मंत्रालय विभाजन के कारण बना। यह कोई स्थायी मंत्रालय नहीं है। इसलिये हमारी सब से बड़ी सफलता यही होगी कि हम इस मंत्रालय को कितनी जल्दी खत्म करते हैं। मैं चाहता हूं विस्थापित व्यक्ति शीघ्रातिशीघ्र देश के अन्य लोगों में रच जायें और उन को फिर कोई विस्थापित व्यक्ति न कहे। मैं अपने काम को बहुत जल्दी पूरा करना चाहता हूं। मैं इस काम को अधूरा भी नहीं छोड़ना चाहता। इस के लिये मैं ने पश्चिमी रीजन के राज्यों के पुनर्वास मंत्रियों को लिखा था कि वे मुझे बतायें कि अब उन के सम्मुख पुनर्वास के सम्बन्ध में कौन-कौन सी शेष समस्यायें हैं ताकि उन को शीघ्र हल किया जा सके। मुझे उन से पत्र मिल रहे हैं। अगले ही महीने में मैं उनका एक सम्मेलन कर रहा हूं जो पांच या छः दिन तक चल सकता है। हम सब आमने सामने बैठ कर अपनी समस्याओं का अवलोकन करना चाहते हैं और उनको शीघ्र समाप्त करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि पश्चिमी विंग का सारा काम ३१ दिसम्बर १९५९ तक पूरा हो जाय या अधिक से अधिक ३१ मार्च १९६० तक तो अवश्य ही समाप्त हो जाये।

इस के बाद मैं पूर्वी रीजन की समस्याओं को लेता हूं। श्री साधन गुप्त ने तीन बातें कही हैं। एक, कि १९५४ में हुए पुनर्वास मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिश के अनुसार अभी तक शिविर बन्द नहीं किये गये हैं। दूसरे यह कि अभी बंगाल में और शरणार्थियों को बसाया जा सकता है। तीसरे यह कि पूर्वी रीजन ने शरणार्थियों के लिये छोटे कुटीर और बिचले दर्जे के उद्योगों की स्थापना के लिये जो नीति बनाई गई है उस के अनुसार पश्चिमी बंगाल में कोई उद्योग नहीं स्थापित किया जा सकता है।

[श्री मेहर चन्द खन्ना]

१९५४ में पुनर्वास मंत्रियों के सम्मेलन में पश्चिमी बंगाल की तात्कालिन समस्याओं पर विचार किया गया था। उस समय वहां के कैम्पों में केवल ६४,००० शरणार्थी थे। किन्तु पूर्वी रीजन में आने वाले शरणार्थियों की संख्या भयानकगति से बढ़ रही है केवल १९५४ में ही ४७,००० और शरणार्थी आ गये। १९५५ में ८६,००० और १९५६ में ९८,००० और शरणार्थी आये। १ जनवरी १९५७ को पहले ६४,००० व्यक्तियों के अतिरिक्त २,३१,००० और व्यक्ति इन कैम्पों में आ गये थे। यह संख्या ३ लाख के लगभग पहुंच चुकी है। इस प्रकार आर्थिक अथवा राजनीतिक कारणों से इन कम्पों में आने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ कर ३ लाख तक पहुंच चुकी है। केवल इतना ही नहीं। इन तीन वर्षों में परिव्रजनपत्र ले कर भारत आने वाले व्यक्तियों की संख्या ७ लाख तक पहुंच चुकी थी। इसके अतिरिक्त अनेक लोग जाली, परिव्रजनपत्रों या बिना किसी सीमापारण-पत्र के भारत में आये हैं।

पिछले दो वर्षों में अब स्थिति कुछ स्थिर हुई है। मैं ने इन वर्षों में कैम्पों से निकाल कर केवल ६०,००० व्यक्तियों को ही नहीं बसाया है बल्कि मैं इस समय तक इस क्षेत्र में १,२०,००० व्यक्तियों को बसा चुका हूं। इस के बावजूद भी १,८०,००० व्यक्ति अभी कैम्पों में शेष रह गये हैं।

अब हमें यह देखना है कि क्या पश्चिमी बंगाल में और शरणार्थियों को बसाया जा सकता है या नहीं। जहां तक भारत सरकार का प्रश्न है हम जहां कहीं भी शरणार्थियों को बसाने की योजना बनाते हैं उसका पूरा व्यय भारत सरकार को करना पड़ता है। इसलिये हमारे लिये इस बात का कोई अन्तर नहीं पड़ता कि हम उन को पश्चिमी बंगाल में बसाते ह या बिहार में या मध्य प्रदेश में क्योंकि प्रत्येक दशा में भारत सरकार को सारे का सारा व्यय स्वयं करना पड़ता है।

मध्य प्रदेश में अपनी समस्यायें हैं बिहार में अपनी। मेरे मित्र श्री विभूति मिश्र ने मुझे से कई बार पूछा है कि क्या हमारी अपनी कोई समस्यायें नहीं हैं। आप बंगाल के शरणार्थियों को बंगाल में ही बसायें बिहार पर उनका बोझा क्यों डाला जा रहा है? आप इस प्रकार अपने बोझ को हल्का करके बिहार या उड़ीसा का बोझ बढ़ा रहे हैं। मैं उन की कठिनाइयों को भली-भांति समझता हूं। मैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के मुख्य मंत्रियों का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने अपनी इतनी कठिनाइयां होतें हुए भी हंस कर हमारा हाथ बंटाया है और पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों को बसाने में बड़ी सहायता की है।

अभी कुछ समय पहले श्री घोषाल ने यह कहा है कि मंत्रियों की सम्मेलन की सिफारिशों के बावजूद भी विस्थापित व्यक्तियों को पश्चिमीं बंगाल से बाहर बसाया जा रहा है। मैं समझता हूं इस में हम कोई अपराध नहीं कर रहे हैं। १९५० में हम ने यह नीति तय की थी और उस समय सभी दल इस बात से सहमत थे कि इन को जहां कहीं सुविधाजनक हो वहां बसाया जा सकता है। सब से पहले हम ने कुछ लोगों को अंदमान में भेजा। इस के बाद अब तक हम ३०,००० परिवारों को पश्चिमीं बंगाल से बाहर बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के राज्यों में बसा चुके हैं। हम केवल पुरानी सर्वसम्मत नीति का ही अनुसरण कर रहे हैं।

दडकारण्य योजना का भी विरोधी पक्ष के कुछ लोगों ने विरोध किया है। किन्तु पी० एस० पी० ने इसका समर्थन किया है। पिछले दो वर्षों से हम अनेक लोगों को अकिक्कापुर और धर्मयमगढ़ भेजते रहे हैं। अगर अब हम ने कुछ लोगों को बस्तर या कोरापट भेज दिया तो इस में कौन सा अनर्थ हो गया है? मुझे समझ नहीं आता इन स्थानों में क्या अन्तर है जब लोग मध्य प्रदेश में जा सकते हैं

तो उनको उड़ीसा में जाने से क्या आपत्ति हो सकती है ? वहां भी लोग बसते हैं। हम ने चिलका झील को भी रिकलेम कर लिया है। हम इन्हीं दो राज्यों में लोगों को भेज रहे हैं। फिर इस का विरोध क्यों ? मैं आप को इस का सही कारण बतलाता हूं विरोधी पक्ष को अब यह दिखाई देने लगा है कि पश्चिमी रीजन की भान्ति पूर्वी रीजन में भी पुनर्वास के मामले अब सफल होने वाले हैं।

इस के पहले भी कुछ स्थानों से लोग भागत रहे हैं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। किन्तु पिछले दो वर्षों से बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा राजस्थान से जहां कहीं भी हम ने शरणार्थियों को बसाया है, क्या कभी कोई व्यक्ति भाग कर कहीं गया है ? इन स्थानों से कोई व्यक्ति नहीं गया। हम ने किसी को वहां रहने के लिये मजबूर नहीं किया। सभी लोग स्वेच्छा से और प्रसन्नता से रह रहे हैं।

हम ने प्रत्येक व्यक्ति को स्थानीय लोगों से अधिक उपयोग जमीन दी है। एक परिवार को बसाने में हम लोग लगभग ५,००० रुपया व्यय कर रहे हैं। दूसरे हम इन लोगों को खंड समूहों में बसाते हैं। हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि एक ही जाति समुदाय और मेल मिलाप वाले लोगों को इकट्ठा बसाया जाय। यही कारण है कि मेरे कुछ मित्रों के उन को बहकाने के भरसक प्रयत्न करने पर भी जिन का कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, हम लोग अपनी पुनर्वास योजनाओं में पूर्णतया सफल हो रहे हैं।

एक वर्ष पहले हम ने यह अनुमान लगाया था कि पश्चिमी बंगाल के कैम्पों में लगभग ४५,००० परिवार हैं। इनके अलावा १५ से २० हजार परिवार त्रिपुरा और बिहार में भी हैं और लगभग ५,००० परिवार चारबतिया कैम्प में हैं। हम इन राज्यों में इन को बसाने के लिए भूमि ढूंढन में तो सफल हो गये हैं किन्तु यह स्थान छोटे-छोटे हैं। यदि आप ४०,००० परिवारों को इकट्ठा बसाना चाहें और एक परिवार को ६ या ७ एकड़ भूमि दें तो आपको २ या २॥ लाख एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। किसी भी राज्य में इतनी भूमि इकट्ठी कैसे मिल सकती है ? इसलिए हम ने ऐसे स्थान पर भूमि ढूंढने की कोशिश की है जहां पर कि भूमि पर दबाव डाले बिना अधिक से अधिक लोगों को एक साथ बसाया जा सके और स्थानीय लोगों के जीवन में भी कोई गड़बड़ी न पैदा हो। साथ ही हम ने यह भी ध्यान रखा है कि वहां की जलवायु और वातावरण बंगाल से ज्यादा से ज्यादा मिलता जुलता हो ताकि शरणार्थियों को विशेष कठिनाइयां न हों। इन सब बातों की दृष्टि से हमें दंडकारण्य का क्षेत्र बहुत उपयुक्त जान पड़ा। इसके लिए मैं बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के राज्यों का बड़ा कृतज्ञ हूं जिन्होंने भारत सरकार को शरणार्थियों के बसान के लिए हजारों एकड़ भूमि दी है। हम कुछ लोगों को वहां भेज भी चुके हैं। इस काम में हम कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते। अब तक हम अन्य राज्यों में जो योजनाएं बनाते रहे हैं दंडकारण्य योजना उनसे कुछ भिन्न प्रकार की योजना है। अन्य राज्यों में जब तक हम लोगों को कहीं पर बसा नहीं देते थे तब तक उनको निर्वाह के लिए वृत्तियां देते रहते थे। किन्तु दंडकारण्य में हम इस नीति का अनुसरण नहीं करना चाहते। यहां पर जो भी आदमी जायगा उसको सबसे पहले काम दिया जायगा और फिर वहां पर बसने के लिए कहा जायगा। इस प्रकार ४०,००० या ५०,००० परिवारों को कार्य मुहैय्या करना एक महान् कार्य है किन्तु इस सब के जिम्मेवारी मैं अपने ऊपर लेता हूं।

मेरे कुछ मित्रों ने तीन चार महीने पहले लोगों को वहां पर जाने से रोकने के लिए एक आन्दोलन चलाया है। उन्होंने कई जलसे किये व जलूस निकाले। हम कुछ देर तक इस सब स्थिति को देखते रहे। किन्तु सभा को यह जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि इस आन्दोलन को न तो विस्थापित व्यक्तियों से और न पश्चिमी बंगाल की जनता से कोई प्रोत्साहन प्राप्त हुआ क्योंकि लोग अब तक भली भांति पहचान चुके हैं कि कौन उनका सच्चा शुभचिन्तक तथा मित्र है।

†**श्री अरविन्द घोषाल** : इस में आप ने कितने लोगों को बन्दी बनाया है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : इसके बारे में मैं एक पृथक् वक्तव्य दूंगा । मुझे यह सूचना मिली है—हो सकता है यह सही न हो—कि हम जब कभी हम कलकत्ता स्थित शरणार्थियों को वृत्ति देते थे तो एक विशेष पार्टी उसमें से प्रति रुपये पर शरणार्थियों से एक आना ले लिया करती थी । इस प्रकार उसको प्रतिमास ७०,००० या ८०,००० रुपये की आमदनी हो जाती थी । इस रुपये से उसने अनेक वर्कर भर्ती कर रखे थे । इस प्रकार जब वह जलूस निकालना चाहते थे, चाहे वह मेरे वहां जाने की खुशी में हो या डा० बी० सी० राय के निवास पर प्रदर्शन करने के लिए हो, इन लोगों को इस रुपये में से पैसे देकर इकट्ठा कर लेते थे । जो आदमी जलूस में सबसे आगे होता था उनको १ रुपया, जो बीच में होते थे उनको १२ आने और सब से पीछे होते थे उनको ८ आने प्रति व्यक्ति मिलता था । यह भेदभाव बिल्कुल स्पष्ट है । क्योंकि अगर कोई एसा कांड कराना हो जैसा कि कुछ दिन पहले जामनगर हाऊस के बाहर हुआ था तो सबसे आगे वाले आदमियों का उस में सबसे ज्यादा हिस्सा लेना पड़ता है । जब यह आन्दोलन चला हुआ हमने भली भांति जान लिया था कि इसको पश्चिमी बंगाल के लोगों से कितनी सहानुभूति प्राप्त है और इस आन्दोलन का किस प्रकार के समाचार पत्र प्रचार कर रहे हैं ? जब यह आन्दोलन प्रारम्भ हुआ तब मैंने पश्चिमी बंगाल की सरकार को यह आदेश दिये कि प्रति दिन ३ बजे, जो कि प्रदर्शन का समय होता था कैम्पों में वृत्ति प्राप्त करने वाले शरणार्थियों की हाज़री लगाई जाय और जो व्यक्ति उस समय ग़ैर-हाजिर हो उसको उस दिन की वृत्ति न दी जाय । मैं चाहता था कि ऐसे लोगों को दोनों तरफ़ से धन कमाने का मोका न दिया जाय । दूसरी बात मैं ने यह की कि जो भी शरणार्थी इस आन्दोलन में बंदी बनाया जाय उसका नाम कैम्प में से काट दिया जाय । इस प्रकार हमें केवल २५० शरणार्थियों के नाम काटने पड़े । कुछ दिन पीछे इन प्रदर्शनकारियों के नेता श्री ज्योति बसु मेरे पास दिल्ली आये—इस से पहले वह कलकत्ता में डा० बी० सी० राय को भी मिले थे—और कहने लगे कि इन निर्धन शरणार्थियों की वृत्तियां फिर से बहाल कर दी जायं । हम उनकी प्रार्थना पर विचार कर रहे हैं ।

मुझे इन विस्थापित व्यक्तियों के विरुद्ध कुछ नहीं कहना है । जो सरकार उनको बसाने पर ३३० करोड़ रुपये व्यय कर सकती है, उन्हें १८५ करोड़ रुपया मुआवज़े में दे सकती है और उनको १९ लाख एकड़ भूमि दे सकती है वह किसी शरणार्थी का कोई रुपया नहीं रखना या बन्द करना चाहती है । किन्तु साथ ही हम उनको राजनीतिक दलों के हाथ में कठपुतलियां भी नहीं बनना देना चाहते हैं ।

मेरे मंत्रालय तथा मेरे विरुद्ध अनेक झूठे मूठे आरोप लगाये गये हैं । हमारे विरुद्ध इस प्रकार के आरोप लगाना सर्वथा अनुचित है । केवल इस वर्ष में ही अर्थात् १९५८-५९ में छोटे तथा कुटीर उद्योगों की २६ योजनाएं स्वीकार की गई हैं । अब तक कुल १२३ योजनाएं स्वीकार की जा चुकी हैं । इन पर १०४ लाख रुपया लगा है और इन से १४,००० विस्थापित व्यक्तियों को काम मिला है । इसके अतिरिक्त हम ने बिचले दर्जे के उद्योगों की १८ योजनाएं स्वीकार की हैं । इन पर २।। करोड़ और ३ करोड़ रुपये के बीच रकम खर्च होगी । ये सब योजनाएं पश्चिमी बंगाल में हैं। इन में से कुछ सरकारी क्षेत्र में हैं और कुछ ग़ैर-सरकारी क्षेत्र में । अभी हाल में हम ने एक पुनर्वास उद्योग निगम बनाया है । यह निगम केवल पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापित व्यक्तियों को रुज़गार दिलाने के उद्देश्य से बनाया गया है । इसे पूर्वी रीजन में सरकारी तथा गैर-सरकारी

†मूल अंग्रेजी में

दोनों क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापित करने का कार्य सौंपा गया है। हम यह चाहते हैं कि यह काम शीघ्र अतिशीघ्र हो क्योंकि जो लोग दंडकारण्य में चले जायेंगे उन्हें तो वहां पर काम मिल जायगा किन्तु जो लोग पश्चिमी बंगाल में रह जायेंगे उनको हम वहीं पर फौरन रोज़गार पर लगाना चाहते हैं। इस निगम के पास १० करोड़ रुपये की पूंजी होगी। इसके निर्देशकों में पश्चिमी बंगाल के प्रसिद्ध लोग जैसे श्री बी० पी० सिंह राय, श्री डी० एन० सेन और श्री के० के० राय आदि होंगे। इसका चेयरमेन श्री जी० डी० बिड़ला होगा। इस पद को स्वीकार करने के कारण मैं बिड़ला जी का बड़ा कृतज्ञ हूं।

†**श्री वासुदेवन् नायर** (तिरुवल्ला): योजनाओं की स्वीकृति का क्या लाभ है इनमें से वास्तव में कितनी योजनाएं क्रियान्वित हुई हैं?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना**: यदि माननीय सदस्य इस निगम से पहले स्वीकृत की गई योजनाओं की सूचना मांगते हैं . . . .

†**श्री वासुदेवन् नायर**: स्वीकृत नहीं क्रियान्वित योजनाओं की।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना**: यह निगम अभी कुछ दिन पहले स्थापित हुआ है।

†**श्री वासुदेवन् नायर**: आप ने जिन अन्य योजनाओं का उल्लेख किया है उनका क्या हुआ है?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना**: पिछले दो या तीन वर्षों में १८ योजनाएं स्वीकार की गई थीं। इनमें से कुछ क्रियान्वित हुई हैं शेष चालू की जा रही हैं। ५० लाख या १ करोड़ रुपये का उद्योग शुरू करने से पहले प्रायः कई बातों पर विचार करना होता है। बाहर से मशीनरी मंगवाने, उसके लिये आवश्यक विदेशी मुद्रा जुटाने, स्थान का निर्णय करने तथा कारखाने के लिए पानी तथा बिजली सम्बन्धी अनेक बातों पर विचार करना पड़ता है। पश्चिमी बंगाल के कुछ हिस्सों में बिल्कुल बिजली नहीं मिलती है। वहां अपनी बिजली बनाना भी व्यवसायिक दृष्टि से फायदेमन्द नहीं हो सकता। हमें इस के लिए लोगों को विशेष राजसहायता देकर प्रोत्साहित करना पड़ता है। इस प्रकार की कठिनाइयों को देखते हुए और यह देखते हुए कि हम पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों को बसाने के लिए अब तक १०० करोड़ रुपये खर्च कर चुके हैं इस सभा के सदस्यों को जो कि बहुत ज़िम्मेदार समझे जाते हैं, यह कहना शोभा नहीं देता कि सरकार या हमारा मंत्रालय पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों के बसाने के प्रति बड़ी लापरवाह तथा बेफिक्र है। इस वर्ष के बजट में पूर्वी रीजन के शरणार्थियों के लिए १७ करोड़ रुपये और दंडकारण्य योजना के लिए ६ करोड़ रुपये तथा पुनर्वास औद्योगिक निगम के लिए ३ करोड़ रुपये की रकम मांगी गई है। केवल पूर्वी रीजन का बजट २७ करोड़ रुपये है। यह छोटी रकम नहीं है।

यह कहना कि हम अभी एक भी परिवार को नहीं बसा पाये हैं सरासर गलत है। हम पूर्वी रीजन में लगभग ५ लाख परिवारों को ऋण दे चुके हैं। श्री घोष ने यह कहा है कि जहां हम ने पश्चिमी क्षेत्र में २ लाख मकान बनाये हैं पूर्वी क्षेत्र में हम ने उसके मुकाबले बहुत कम काम किया है। यह बात भी गलत है। हम पूर्वी रीजन में शहरों में मकान बनाने के लिए सवा लाख डेढ़ लाख लोगों के ऋण दे चुके हैं। इन ऋणों की रकम १६ करोड़ रुपये है। दोनों क्षेत्रों में यह अन्तर है कि जहां पश्चिमी क्षेत्र में सरकार ने स्वयं मकान बनवा कर शरणार्थियों को किराये पर दिये और फिर जो भी व्यक्ति चाहता है वह सरकार को उसका मूल्य देकर स्वामी बना सकता है

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मेहर चन्द खन्ना]

पूर्वी रीजन में प्रत्येक व्यक्ति मकान की बजाय ४ या ५ खाते जगह चाहता है जिस में वह अपनी मर्ज़ी का मकान, बग़ीचा इत्यादि लगा कर अपने एक विशेष प्रकार के वातावरण में रहना चाहता है। इस लिए सरकार ने वहां पर सीधे मकान न बना कर लोगों को जगह व मकान बनाने के लिये ऋण दे दिये हैं और वे लोग अपने मकानों के सीधे मालिक हैं। यह एक सर्वथा भिन्न पक्ष है कि उन्होंने इस ऋण तथा ब्याज को चुकाया है या नहीं। मेरे विचार में केवल २, ३ या हद से हद चार प्रतिशत लोग ही ऐसे होंगे जिन्होंने ऋण नहीं चुकाया है।

अब में इस बात को लेता हूं कि क्या पश्चिमी बंगाल में और शरणार्थियों को बसाया जा सकता है या नहीं। इस सम्बन्ध में हम ने बार-बार इशाक रिपोर्ट का जिक्र सुना है। शायद इशाक महोदय विभाजन से पहले वहां रहते थे या उनकी मृत्यु हुई अथवा वह पाकिस्तान चले गये मुझे इसका कुछ ज्ञान नहीं है। वह मुस्लिम लोग मंत्रिमंडल के एक सदस्य थे। उन्हों ने एक रिपोर्ट दी थी जिस पर पश्चिमी बंगाल की सरकार ने भली भांति विचार किया है। में इस में से एक पैरा पढ़ कर सुनाऊंगा यह बताने के लिये कि इस का क्या महत्व है। यह पश्चिमी बंगाल में उपलब्ध भूमि के बारे में है। इस के बारे में पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री डा० बी० सी० राय का कहना है कि बारम्बार इशाक रिपोर्ट (१९४४–४५) का हवाला दे कर यह कहा जाता है कि पश्चिमी बंगाल में कृषक शरणार्थियों को बसाने के लिये काफी भूमि है। इस में बेकार पड़ी 'अकृष्य' और 'कृष्य' भूमि का जो ब्योरा दिया गया है वह सर्वथा भ्रामक है। इस रिपोर्ट में जिस भूमि को अकृष्य भूमि कहा गया है उस में अधिकतर नदियों, तालाब, दलदल वाले इलाके, सड़कें, रेलें, मन्दिर तथा मस्जिदें, मकान, दुकानों आदि की भूमि दिखाई गई है। और उन्हों ने जो 'कृष्य' बेकार भूमि दिखाई है उस में भीटा, चरागाहें, जंगल व खेलने के मैदानों आदि की भूमि शामिल की है। इस के अलावा इस में वह पुरानी ऊसर भूमि दिखाई गई है जिस का पिछले तीन वर्षों में यदा कदा निजी किसानों ने अपनी आवश्यकतानुसार कभा प्रयोग किया है। किन्तु अब यह सारी स्थिति बदल चुकी है। अब स्वभावतः आबादी बहुत बढ़ चुकी है और साथ ही अधिक से अधिक भूमि पर खेती शुरु की जा चुकी है। इशाक रिपोर्ट में बताया गया है कि हावड़ा में १२,०५७.५४ एकड़ उपजाऊ भूमि बेकार पड़ी है जब कि डी० एल० आर० द्वारा किये गये आधुनिक सर्वेक्षण के अनुसार वहां पर केवल ४,३०७ एकड़ ऐसी भूमि पाई गई है। हमारे अनुमान के अनुसार पश्चिमी बंगाल में १ लाख एकड़ से अधिक जोत की भूमि नहीं है। इस तथ्य का पश्चिमी बंगाल द्वारा शरणार्थियों के बसाने के कार्यों के बारे में निकाली गई एक पुस्तिका में उल्लेख किया गया है। कुल भूमि १,०३,००० एकड़ है जिस में से ८०,००० एकड़ भूमि मिदनापुर जिले में है शेष सारे पश्चिमी बंगाल में यत्र तत्र फैले हुए छोटे-छोटे टुकड़ों के रूप में है।

कल मेरे एक मित्र ने यह कहा है कि हम शरणार्थियों को बसाने के लिये तिस्ता नदी के समीप जलपयगिरि और मिदनापुर में सुन्दरबन अर्थात् हिरोभंगा की भूमियों का विकास करने में बड़ा जोखिम उठा रहे हैं। उन का कथन बिल्कुल सत्य है। ये भूमियां बिल्कुल बियाबान और ऊसर हैं। यहां उपज की बहुत कम आशा की जा सकती है। अगर यहां उपज हो सकती तो यह इतने वर्षों तक बे आबाद कैसे पड़ी रहतीं। किन्तु हम यह सब जानते हुए भी क्यों यह जोखिम उठा रहे हैं। इसलिये कि हम यह दिखाना चाहते हैं कि अगर पश्चिमी बंगाल में कहीं पर भी शरणार्थियों को बसाने के लिये भूमि मिल सकती है तो सरकार उस का विकास करने को तैयार है।

हम ने लोगों को वहां पर बसने के लिये १५ लाख रुपये के ऋण दिये हैं और उन को कृषि अनुसन्धान परिषद् से परामर्श प्राप्त करने की भी व्यवस्था की गई है। हम इन भूमियों पर १ करोड़ रुपये की पूंजा लगा चुके हैं। अब भी यह कहते जाने से कि पश्चिमी बंगाल में शरणार्थियों को बसाने के लिये और भूमि है कोई लाभ नहीं होगा।

इसलिये हम ने दण्डकारण्य योजना बनाई है । हम ने वहां के बारे में प्रत्येक प्रकार के विशेषज्ञों से राय ली है । वहां पर मलेरिया, भूसंरक्षण, तटबंदी, कुओं के पानी आदि हर विषय पर जानकारी प्राप्त कर ली गई है ।

मैं आशा करता हूं कि हमारे मंत्रालय का कार्य अगले दो वर्षों में पूरा हो जायेगा । अब तक यह मंत्रालय १० या ११ साल काम कर चुका है । पिछले दो वर्षों में हम १,२०,००० लोगों को कैम्पों से निकाल कर बसा चुके हैं । मेरा लक्ष्य यह है कि प्रति मास १०,००० लोगों को कैम्पों से छुट्टी दे कर उन के बसाने का बन्दोबस्त होना चाहिये । इस रफ्तार से साल, पंद्रह महीने या हद से हद डेढ़ वर्ष में पश्चिमी बंगाल के कैम्पों को खाली कर देना चाहिये । इन में से कुछ को हम दंडकारण्य ले जा रहे हैं । शेष को राज्य में भी बसाया जायेगा ।

मेरे कुछ मित्रों ने त्रिपुरा और आसाम के कैम्पों का भी जिक्र किया है । किन्तु आज हमारे सामने मुख्य समस्या पश्चिमी बंगाल की ही है । मैं अभी आसाम और त्रिपुरा गया था और वहां के मुख्य मंत्री तथा मुख्यायुक्त से बातचीत की थी । हम ने सब समस्या पर विचार किया और यह भी देख लिया है कि कितना कार्य शेष रह गया है । हम आसाम और त्रिपुरा के शेष कार्य को एक वर्ष के अन्दर समाप्त करने का विचार रखते हैं । आसाम के ८० प्रतिशत से अधिक शरणार्थी १९५२ से वहां रह रहे हैं । केवल २० प्रतिशत शरणार्थी वहां पिछले ७ वर्षों में आये हैं । त्रिपुरा में हम ने अब तक पुनर्वास पर १० करोड़ रुपया व्यय किया है । जब मैं दो महीने पहले वहां पर गया था तो मेरे मित्र ने वहां पर एक बड़े भारी जलूस और प्रदर्शन का आयोजन किया था और यहां तक कि वहां के मुख्यायुक्त के आवास के सामने भूख हड़ताल भी की थी ।

चूंकि मेरे मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर ७ तारीख से यहां चर्चा शुरू होनी थी इसलिये मैं उसी दिन दिल्ली लौट आया । यहां आने पर मैं ने अमृत बाजार पत्रिका में पढ़ा कि १९ व्यक्तियों ने भूख हड़ताल की है । त्रिपुरा में बड़ी मुश्किल से ३।। लाख व्यक्ति अर्थात् ५०,००० या ६०,००० विस्थापित परिवार हैं । हम उन के पुनर्वास पर १० करोड़ रुपया व्यय कर चुके हैं । मैं शेष कार्य को भी शीघ्रातिशीघ्र समाप्त करना चाहता हूं ताकि राज्य का समान कार्य ठीक ढंग से चालू हो सके ।

जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं यह मंत्रालय विभाजन के कारण पैदा हुई एक आपात कालीन स्थिति का सामना करने के लिये बनाई गई थी । इसे एक न एक दिन अपना कार्य पूरा कर के अपने आप को समाप्त करना है । किन्तु क्योंकि इस मंत्रालय को आवास, प्रशिक्षण, शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, अशक्त व्यक्तियों के लिये सदनों आदि का भिन्न-भिन्न प्रकार का कार्य करना पड़ रहा है । इन सब विषयों की व्यवस्था करने के लिये स्थायी मंत्रालय हैं । प्रारम्भ में चाहे इन कार्यों के लिये मेरे मंत्रालय की कोई आवश्यकता रही हो । किन्तु अब औद्योगीकरण की योजनायें काफी प्रगति कर चुकी हैं । इस कार्य को अब वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय को अपने हाथ में ले लेना चाहिये । इसी प्रकार हम कुछ छात्रवृत्तियां देते हैं । यह कार्य शिक्षा मंत्रालय कर सकता है । पश्चिमी रीजन में हम ने ऐसा किया भी है । मैं चाहता हूं कि अगले दो वर्षों में वे सभी काम जो स्थायी महत्व के हैं और जिन को अब तक पुनर्वास मंत्रालय करता रहा है अब भारत सरकार के तत्संबंधी मंत्रालय को सौंप देना चाहिये । शेष कार्य को मैं बड़ी जल्दी समाप्त कर देना चाहता हूं । जैसा कि हम ने पश्चिमी रीजन में किया है । हम ने किसी भी समय पश्चिम अथवा पूर्व के शरणार्थियों में किसी प्रकार का भेद भाव नहीं किया है । यदि अगले ो वर्षों में पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों की समस्या का हल हो सकता है तो मैं सब से अधिक प्रसन्नता अनुभव करूंगा ।

†**श्री दशरथ देव :** मंत्री महोदय ने १९५४ के बाद त्रिपुरा में आने वाले शरणार्थियों के बारे में कुछ नहीं बताया है जो अब कृषि के लिये अधिक ऋण तथा नये ऋण मांग रहे हैं। इस बारे में मंत्रालय क्या करने जा रहा है।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** कल मैं ने जब समाचार पत्र में यह खबर पढ़ी तब मैं ने वहां के मुख्या-युक्त को इस आशय का एक तार भेजा है कि यदि कोई बहुत ही जरूरतमंद हो और उस की आवश्यकता उचित हो तो उसे ऋण दिया जा सकता है किन्तु यदि कोई व्यक्ति दबाव डाल कर या धमका कर ऋण मांगना चाहता हो उसे एक पाई भी न दी जाये।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब मैं कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा पुनर्वास मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गई तथा स्वीकृत हुई :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
७२	पुनर्वास मंत्रालय	३४,२१,०००
७३	विस्थापित व्यक्तियों तथा अल्प संख्यकों पर व्यय	१८,०५,०८,०००
१२८	पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी व्यय	१८,५१,६७,०००

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब सभा सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय की अनुदानों की मांग संख्या ६, ७ और १०८ पर चर्चा करेगी। जो माननीय सदस्य कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत करना चाहते हों वे पन्द्रह मिनट में अपने कटौती प्रस्तावों की संख्या सभा-पटल पर दे दें।

वर्ष १९५९-६० के लिये सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
६	सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय	२५,१२,०००
७	सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा और सहकारिता	१६,८६,९०,०००
१०८	सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय का पूंजी व्यय	३,४७,१५,०००

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय की तरफ से ये मांगें सभा में पेश कर रहा हूं। इसलिये कि इन मांगों को जिन्हें पेश करना चाहिये था, वह मंत्री बीमार हैं। वह यहां नहीं आ सकते। मेरा ख्याल है कि उनकी बीमारी की वजह यही है कि उन्होंने इन मन्त्रालयों के लिये बहुत ज्यादा जुट कर काम किया है। बड़ी खुशी की बात है कि अब वह अच्छे होते जा रहे हैं और जल्द ही फिर अपना यह भारी जिम्मेदारी का काम सम्भाल लेंगे।

मैं इस वक्त शुरूआत में, सामुदायिक विकास के आम आन्दोलन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मैं सहकार आन्दोलन के बारे में ही कुछ कहना चाहता हूं। इसलिये कि पहली चीज़ के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है और अभी इस चर्चा के दौरान में और भी बहुत-कुछ कहा जायेगा। हमारे मुल्क में, और दुनिया में सहकार आन्दोलन कोई नयी चीज नहीं है। हमारे मुल्क की भी यह बहुत काफी पुरानी चीज़ है। कितनी पुरानी यह में नहीं बता सकता। कभी इसे ज्यादा कामयाबी मिली है तो कभी कुछ कम। हमें इसका तजुर्बा भी है। फिर भी, अब हमारे मुल्क में इसके लिये जो नजरिया अपनाया जा रहा है, कम से कम हमारे लिये तो उसमें कुछ नयापन है ही। हमारा यह नजरिया एक दम पैदा नहीं हो गया है, अपने आप नहीं बन गया है। उसके पीछे हमारा तजुर्बा है। उसके लिये हमने काफी सोच-विचार किया है। लोग यह सोचने लगते हैं कि कोई नई चीज़ खड़ी कर दी गई है, लेकिन सच तो यह है कि योजना आयोग में, बार-बार, हर मंजिल पर काफी सोच-विचार के बाद ही हमने यह नजरिया बनाया है और पंचवर्षीय योजनाओं की रिपोर्टों में इसका जिक्र किया गया था। उन रिपोर्टों से पता चल सकता है कि हमने इस पर कितना ज्यादा सोच-विचार किया है।

आज से कुछ महीने पहले नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल (राष्ट्रीय विकास परिषद्) की एक बैठक हुई थी। उसमें भी सभी की एक राय थी कि हमारे मुल्क के हर गांव में गांव की सहकारी संस्था बनाने का काम आगे बढ़ाया जाना चाहिये। जो लोग इसके बारे में सोच ही नहीं रहे थे, उनको शायद इससे ताज्जुब हुआ था। फिर भी, उस समय इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। कुछ दिन बाद, नागपुर में नेशनल कांग्रेस की बैठक हुई। उसमें इसकी सिर्फ ताइद ही नहीं की गई, इसे सिर्फ माना ही नहीं गया, बल्कि उसमें इस आन्दोलन पर और उसके अन्तिम उद्देश्य यानी मिली-जुली या सामूहिक खेती पर बहुत ज्यादा जोर भी दिया गया। उस पर खास जोर दिया गया। लेकिन उस बैठक में यह भी कहा गया कि अभी शुरू के अगले तीन साल तक हमें सेवा सहकारी समितियों पर ही सबसे ज्यादा जोर देना चाहिये। फिर, आपको याद होगा कि इस निर्णय के बारे में कुछ उत्तेजित भावनाओं को व्यक्त किया गया, मानो कोई बड़ा खतरनाक क़दम उठा लिया गया है। इस सभा में इस प्रकार के कुछ विचार प्रकट किये गये।

उस बैठक को हुए कई हफ्ते, शायद एक महीने से कुछ ज्यादा वक्त, हो चुका है। उसके बाद से अब तक इस सभा के और इसके बाहर के भी सामान्यतः सभी लोगों ने इसी नजरिये इसी मूल दृष्टिकोण को मान लिया है, और काफी डट कर माना है। सिर्फ चन्द लोग ही ऐसे हैं, जो दोपहर को भी दिन नहीं कहना चाहते। वैसे हमारे मुल्क के आम तौर पर सभी लोगों ने इसे मंजूर किया है। यह दूसरी बात है कि इसकी बारीकियों और ब्यौरे के बारे में उन लोगों की अपनी अपनी मुख्तलिफ रायें हो सकती हैं, और जाहिर है कि एक इतने बड़े प्रोग्राम में वैसा होना लाजिमी है। फिर भी, हमारे बुनियादी नजरिये को सभी ने मंजूर किया है, और पसन्द भी किया है। इसका असर देहातों के लोगों पर ही पड़ना है, और मेरा ख्याल है कि देहातों की आम जनता ने इसे और भी खास तौर पर पसन्द किया है। बारीकियों की बात छोड़िये, वैसे आम तौर पर इस बुनियादी नजरिये को सभी ने पसन्द किया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

में सभा के सामने पहले इसका एक पहलू पेश कर रहा हूं। हम सहकार आन्दोलन, ग्राम सहकारी संस्थायें, वगैरह की बातें करते रहते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस पर एक और व्यापक और गहराई के नजरिये से गौर करें। यह नज़रिया है हमारे विस्तृत ग्रामीण क्षेत्रों का पुर्नसंगठित होना और एक नये सामाजिक ढांचे का बनना, जिसका एक महत्वपूर्ण अंग यह सहकारिता आन्दोलन है। हम पंचायतों की बातें करते हैं, ऐसी पंचायतों की जिनका दायरा छोटा और एक गांव तक महदुद हो और एक गांव में उसकी अपनी ताकत ज्यादा हो और वह स्वायत्त हो। लेकिन इसकी परिभाषा क्या है? आप पायेंगे कि सबसे जरूरी और अहम बातें सबसे बड़ी विशेषतायें वही हैं जो एक सहकारी संस्था में होती हैं: निकट का सम्पार्क अटूट सामाजिक सम्बन्ध और एक-दूसरे के प्रति जिम्मेदारी।

हमें इस पूरी चीज़ को इस नजरिये से देखना चाहिये कि हमें धीरे-धीरे अपने देहातों का एक नया समाजी ढांचा तैयार करना है। वाक़ई यह एक बहुत बड़ा काम है। और असल में हमने जब सामुदायिक विकास आन्दोलन को शुरू किया था, तब भी हमारा उद्देश्य यही था पर उस वक्त हमने यह नहीं कहा था कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिये किस संस्था का सहारा लेना पड़ेगा, किस संस्था के जरिये इसे हासिल किया जायेगा। अब सहकारी समितियों की शक्ल में हमें वह संस्था मिल गई है। इसमें शक नहीं कि पहले भी सामुदायिक विकास आन्दोलन का मंशा यही था कि देहातों में रहने वाले लोगों को एक दूसरे के ज्यादा नज़दीक आकर, मेल जोल से, सहयोग से काम करने लायक बनाया जाये और उनको अपने पैरों पर खड़ा करके, देहातों की चौतर्फा तरक्की की जाये, हर मोर्चे पर आगे बढ़ाया जाये, खास तौर से खेती के मोर्चे पर, क्योंकि उसी मोर्चे पर आगे बढ़ना और अनाज की पैदावार बढ़ाना हमारे लिये एक बहुत बड़ी अहमियत रखता है। सहकारी समितियां, और पंचायतें भी, इसी उद्देश्य को पूरा करने की संस्थायें हैं।

मतलब यह है कि हम इसी बुनियादी नजरिये को, सामाजिक नजरिये को भूमि की समस्या पर लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, एक बहुत बड़े पैमाने पर कोशिश कर रहे हैं। बहुत बड़े पैमाने पर इसलिये कि हमारा मुल्क भी बहुत लम्बा-चौड़ा है। इस सिलसिले में, हमारे सामने दो बिल्कुल मुखालिफ़ नजरिये आये थे। उनमें से एक तो हर आदमी की अलग-अलग इकाई पर ज्यादा जोर देता था और उससे छोटी-छोटी जोतों पर ज्यादा जोर देने की बात पैदा होती थी। उससे हमारे आगे बढ़ने में अड़चन पैदा होती। दूसरा नजरिया था सामूहिक खेती का, जिसमें अलग-अलग जोतें रह ही नहीं जातीं। हमने उन दोनों में से किसी को भी नहीं अपनाया है। हमने उनके बीच का—यह सहकारी खेती का—नज़रिया ही अपनाया है, जो हमारे बुनियादी उसूलों से भी मेल खाता है। इसमें शक नहीं कि हम जैसे-जैसे आगे बढ़ते जायेंगे, इस बात पर बार-बार गौर करते रहेंगे, हालात बदलने पर उनके मुताबिक इसमें तबदीलियां भी करते जायेंगे। हमारे नज़रिये में लचकीलापन होना ही चाहिये। हमारे जैसे मुल्क में किताबी ढंग से, बनाया हुआ कोई भी नजरिया ठीक नहीं रहेगा। इसकी दो वजहें हैं। पहली तो यह कि हमारा मुल्क एक इतना बड़ा मुल्क है कि उसमें एक-दूसरे से बिल्कुल ही मेल न खाने वाले हालात पाये जाते हैं। दूसरी यह कि इस आन्दोलन का असर ३० करोड़ जनता पर पड़ेगा, यह आन्दोलन उनको एक पिछड़ी हुई अवस्था से आगे की नई-नई मंजिलों की ओर ले जायेगा; सामाजिक और आर्थिक विकास की ओर ऊंची मंजिलों पर ले जायेगा। इसलिये आपको इस मामले में आवश्यकतानुसार परिवर्तन करते हुए काम करना होगा आपको बार-बार इस पूरी चीज़ पर विचार करते रहना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि सभा कभी इस पूरी चीज़ को इसी बुनियादी और व्यापक नजरिये से देखे।

हम में लचकीलापन होना चाहिये, जरूरी है। हां, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि हम कोई निश्चित बात ही न करें, एक ढीले-ढाले ढंग से आम किस्म की बातें ही कहते रहें। यह भी ठीक नहीं है। हमें इस सहकारी आन्दोलन को साफ़ तौर पर समझना चाहिये, हमें साफ़ तौर पर समझना चाहिये कि हम देहातों में इसे क्या शक्ल देंगे।

इस पर पिछले दो-तीन साल से चर्चा हो रही है। शायद एक कटौती प्रस्ताव में देहाती-ऋण सर्वेक्षण का जिक्र किया गया है। वह एक बड़ी अच्छी चीज थी और उसने कई बड़े अच्छे सुझाव भी रखे थे। लेकिन देहाती सहकारी समितियों के बारे में जो सिफारिश की गई थी, मेरा ख्याल है, वह इस बात को मानकर की गई है कि हमारे देहातों की जनता बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई है, इतनी कि उसे ज्यादा जिम्मेदारी का कोई भी काम नहीं सौंपा जा सकता। मैं इस नजरिये को ग़लत समझता हूं। यह सही है कि हमारी देहाती जनता पिछड़ी हुई है, कोई बहुत आगे बढ़ी हुई नहीं है। लेकिन सवाल तो यह है कि आप लोगों को जिम्मेदारी के काम सौंप कर ही कुछ सिखा सकते हैं। लोगों को सिखाने का ज्यादा अच्छा तरीका यही है। इसमें खतरे तो होते हैं, लेकिन आपको खतरे मोल लेने पड़ेंगे। यह जरूरी है। हां, आप उनके बचाव के उपाय भी कर सकते हैं। सर्वेक्षण करने वाले लोग चूंकि यह गलत बात मान कर चले थे, इसीलिये उन्होंने बड़ी-बड़ी सहकारी समितियों पर ही जोर दिया है। उनका कहना है कि सहकारी समिति जितनी बड़ी होगी, उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके पास उतने ही ज्यादा संसाधन होंगे, और काम सीखे हुए थोड़े से आदमियों से सारी समितियों का काम चल जायेगा।

एक दूसरा नज़रिया यह था कि सहकारिता के आन्दोलन का सारा निचोड़ इस बात में है कि वह एक गैर-सरकारी आन्दोलन होना चाहिये, उसे अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिये और उसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये और इसी वजह से उसमें सामाजिक सम्बन्ध पैदा होते हैं, निकट का सम्पर्क बनता है और एक-दूसरे के प्रति जिम्मेदारी महसूस होती है। लेकिन अगर आप २०-३० या ४० गांवों की एक सहकारी समिति बना दें, तो उसमें न तो निकट सम्पर्क रह जायेगा और न समाजी गुथाव ही पैदा होगा। इसीलिये देहाती ऋण सर्वेक्षण की इस एक सिफारिश की नुक्ताचीनी की गई थी। मैं उस की अन्य सिफारिशों की बात नहीं कह रहा हूं। हमने, सरकार की तरफ से, देहाती ऋण सर्वेक्षण की रिपोर्ट को एक मोटे तौर पर मंजूर कर लिया था। असल में, हमने इस खास मसले पर कोई ज्यादा बहस भी नहीं की थी। लेकिन बाद में यह मसला बार-बार हमारे सामने उठता रहा। लोगों ने कहना शुरू किया कि वह नजरिया अपने-आप में एक अच्छा नजरिया हो तो हो, लेकिन वह सहकारिता का नज़रिया तो है नहीं; उससे सहकारी समितियां पैदा नहीं होंगी, हां कुछ ऐसी संस्थायें ज़रूर पैदा हो जायेंगी जो अफसरों के चलाये ही चलेंगी और जिनके चलाने के लिये बाहर से, बैंकों वगैरह से रुपया मिलता रहेगा। दो-तीन साल तक यही बहस चलती रही। और चूंकि देहाती-ऋण सर्वेक्षण की सिफारिश थी और उसके लिये बैंकों से खास तौर से रिजर्व बैंक से, रुपया-पैसा मिलता था, इसलिये बड़ी-बड़ी सहकारी समितियां बनाने का काम ज़ारी रहा। मैं यह नहीं कहता कि उन बड़ी-बड़ी समितियों को, संस्थाओं को, कोई भी कामयाबी नहीं मिली। कुछ कामयाबी जरूर मिली। लेकिन ज्यादातर लोग धीरे-धीरे, छोटी-छोटी समितियों, ग्राम सहकारिता समितियों को ज्यादा ठीक मानने लगे। उसकी वजह मैं बता ही चुका हूं। असल में ग्राम सहकारिता समितियां ही सही अर्थ में सहकारी समितियां हैं। उनमें आप लोगों को निकट सम्पर्क बनाने, एक सामाजिक गुथाव पैदा करने और एक-दूसरे के प्रति ज़िम्मेदारी महसूस करने की बात सिखा सकते हैं। इसलिये सहकारी संस्था बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिये। तभी जनता आगे बढ़ सकेगी।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

बहुत बड़ी-बड़ी समितियों और ग्राम सहकारिता समितियों के बीच की इस खाई को पूरने के लिये, एक और सुझाव आया था । यह कि ग्राम सहकारिता समितियां तो बनाई जायें, लेकिन ऐसी १०-१५ समितियों का एक संघ बना दिया जाये, जिससे कि आम तौर पर सभी सहकारिता समितियों के काम की देखभाल की जा सके और बैंक वगैरह उनकी सहायता कर सकें ।

राष्ट्रीय विकास परिषद ने ग्राम सहकारिता समितियों को ही ज्यादा अच्छा समझा । नेशनल कांग्रेस ने भी बिल्कुल उनको ही पसन्द किया । राष्ट्रीय विकास परिषद् की अभी जो बैठक हुई थी, उसमें भी इस पूरे मामले पर फिर से विचार किया गया था और इस सिलसिले में एक सब-कमिटी भी बना दी थी, जिसने इस पर रिपोर्ट पेश की थी । अब स्थिति यह है कि एक मोटे-तौर पर इन उसूलों को सभी ने मंजूर कर लिया है । मैं बता ही चुका हूं कि उसूल क्या हैं, वही सामाजिक गुथाव, वगैरह के । अब यह एक उसूल भी मोटे तौर पर मान लिया गया है कि इन संस्थाओं को अफ़सरों की मदद तो हो, लेकिन सरकारी अफसर इन पर हावी न हों । और, जहां तक हो सके, राज्य द्वारा इन संस्थाओं के लिये शेयर पूंजी आदि के रूप में रुपये का बन्दोबस्त न किया जाये ।

लेकिन इस में कुछ अपवाद भी हैं । कुछ ऐसी भी जगहें हैं जहां इन संस्थाओं की शक्ल बिल्कुल ऐसी नहीं रह सकती । और यह लाजिमी भी है । आदिम जातियों के इलाक़ों में हमें इसमें कुछ तब्दीली करनी पड़ेगी । हम नहीं चाहते कि उन इलाक़ों पर कोई ऐसी चीज़ थोप दी जाये, जो बाकी सारे मुल्क के लिये ठीक होने पर भी उन इलाक़ों के लिये ठीक न हो । हमें सहकारिता समितियां तो वहां भी बनानी हैं, लेकिन वहां के हालात देखकर ही । आदिमजातियों में अपनी-अपनी जाति की भावना बड़ी गहरी है और अपनी-अपनी जातियों की जमातें भी हैं । इसलिये उन इलाक़ों की हमारी सहकारिता समितियों को उनके मुताबिक ही चलना चाहिये ।

दूसरा सवाल यह उठा कि आदिम जातियों के इलाक़ों की तरह ही, हमारे मुल्क में कुछ और पिछड़े हुए इलाके भी हैं, और क्या हमें वहां भी इन शर्तों में ढिलाई करनी चाहिये ? इस पर लोगों की अपनी-अपनी रायें हैं । एक तरह से, हमारा ९० फीसदी मुल्क ही पिछड़ा हुआ है, बल्कि इससे भी ज्यादा । इसलिये इस सवाल पर महज़ उसूली ढंग से बहस करने से कोई फायदा नहीं होगा । आखिर किसी एक को यह तय तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि यह उसूल तो सभी मान चुके हैं कि छोटी-छोटी सहकारी समितियां और उनके बड़े संघ बनाये जायें । लाजिमी बात है कि राज्य सरकार को ही तय करना पड़ेगा कि कहां शर्तों में ढिलाई करना ठीक है और कहां नहीं । लेकिन और दूसरे मसलों पर, राज्य के भाग लेने, शयरों के ज़रिये पूंजी जुटाने, वग़ैरह के मसलों पर, हम जैसे-जैसे आगे बढ़ते जायेंगे विचार करते जायेंगे । हम उनका हल निकालने की कोशिश करते रहेंगे । हम उन पर विचार करने में अपना लचकीलापन बनाये रहेंगे, और इस लचकीलेपन का फ़ैसला आखिर में राज्य-प्राधिकारियों पर ही होगा ।

इस सिलसिले में एक बात और है, जो कई बार कही जा चुकी है कि सहकारी समितियों के कानून को और ज्यादा आसान, ऐसा बनाया जाना चाहिये जो आम जनता की समझ में आ सके । यह किया जा रहा है । लेकिन हमने यह देखा है कि कानून को और आसान बनाने के लिये असल में जरूरी यह होता है कि कानून के अमल को ज्यादा आसान बनाया जाये; कानून से कहीं ज्यादा जरूरत होती है उसके अमल को आसान बनाने की, और इसका ताल्लुक उस आदमी से होता है जो उसे अमल में लाता है । हम इस चीज को बिलकुल समझ चुके हैं कि सहकारी

समितियों पर सरकारी अफसरों को हावी नहीं रहने देना चाहिये, मतलब यह कि अगर वे गल्तियां करें तो उन्हें उसकी छूट रहनी चाहिये; हां सरकार को उनकी मदद के लिये हमेशा तैयार रहना चाहिये ।

अब इसमें एक बड़ी मुश्किल यह सामने आती है कि सहकारी समितियों को चलाने के लिये कुछ काम सीखे हुए लोगों की जरूरत है । जाहिर है कि जो भी आदमी इन संस्थाओं का इतना बड़ा संगठन करेगा, उसे काफी काम सीखा हुआ होना चाहिये । ग्राम सहकारी समिति के सेक्रेट्री को भी कुछ काम सीखना जरूरी है, उसे कुछ हिसाब-किताब रखना तो आना ही चाहिये। कभी-कभी किसी-किसी गांव में ऐसा एक भी आदमी नहीं मिलता । इसलिये हमें उन्हें कई तरह के काम सिखाने पड़ेंगे। मेरा ख्याल है कि सही यह होगा कि इस काम के लिये दो आदमी रखे जायें—ग्राम सेवक और गांव का अध्यापक । आजकल एक ग्राम सेवक दस गांवों का काम संभालता है, और अगर उस से १०-१५ या ६-७ और समितियों का काम और देखने के लिये कहा जाये, तो बहुत ज्यादती होगी । ग्राम-सेवक सामुदायिक विकास आन्दोलन की उपज है । वह आन्दोलन का एक हिस्सा है, और उसे इसका काम सिखाया गया है । मेरा ख्याल है ३०,००० से ४०,००० लोगों को काम सिखाया जा चुका है, और वह उनका काम संभालता है । उसका काम काफी ज्यादा है, हो सकता है कि हमें उसे घटाना पड़े । लेकिन मेरा ख्याल है कि गांव के अध्यापक को सहकारी समिति की लिखा-पढ़ी का काम सौंपना चाहिये । जो भी हो, अभी हमें इन सभी चीजों पर गौर करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या हो सकता है ।

ऐसे गांवों में एक सवाल यह उठता है कि वहां कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिलता जो काम जानता हो, या उसे कर सकता हो । और, वहां रुपया-पैसा भी बिल्कुल नहीं होता । तब वहां इस काम की शुरुआत कैसे की जाये ? एक तरफ़ तो हम यह भी नहीं चाहते कि उनका सारा काम सरकारी मदद पर ही चले, क्योंकि तब वे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकेंगे । दूसरी तरफ़ यह मुश्किल भी है कि वहां काम शुरू करने के लिये कोई आदमी ही नहीं मिलता और न रुपया-पैसा ही मिलता है । इस के बारे में कुछ न कुछ तय करना ही पड़ेगा । मदद देने के बारे में, एक राय यह है कि मदद तो देनी चाहिये लेकिन सिर्फ उत्पादन-कारी योजनाओं और परियोजनाओं के लिये ।

सहकारी समितियों के बारे में एक मोटे-तौर पर हमारा यही नजरिया है । और जाहिर है कि इन ग्राम सहकारी समितियों के साथ-साथ, हमें कुछ खास कामों के लिये, कुछ खास देशों की अलग-अलग सहकारी समितियां बनाने की बात भी सोचनी पड़ेगी । साथ ही, पंचायतों और ग्राम सहकारी समितियों के बीच निकट सम्बन्ध बनाये रखना भी जरूरी है । मैं चाहता हूं कि सभा इन सभी बातों को देखते हुए इस समस्या पर विचार करे । इस मसले पर कभी-कभी बड़ी गरमागरम बहसें तो हुई हैं, लेकिन अभी कोई भी ऐसा आदमी मुझे नहीं दिखा है, जो इस मसले पर ठंडे दिमाग से सोच-विचार करने के बाद भी, हमारे बुनियादी नजरिये को न मानता हो । इसलिये कि दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है । इतनी ज्यादा तादाद में मौजूद छोटी-छोटी जोतों के बारे में और क्या किया जा सकता है ? अगर आप उन्हें ज्यों की त्यों छोड़ दें, तो उनकी कभी तरक्की ही नहीं हो सकती । वे अपने तंग दायरे से कभी बाहर ही नहीं निकल सकेंगी ।

लेकिन जैसे ही आप इस भूमि-समस्या के बारे में हमारा यह बुनियादी नज़रिया अपना लेते हैं वैसे ही आगे बढ़ने पर,—हालांकि वह अपनी पसंद से ही अपनाया जायेगा,—लाज़िमी है कि ज्यादा से ज्यादा पैमाने पर मिली-जुली खेती होने लगेगी, और उसमें किसानों की अपनी अलग-अलग जोतों का हिस्सा भी बना रहेगा । सिद्धान्त रूप में यह बात बिल्कुल साफ है । हां लेकिन, भावनात्मक कठिनाइयां खड़ी हो सकती हैं ; जैसे यह कि कोई अपनी जोत को अलग ही रखना

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

ज्यादा पसंद करे । ऐसी कठिनाइयां अमल में खड़ी हो सकती हैं । लेकिन सिद्धान्त की दृष्टि से यह बिल्कुल साफ है कि ऐसी मिली-जुली खेती एक बड़ी सही चीज़ है जिसमें लोगों की अपनी अलग-अलग जोतों का हिस्सा बना रहे । अभी इस वक्त तो हमें अपना सारा ज़ोर इसी बात पर लगाना है ।

यदि सभा मेरे बताये हुए इस व्यापक दृष्टिकोण से इस मसले को देखे तो साफ दिखने लगेगा कि इस आन्दोलन का ताल्लुक सिर्फ खेती से नहीं बल्कि कुछ उससे भी बड़े उद्देश्यों से है, पैदावार बढ़ाने से है, धीरे-धीरे गांव की ज़िन्दगी की पूरी शक्ल बदल देने से है । इस आन्दोलन के शुरू होने से, गावों में बहुत सी ऐसी नई चीज़ें पैदा होने लगेंगी, जो अलग-अलग ढंग से रहने पर, इस सहकारिता आन्दोलन के बिना, कभी भी पैदा नहीं की जा सकती । एक बार जहां देहातों में इसका काम चालू हो जायेगा, कड़ियों से कड़ियां मिलती चली जायेंगी, और तरक्की भी काफ़ी ज्यादा तेज़ी से होने लगेगी । अभी मौजूदा हालत में सब से बड़ी मुश्किल तो यह है कि देहाती समाज में ठहराव है, आगे बढ़ने की या तब्दीलियां करने की कोई चाह ही नहीं है । मेरा ख्याल है कि सामुदायिक विकास आन्दोलन ने एक ही हालत में पड़े रहने की उनकी इस ठहराव-पसंद चाह को थोड़ा बहुत झंझोड़ दिया है । अब इन सहकारी समितियों के बनने से उसे और ज्यादा झकझोरा जायेगा, और तब हम देखेंगे कि गांवों की करोड़ों जनता उठ खड़ी होगी और आगे बढ़ने लगेगी, और इसी रास्ते पर चलने से उनकी चाल दिन-दिन और तेज़ होती जायेगी । इस तरह के विकास का मतलब होगा कि एक बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को ये काम सिखाये जायेंगे । हर राज्य को चाहिये कि वह उन्हें विभिन्न प्रक्रमों में काम सिखायें, उनको असली ट्रेनिंग तो सहकारी समितियों में काम करने में मिलेगी । तब उनके काम का तरीका भी बदल जायेगा और उनके सोचने-विचारने का तरीक़ा भी । और ये इन्कलाबी तब्दीली हमारे मुल्क के सभी देहातों की जिन्दगी में होगी ।

मैंने आपके सामने इसके कुछ पहलू एक मोटे तौर पर रखे हैं । मैं उनके ब्योरे में नहीं जाना चाहता । कुछ माननीय सदस्य हमारे इस नज़रिये की नुक्ताचीनी करेंगे, और इसके खिलाफ़ कुछ बातें कहेंगे, मुझे उम्मीद है कि मेरे बाद बोलने वाले लोग उनका पूरी तौर पर जवाब देंगे ।

†**श्री वासुदेवन् नायर** (तिरुवल्ला) : सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है । शुरू में इसका कार्य सामुदायिक विकास से प्रारम्भ हुआ था और अब इसके अधीन ग्राम-पंचायत और सहकारी समितियां भी आ गई हैं । मैं यहां केवल सहकार की ही चर्चा करूंगा ।

सहकारी खेती की चर्चा करने से पूर्व सहकार-नीति सम्बन्धी अध्ययन वर्ग के प्रतिवेदन का उल्लेख कर देना चाहता हूं । उसमें लिखा है कि "द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंत तक सहकारी संस्थाओं के सदस्यों की संख्या २०० लाख तक बढ़ाने के लिये गांव के धनी व्यक्तियों को धन लगाने के लिये उत्साहित करना चाहिये ।" लेकिन देश के सहकारी आन्दोलन में समाज के धनी वर्ग को सम्मिलित करने से पूर्व सरकार को अच्छी तरह सोचना चाहिये । हमारा अनुभव तो यह है कि सहकारिता के नाम पर देश में शोषण हो रहा है । अत : मेरा विचार है कि ऐसी स्थिति में ये सहकारी संस्थाएं वे भलाई का कार्य नहीं कर सकेंगी जो कि वे करना चाहती हैं । ऐसी स्थिति में हो सकता है कि समाज में धनी व्यक्ति अपना अधिकार जमाये रखें । यदि आप व्यक्तियों

---

†मूल अंग्रेजी में

को सहकारी समितियों का सदस्य बनाने की नीति का अनुसरण करेंगे तो यह आन्दोलन सफल नहीं हो सकेगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण अगले दिन जारी रखें ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

इक्तालीसवां प्रतिवेदन

†**श्री पहाड़िया** (सवाई माधोपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं प्रस्ताव करताहूं :

"कि यह सभा ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के इकतालीसवें प्रतिवेदन से, जो ९ अप्रैल, १९५९ को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के इकतालीसवें प्रतिवेदन से जो ९ अप्रैल, १९५९ को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विदेशी मुद्रा संबंधी कदाचार की जांच करने के लिये संसद् सदस्यों की एक समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा में श्री वें० प० नायर द्वारा २८ मार्च, १९५९ को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित संकल्प पर चर्चा होगी :—

"कि इस सभा की यह राय है कि इस बात को देखते हुए कि विभिन्न उद्योगपतियों तथा अन्य व्यक्तियों ने विदेशी मुद्रा छिपा रखी है, संसद् सदस्यों की एक समिति नियुक्त की जाये जो इस बात की जांच करे और इस बारे में प्रतिवेदन दे कि विदेशी मुद्रा के बारे में विद्यमान कदाचार को सक्रिय रूप से दूर करने के लिये क्या उपाय किये जाने चाहियें ।"

†**श्री वें० प० नायर** (क्विलोन) : इस प्रस्ताव के बारे में तीन चार संशोधन आये हैं जिनका मैं स्वागत करता हूं ।

हमारे देश की विदेशी विनिमय की बहुत ही कठिन स्थिति है । यह संकट हमारी सरकार की गलत नीति अपनाने के परिणामस्वरूप ही है । साम्यवादी दल ने शुरू में ही इसके बारे में चेतावनी दी थी । किन्तु उस समय हमारी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया गया और यहां तक कि इस संकट को छिपाया भी गया । हालांकि विदेशी विनिमय पर नियंत्रण रखने के लिये हमारे यहां

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वें प० नायर]

नियम तथा विनियम हैं किन्तु अनुभव से पता चला है कि सरकार प्रभावी नियंत्रण करने में सफल नहीं हुई है। पिछले कई सत्रों में इस बारे में हमने प्रश्न पूछे हैं जिसके उत्तर में केवल यही कहा गया है कि जानकारी एकत्रित की जा रही है।

बड़े-बड़े उद्योगपति जो विदेशों को जाते हैं अपने लेखाओं में विदेशी विनिमय के बारे में काफी गोलमाल करते हैं। रिजर्व बैंक ने अपने प्रतिवेदन में जो कि भारत में विदेशी दायित्वों के सर्वेक्षण के बारे में तैयार किया है कहा कि रजिस्टर्ड कम्पनियां ५०–६० करोड़ रुपये के विदेशी विनिमय की मुद्रा का कारोबार करते हैं। जब विदेशों से माल आयात करते हैं तो अधिक रुपये का बीजक बनवाते हैं और निर्यात के समय कम दाम का बीजक बनवाते हैं इस प्रकार जो रुपया बचता है उसे विदेशी बैंकों में जमा कर देते हैं और सरकार उस पर कोई नियंत्रण नहीं कर सकती। कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि ये उद्योगपति अपने साथ बहुत थोड़ा विदेशी विनिमय ले जाते हैं लेकिन कई महीने तक वहां आराम के साथ रहते हैं यह सब किस प्रकार संभव है। इन्हीं बैंकों में जमा किये गये रुपयों से वे आनन्द करते हैं।

एक वर्ष में विदेशी विनिमय के नियमों का उल्लंघन करने के मामले १३५ व्यापारियों के विरुद्ध पाये गये किन्तु विदेशालय अभी तक एक भी व्यक्ति को नहीं चुन सका है जिसके विरुद्ध कि मुकद्दमा चलाया जा सके। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ऐसे लोगों के प्रति दयालु है। यहां तक कि नये आयात लायसेंस देने में भी उन्हें प्राथमिकता दी गई है। लेकिन अब वह समय आ गया है जब कि सरकार को इस में गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिये।

हमारा रुपया लीगल टेन्डर है और ४५ करोड़ रुपये तक की राशि विदेशों को चोरी छिपे जाती हैं जहां कि इस राशि को सोना खरीदने के काम में लाया जाता है। ये उद्योगपति विदेश जाते समय छिपाकर कुछ रुपया अपनी जेबों तथा थैलों में लें जातें हैं लेकिन हवाई अड्डों तथा अन्य स्थानों पर इन्हें कोई नहीं पकड़ पाता। यह एक गम्भीर बात है।

किसी भी भारतीय बैंक की विदेशों में जो शाखाएं हैं उनके लखाओं की जांच करने के बारे में रिजर्व बैंक को कोई अधिकार नहीं है। प्राय: ये बैंक इन उद्योगपतियों की सहायता करते हैं जो विदेशों में जाते हैं।

विदेशी नरेशों पर भी सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है जो कि विदेशों में विदेशी मुद्रा रखते हैं। ये लोग काफ़ी संख्या में विदेश जाते हैं और आनन्द करते हैं लेकिन सरकार उन पर कोई रोक नहीं लगा सकती। इन राजे महाराजों की काफी सम्पत्ति विदेशों में पड़ी है। ये लोग विदेशों में अपना हिसाब रखते हैं और उन व्यापारियों को जिन्हें वहां रुपये की आवश्यकता पड़ती है वहां विदेशी मुद्रा दे देते हैं और उसके बदले में उनसे यहां रुपया ले लेते हैं।

अत: मेरा सुझाव है कि इन सब बातों की विस्तृत रूप से जांच करने के लिये एक समिति की स्थापना की जाये जो विदेशी सम्बन्धी बुराइयों को रोकने के लिये सरकार को यह सुझाव भी दे कि किस प्रकार प्रभावी उपायों के द्वारा सरकार इन बुराइयों को रोक सकती है। साथ ही तत्सम्बन्धी नियम तथा विनियमों में हमें ऐसा संशोधन करना चाहिये जिससे कि इसके अपराधियों को कम से कम ७ वर्ष तक का दण्ड देने की व्यवस्था की जा सके।

अत: मैं आग्रह करूंगा कि इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। इस संकल्प पर कुछ संशोधन भी हैं।

†**श्री अ० चं० गुह** (बारसाट) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं जिस में कहा गया है कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम में इस प्रकार संशोधन किया जाये कि इस अधिनियम के उल्लंघन सम्बन्धी मामलों को शीघ्र निबटाया जाये और अपराधियों को कठोर दण्ड दिया जाये।

†**श्री प्रभात कार** (हुगली) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं जिस में कहा गया है कि इस अधिनियम के उल्लंघन के मामलों की छानबीन करने तथा उन का उन्मूलन करने उपायों का सुझाव देने के लिये संसद् सदस्यों की एक समिति बनाई जाये और यदि आवश्यक हो तो इस अधिनियम में भी संशोधन किया जाये।

†**श्री अ० चं० गुह** : विदेशी मुद्रा अधिनियम के उल्लंघन के मामलों के सम्बन्ध में सभा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन से पता लगता है कि सभा इस सम्बन्ध में कितनी दिलचस्पी लेती है। हमारे सामने विदेशी मुद्रा का बहुत बड़ा संकट है। २० फरवरी को एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि अप्रैल, १९५८ से दिसम्बर, १९५८ के बीच ऐसे १३२ मामले पकड़े गये और उन्हें डायरेक्टर आफ एनफोर्समेंट के पास न्याय-निर्णय के लिये भेज दिया गया। मैं समझता हूं कि ऐसे मामलों की छानबीन गुप्त रूप से न की जाया करे। इस सम्बन्ध में यह अधिनियम सरकार को जो अधिकार देता है, उस का भी उपयोग सरकार ने ठीक तरह से नहीं किया है।

सरकार को चाहिये कि वह पता लगाये कि भारतीय राष्ट्रजनों का कितना-कितना धन विदेशी बैंकों में है। यह पता लगाने में विदेशी सरकारों की सहायता से सरकार काफी सफलता प्राप्त कर सकती है। इस मामले में चुपचाप बैठने से तथा असमर्थता प्रकट करने से कोई लाभ नहीं होगा।

[**श्री बर्मन** पीठासीन हुए]

अधिनियम की धारा २२ में इस प्रकार के अपराधों की चर्चा है। उस का सहारा लिया जाना चाहिये। कुछ लोग विदेश में जाते हैं और वहां जा कर बहुत अधिक धन व्यय करते हैं। सरकार को चाहिये कि वह रक्षित बैंक द्वारा इस का हिसाब रखे कि वे कितना धन ले कर गये थे और कितना उन्हों ने खर्च किया। यदि वहां रह कर उन्हों ने कुछ धन पैदा किया हो, तो उस की भी सूचना उन्हें रक्षित बैंक को देनी चाहिये और उस की अनुमति से ही खर्च करने की अनुमति हो।

हमारे कुछ पदाधिकारी बाहर से कुछ वस्तुयें खरीदने जाते है। इस खरीद में उन्हें उस फर्म से, जहां से वे सामान खरीदते हैं, कुछ कमीशन मिलता है। सरकार को चाहिये कि वह पता लगाये कि वे इस कमीशन को कैसे खर्च करते हैं और क्या उस के खर्च के लिये वे भारत सरकार या रक्षित बैंक की अनुमति लेते हैं ?

इस अधिनियम के उल्लंघन सम्बन्धी मामलों का मुकदमा खुले न्यायालय में चलाया जाना जाना चाहिये ताकि जनता इन बातों को देख सके। ध्यान रहे कि समुद्र-सीमा शुल्क अधिनियम तथा इस अधिनियम के उपबन्धों में बहुत अन्तर है। समुद्र-सीमा शुल्क का मामला तथा तत्सम्बन्धी वस्तु हमारी सरकार के अधीन होती है। जबकि इस अधिनियम का मामला बाहर के देशों से सम्बद्ध होता है। अतः इन दोनों अधिनियमों में कोई समता नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० चं० गुह]

समुद्र-सीमा शुल्क अधिनियम में एक बात यह भी है कि उस में न्यायालय में अपील की जा सकती है। पर इन १३२ मामलों में एक भी मामला किसी भी न्यायालय में नहीं ले जाया गया क्योंकि अपराधी जानते हैं कि चुपके-चुपके ही उन के मामलों का निबटारा हो जाये, तो अच्छा हो।

इस अधिनियम में यह भी उपबन्ध है कि सरकार अपराधियों से कह सकती है कि विदेशी बैंकों में उन के जो हिसाब हैं, उन्हें वे प्रत्यावर्तित कर लें। ऐसे ४० मामलों में से केवल ३ मामलों में सरकार ने ऐसी कार्यवाही की है बाकी में नहीं। क्यों? इस प्रकार सरकार स्वयं अपराधियों को प्रोत्साहन दे रही है। इस प्रकार के सारे अधिकार एक सरकारी पदाधिकारी के हाथों में देकर सरकार ने रक्षित बैंक को बिल्कुल शक्तिहीन बना दिया है।

जिस रूप में वर्तमान विधि है, वह बहुत त्रुटिपूर्ण है और सरकार को उस में पर्याप्त संशोधन करना चाहिये। कानून में जो उपबन्ध है, उन का भी समुचित उपयोग किया जाना चाहिये। अभी तक जितने भी मामले इस अधिनियम के उल्लंघन के हुए हैं, उन में २०००, या ५००० रु० तक के जुर्माने किये गये हैं। पर किसी भी मामले में न तो खुली अदालत में मुकदमा चलाया गया है और न सजा दी गई है। मेरा निवेदन है कि ऐसे मामलों का मुकदमा खुले न्यायालय में चलाया जाना चाहिये।

†**श्री प्रभात कार :** यद्यपि इस भ्रष्टाचार को बिल्कुल समाप्त करना बहुत कठिन है, पर यदि सरकार पर्याप्त कार्यवाही करे तो स्थिति बहुत सुधर सकती है।

विदेशी बैंकों में किस प्रकार हिसाब खोले जाते हैं और राशि जमा की जाती है इस के कई ढंग हैं एक एजेण्टी का कमीशन, दूसरे व्यापार लाभ में दी गई छूट, तीसरे लाभ-फल पर मिलने वाला अंश। इस प्रकार की राशियां प्रायः विदेशों में ही जमा हो जाती हैं और वहीं हिसाब-किताब खुल जाता है। यदि रक्षित बैंक चाहे, तो वह इन बातों पर नजर रख कर, इन्हें रोक सकता है।

मैं आप को समाचार पत्र में छपी एक अधिसूचना के बारे में बताता हूं। यह ओरियण्ट पेपर मिल्स लिमिटेड की अधिसूचना है जिस में कहा गया है कि वह मिल मेसर्स बिड़ला ब्रादर्स की एक सहकारी संस्था ईस्ट इंडियन प्रोड्यूस कम्पनी को ब्रिटेन में अपना एजेंट नियुक्त करती है। अब आप देखिये कि इस एजेंसी कार्यालय के व्यय के लिये भारत से जाने वाला धन वहां के बैंकों में जमा होगा। वहां के बैंकों में विदेशी मुद्रा का हिसाब इसी तरह आरम्भ होता है। इस प्रकार रक्षित बैंक यदि चाहे, तो इस पर रोक लगा सकती है और पूरी निगरानी रख सकती है कि कितना धन दिया गया और उस का क्या उपयोग किया गया।

हम जानते हैं कि विदेशी मुद्रा का हमारे सामने कितना अभाव है। उस की कमी के कारण हमें अपनी द्वितीय पंचवर्षीय योजना को भी कम करना पड़ा। मूंदड़ा की विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में बैंकों ने भी मदद दी थी। अतः हमें बैंकों पर पूरी निगरानी रखनी चाहिये ताकि रक्षित बैंक की जानकारी के बिना इस प्रकार की गड़बड़ी न होने पावे। यदि सरकार ने इस सम्बन्ध में काफी सख्ती न बरती, और काफी कड़े दण्ड न दिये, तो धीरे-धीरे अन्य लोगों को भी ऐसे काम करने का प्रोत्साहन मिलेगा।

अतः वर्तमान अधिनियम त्रुटिरहित नहीं है। उस में अनेक दोष हैं। मैं श्री नायर के दृष्टि-कोण से सहमत हूं और श्री गुह की बात से भी सहमत हूं कि अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता

†मूल अंग्रेजी में

है। पर मेरा निवेदन है कि इस मामले की पूरी छानबीन करने के लिय एक समिति नियुक्त की जानी चाहिये, जो सारे मामले की छानबीन करे।

अन्त में, माननीय मंत्री से मेरा निवेदन है कि यदि वह मानते हैं कि यह बुराई विद्यमान है तो उन्हें इस संकल्प को अवश्य स्वीकार करना चाहिये ताकि बाद में कोई यह न कहे कि वित्त मंत्रालय भी इस सांठगांठ में सम्मिलित है।

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत):** सभापति महोदय, तीन बहुत ही सराहनीय भाषणों के बावजूद भी मैं स्वीकार करता हूं कि संकल्प का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। भाषणों में कदाचारों पर जो प्रकाश डाला गया है वह बहुत लाभदायक है परन्तु फिर भी इस से यह विदित नहीं होता कि संसत्सदस्यों की समिति इन्हें कैसे दूर कर सकती है। प्रथम, कदाचार का आधार ऐसा है कि समिति इस की जांच नहीं कर सकेगी। जबकि सरकार ही असफल रही है—जबकि अन्य सरकारें हमारे राजनीतिक सम्बन्धों द्वारा प्रार्थना करने पर भी हमारी सहायता करने को तैयार नहीं हैं और जबकि विदेशों के बैंकों पर हमारी विधियां लागू नहीं होतीं, मैं नही जानता कि संसत्सदस्यों की समिति स्पष्टतया अंकित कदाचारों को कैसे दूर कर सकेगी।

परन्तु, साथ ही, मैं इस वाद-विवाद का स्वागत करता हूं क्योंकि जहां तक उद्देश्यों का संबंध है, सदन के सभी पक्षों का एकमत है। कई मास तक देश में अधिकतर विदेशी मुद्रा की ही चर्चा होती रही जिससे सरकार के लिये उपबन्ध कड़े करना आवश्यक हो गया। इसी कारण से हमने सितम्बर, १९५७ में एक संशोधक विधेयक अधिक अधिकार पाने के लिये और प्रक्रिया में परिवर्तन के लिये इस माननीय सदन में रखा था ताकि हम विदेशी मुद्रा विधि का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध उचित कार्यवाही कर सकें। दोनों सदनों ने उस पर चर्चा की और विद्यमान विधि बनाई गई। इसके परिणामस्वरूप मामलों के अदालत में जाने के बजाये हम ने न्यायनिर्णय का कम समय लेने वाली एक प्रक्रिया बनाई है। हमने वित्त मंत्रालय के अधीन एक प्रवर्तन निदेशालय खोला।

यदि हम दोनों प्रणालियों की तुलना करें तो सदन को यह बताने में मुझे प्रसन्नता होती है कि मार्च, १९५८ से लागू न्यायनिर्णय की विद्यमान विभाग ने मार्च, १९५९ तक १८८ मामलों में न्यायनिर्णय दिया जबकि पिछले कई वर्षों में भी इतने न्यायनिर्णय नहीं हुए थे। मूंदड़ा के मामले का उल्लेख किया गया था। सरकार उसे भूली नहीं है। दुर्भाग्यवश हमें मामला न्यायालय में ले जाना पड़ा और न्यायालय ने न्याय देने में २ ½ वर्ष लगाया। हमारा अनुभव यह है कि न्यायालय के निर्णयों के बजाये निदेशालय के निर्णयों में जुर्माना अधिक होता है। उदाहरणार्थ, निदेशालय के कार्यारम्भ से निदेशालय ने कुल ९,२७,२९३ रु० और एक अकेले मामले में ३,५०,००० रु० जुर्माना किया जबकि न्यायालयों ने अपराधों के विरुद्ध कोमल दृष्टिकोण अपनाया।

†**श्री फिरोज गांधी:** (रायबरेली) : श्री एस० पी० जैन के मामले में क्या हुआ ?

†**श्री ब० रा० भगत** : निदेशालय इस पर विचार कर रहा है।

†**श्री फीरोज गांधी :** खुली कार्यवाही क्यों नहीं हो रही ?

†**श्री ब० रा० भगत :** कार्यवाही बन्द कमरे में नहीं होती और न ही वह गुप्त रखी जाती है

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री फीरोज गांधी :** क्या न्यायनिर्णय की कार्यवाही होते समय प्रेस के लोग जा सकते हैं ?

†**श्री ब० रा० भगत :** कार्यवाही बन्द कमरे में नहीं होती । प्रेस इस की ओर ध्यान दे या न दे, छापे या न छापे इस से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है । वे बन्द कमरे में नहीं होतों और न ही उन में कोई रहस्य है ।

श्री प्रभात कार ने एक बात उठाई थी कि क्या "ओरियन्ट पेपर मिल्स' के लन्दन के एजेण्ट को क्रम कमीशन का अधिकार था । इन सारे मामलों में और हाल की अधिसूचना में भी यह काफी स्पष्ट कर दिया गया है कि विदेशी मुद्रा में अर्जित आय के बारे में रिजर्व बैंक को बताना होगा और वह तीस दिन में उसके पास जमा करनी होगी । यदि किसी को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है तो वह उसे इच्छानुसार व्यय नहीं कर सकता। जब समवाय खाता खोलते हैं और जब इस खाते में से धन निकाला जाता है तो रिजर्व बैंक उनकी जांच करता है और उन्हें मंजूर करता है एवं विदेशी मुद्रा सम्बन्धी व्यय के बारे में विनियम है । इसमें किसी कदाचार का पता लगाने के लिये प्रवर्तन निदेशक हैं । माननीय सदस्य ने कहा था कि अनाधिकृत चिट देदी जाती है और भुगतान कर दिया जाता है । ऐसी बातों का उत्तरोत्तर पता लगता है और यदि वे पकड़ में आ जाती हैं तो उनके बारे में उचित कार्यवाही की जाती है । ऐसे सारे मामले चाहे वे विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के अधीन हों, या समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन हों या आयकर अधिनियम के अधीन हों, प्रवर्तन निदेशक को भेज दिया जाता हैं और फिर यह उन पर कार्यवाही करता है ।

व्यापार-कार्य से यात्रा पर गये व्यक्तियों के नामों के बारे में उल्लेख किया गया था । शिकायत की गई थी कि सरकार ने जानकारी नहीं दी । इन नामों में कोई भेद नहीं है । सरकार का विश्वास सदैव ही स्पष्ट नीति में रहा है । परन्तु प्रश्न विशेष १९४७ से आज तक की अर्थात् जब से विदेशी मुद्रा विनियम लागू हुए तब से अब तक की जानकारी के बारे में था और उसमें व्यापार यात्रा पर गये सारे व्यक्तियों के नाम पूछे गये थे । उत्तर में कहा गया था कि ऐसे अनेकों नाम होंगे, विशेषकर उस काल में जबकि व्यापारी लोग अपने ७०० पौंड के उक्त कोट पर जाया करते थे और उस राशि का अपने व्यापार-कार्य में उपयोग करते थे । ठीक विवरण तैयार करना और उसमें नाम देना बहुत कठिन है । सरकार को तो नाम बताने में कोई हिचकिचाहट नहीं है । पिछले दिनों हमने विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन करने वाले आठ उच्चतम उद्योगपतियों के नाम दिये हैं । यदि कोई और जानकारी मांगी जाती है तो हम बताने को तैयार हैं । इस विशेष मामले में नाम बताने में कोई वैधिक बन्धन नहीं है ।

विदेश जाने वाले सरकारी प्रतिनिधि मंडलों एवं मंत्रियों व उपमंत्रियों की यात्राओं के बारे में भी कहा गया था । आजकल कम से कम प्रतिनिधि मण्डल भेजे जाते हैं और यह बात मंत्रियों व उपमंत्रियों की यात्राओं के बारे में भी है । समय समय पर मैंने सदन को बताया है कि इस मद के लिये आवंटित राशि किस प्रकार उत्तरोत्तर कम हो रही है ।

दूसरी बात यह थी कि व्यापार कार्य के लिये १९५७ की स्वीकृत राशि १९५८ की स्वीकृत राशि से कम थी । यह ठीक है । परन्तु इसका एकमात्र कारण यह था कि १९५७ में व्यापारियों ने ७०० पौंड के मुक्त कोटे का प्रयोग किया । अतः व्यापार-कार्य की मांग कम थी । १९५८ में कुछ अधिक राशिका दूसरा कारण स्थगित भुगतान व्यवस्था और मशीनों के आयात की ऐसी अन्य व्यवस्था

---

†मूल अंग्रेजी में

है जिनके कारण अधिक व्यापार-यात्राओं की आवश्यकता है। परन्तु प्रत्येक मामले में कार्य के सद्भाव की बड़े ध्यानपूर्वक जांच की गई और तब मंजूरी दी गई।

एक बात यह कही गई थी कि राजे महाराजे जाते हैं और वे अपने खातों में से व्यय करते हैं। यह ठीक है कि उनके खाते हैं। रिजर्व बैंक इसकी अनुमति देता है। वे उन खातों में से व्यय करते हैं। परन्तु गृह-कार्य मंत्रालय उन खातों की आय और उन खातों से होने वाले व्यय का खाता रखता है। अतः गृह-कार्य मंत्रालय उनकी पहिले से ही देख भाल कर रहा है और उनमें से कोई अनुचित या बड़ा व्यय नहीं किया जाता।

यह कहा गया था कि विदेशों में सरकार के क्रय मिशनों को क्रय कमीशन मिलता है। मैं नहीं जानता कि विदेशों में हमारे किसी संभरण मिशन को व्यक्तिगत रूप में कोई कमीशन मिलता है। यदि उन्हें सरकारी आधार पर मिलता है और यह बाजार का नियम है तो उनका खाता रखा जाता है। यदि कोई गैर-सरकारी कमीशन है तो वह अवैध है। मैं नहीं समझता कि यह कहना ठीक है कि कोई गैर-सरकारी कमीशन भी है। सामान्य नियम लागू होता है अर्थात् प्राप्त कमीशन या अर्जित विदेशी मुद्रा की सूचना रिजर्व बैंक को दी जाती है और उसका खाता रखा जाता है। अतः उसमें से कोई व्यय नहीं किया जा सकता।

†**श्री जोकीम आल्वा** (कनारा): क्या सरकार विदेशों में हमारे लिये बड़ी मात्रा में क्रय करने वाले संभरण मिशनों आदि के अधिकारियों से इस बारे में कोई जानकारी प्राप्त करती है कि क्या उनके अपने एक या अधिक नाम से बैंक खाते हैं ?

†**श्री ब० रा० भगत**: कोई भी व्यक्ति, विशेषकर सरकारी अधिकारी, रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना विदेश में बैंक खाता नहीं खोल सकता। अतः यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। कहा गया था कि १३२ मामलों के न्यायनिर्णय में से केवल तीन मामलों में खातों के स्वदेश-प्रेषण के लिये कहा गया था यह ठीक है। हमने सारे खातों के स्वदेश प्रेषण के लिये कहा था। परन्तु साधारणतया, इनमें से अधिकतर या सारे मामलों में यह हुआ कि जब तक न्याय निर्णय हुआ तब तक अधिकतर खाते समाप्त हो गये एक मामले में हमने खातों की जांच पड़ताल की। अतः सम्भव है कि तीन मामलों में ही स्वदेश-प्रेषण हुआ हो।

†**श्री अ० च० गुह**: सरकार के उत्तर में कहा गया था कि विदेश में खाता रखना अपराध है। केवल तीन मामलों में दंड और धन का स्वदेश-प्रेषण हुआ है। अन्य मामलों के बारे में कुछ नहीं।

†**श्री ब० रा० भगत**: हम सभी मामलों में खातों के स्वदेश-प्रेषण पर जोर देते हैं। खाता का पता लगाने पर हम न्यायनिर्णय करते समय केवल जुर्माना ही नहीं करते अपितु व्यक्ति के अनुदेश देते हैं कि वह खाता स्वदेश-प्रेषण करें। हो सकता है कि केवल तीन मामलों में ही खातों का स्वदेश-प्रेषण हुआ।

कदाचार के बारे में हम सब जानते हैं। साधारणतया आयात का अधिक मूल्य का और निर्यात का कम मूल्य का बीजक बनाना, क्रयकर्ता आयोग के खाते रखना या विदेशी मुद्रा अर्जन करना सर्वविदित मामले हैं और हम उन्हें समाप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसके लिये हमने प्रवर्तन निदेशालय बनाया है जो कि जांच पड़ताल करने की मुख्य एजेंसी है। वह विभाग अन्य अधिकारियों तथा सीमा

†मूल अंग्रेजी में

[श्री द० रा० भगत]

शुल्क अधिकारियों या राजस्व गुप्तचर विभाग के सहयोग से कार्य करता है। निदेशक इसे कुशल बना रहे हैं और अब तक उन्हें इसमें कुछ सफलता भी मिली है।

बड़े लोग भी पकड़े गये हैं तथा सदन को दी गई जानकारी से विदित होता है साक्ष्य किस प्रकार असाधारण परिस्थितियों में प्राप्त की जाती है और गुप्तचर प्रणाली कैसी कुशल बनती है। इस सबसे यह विदित होता है कि सरकार ऐसी स्थिति में कार्यवाही करने में कितनी सतर्क है। अतः संसत्सदस्यों की समिति बनाने का या ऐसी समिति बनाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता जो अधिनियम की जांच करे और उसके संशोधनों का सुझाव दे।

सदन को भली भांति विदित होगा कि चाहे कोई बड़ा हो या छोटा, चाहे किसी का भारी राजनीतिक प्रभाव हो या भारी प्रभाव हो, वह विधि से नहीं बचता। इससे पता लगता है कि विभाग केवल कुशलतापूर्वक ही नहीं अपितु सचाई से कार्य कर रहा है। कठिनाई यह है कि अधिकतर व्यवहार विदेशों में है जहां बैंक या सरकार हमारी सहायता नहीं कर सकती। बैंक हमारे विधान के अधीन नहीं हैं। राजनीतिक आधार पर अन्य सरकार से इन मामलों का पता लगाने में हमारी सहायता करने की प्रार्थना करने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि कुछ मामलों में बैंक विधान ऐसा है कि उन देशों की सरकारें भी बैंकों के कार्यों पर अधिक प्रभाव नहीं रखतीं। हो सकता है कि उन्हें कुछ अधिकार हों परन्तु सम्भव है कि वे वहां के बैंकों पर दबाव देना उचित न समझें क्योंकि उनकी कार्यप्रणाली भिन्न है। जो वे अपने राष्ट्रीय उद्देश्य के लिये नहीं कर रहे हैं वह वे हमारे देश के लिए कैसे करेंगे। हम जानते हैं कि उनके विदेशों में खाते हैं। और विदेशी मुद्रा स्वीकृत से अधिक व्यय की जाती है। परन्तु उन्हें पकड़ना बहुत कठिन है। जबकि खाते विदेशों में रखे जाते हैं तो उन्हें समाप्त करने का कोई क्रियात्मक उपाय नहीं है। विदेशों को मिशन भेजने या बैंकों से प्रार्थना करने से भी कोई लाभ न होगा। सरकार ने इस मामले पर भली प्रकार विचार करके निष्कर्ष निकाला है कि हम वह उपाय नहीं अपना सकते। अतः हम अपने विभागको पूर्ण कुशल बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि यह विभाग ठीक कार्य कर रहा है और हमने कुछ मामलों का पता लगाया है।

कहा गया है कि "उन पर अभियोग क्यों नहीं चलाया जाता? किसी भी मामले में निदेशालय ने अभियोजन के लिये नहीं कहा।" यह सच हो सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता की अनेकों धाराओं में दण्ड जुर्माना और कैद है। इस मामले में अधिनियम में जुर्माना या कैद का उपबन्ध है क्योंकि साक्ष्य ऐसी हो जो न्यायालय में ठीक सिद्ध न हो सके। न्याय निर्णायक के लिये यह पर्याप्त है कि वह स्थिति को समझें और सन्निहित धन का तीन गुना जुर्माना कर दे। परन्तु यदि अभियोजन की सिफारिश करता है तो उसे साक्ष्य का इस स्तर पर मूल्यांकन करना होगा कि क्या वह न्यायालय में स्वीकार की जा सकेगी। यह बहुत ही कठिन कार्य है। इसी कारण, साक्ष्य की न्यायिक परीक्षा की दृष्टि से निदेशालय ने अभियोग न चलाया हो। यह हमारी न्यायिक प्रणाली का मूल अंग है और इसी कारण हमने इसे न्यायनिर्णयाधीश कर दिया है। अतः निदेशालय पर यह आरोप नहीं लगाया जा सकता कि उसने अभियोग नहीं चलाया।

इन सब विचारों की दृष्टि से मैं सदन को पुनः आश्वासन देता हूं कि सरकार सतर्क है। प्रवर्तन निदेशालय भरसक प्रयत्न कर रहा है। चाहे वे धनी हों या निर्धन, यहां तक कि देश के सर्वाधिक प्रभावकारी व्यक्तियों के दिलों में भय और ईश्वर का डर है। यदि वह विधि का उल्लंघन

करता है तो, विधि सक्रिय है और उसे लागू करने वाले सतर्क हैं । वे उसे पकड़ेंगे और दंड देंगे । वातावरण यह है । मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि वे देश में ऐसा वातावरण उत्पन्न करें कि जहां तक इस धारा विशेष का सम्बन्ध है, विधि सम्बन्धित व्यक्तियों का ख्याल किये बिना लागू होगी । अतः मैं माननीय सदस्यों से इस समिति की नियुक्ति पर जोर न देने की प्रार्थना करता हूं क्योंकि अभी इससे कोई कार्य सिद्ध न होगा ।

†**सभापति महोदय** : श्री गुह और श्री प्रभात कार के दो संशोधन हैं । मैं उन्हें मतदान के लिए रखता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा श्री गुह और श्री प्रभातकार के स्थानापन्न संकल्प मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

†**सभापति महोदय** : अब मैं मूल संकल्प को मतदान के लिये रखता हूं । प्रश्न यह है :

"कि इस सभा की यह राय है कि इस बात को देखते हुए कि विभिन्न उद्योगपतियों तथा अन्य व्यक्तियों ने विदेशी मुद्रा छिपा रखी हैं संसद्-सदस्यों की एक समिति नियुक्त की जाये, जो इस बात की जांच करे और इसके बारे में प्रतिवेदन दे कि विदेशी मुद्रा के बारे में विद्यमान कदाचार को सक्रिय रूप से दूर करने के लिये क्या उपाय किये जाने चाहियें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बन्दरों का निर्यात

†**श्री मोहन स्वरूप** (पीलीभीत) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"इस सभा की राय है कि बन्दरों के निर्यात पर रोक लगा दी जाये ।"

यह रेजोल्यूशन एक मर्तबा पहले भी बैलट पर आ चुका है, लेकिन उस समय मौका नहीं मिल सका और इस रेज़ोल्यूशन पर विचार नहीं हो सका । यह खुशी की बात है कि आज यह रेज़ोल्यूशन बैलट पर आ गया है और मुझे बोलने का अवसर मिला है । जहां तक बन्दरों के बाहर भेजे जाने का ताल्लुक है, एक बहुत बड़ी तादाद में बन्दर बाहर भेजे जाते हैं । मेरे पास इस की फ़िगर्ज़ मौजूद हैं । १९५३ में २० हज़ार बन्दर बाहर भेजे गये, १९५४ में ६६ हज़ार, १९५५ में ५३ हज़ार, १९५६ में १,२०,००० बन्दर बाहर भेजे गये । हर साल दो लाख से ऊपर बन्दर बाहर भेजे जाते हैं । मेरे पास इस बारे में १९५४-५५ की फ़िगर्ज़ मौजूद हैं । उस साल १,००,३३० बन्दर बाहर भेजे गये और उन से गवर्नमेंट को १८,१५,२२१ रुपया फ़ारेन एक्सचेंज की शक्ल में मिला १९५५-५६ में १,१६,२९६ बन्दर बाहर भेजे गये और २८,५७,५५७ रुपये फ़ारेन एक्सचेंज की शक्ल में गवर्नमेंट को मिले । मेरे पास जो फ़िगर्ज़ हैं, उन से ज़ाहिर होता है कि अब हर साल दो लाख से ऊपर बन्दर बाहर भेजे जा रहे हैं ।

बाहर बन्दर भेजने के बारे में इस पार्लियामेंट में कई मर्तबा सवालात भी हो चुके हैं । इस के मुताल्लिक यह कहा गया कि यह एक ट्रीवियल मामला है, छोटा सा मामला है और इस लिए इस पर बहस करने से क्या फ़ायदा है । मेरे बहुत से साथियों ने भी यह कहा कि यह बहुत छोटा-सा

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मोहन स्वरूप]

मामला है। बन्दर बाहर भेजे जाने की मुआफ़कत में कई बातें कही गईं। कहा गया कि बन्दर फ़सलों को नुक्सान पहुंचाते हैं, वे एक न्युसेन्स हैं, लोगों को परेशान करते हैं, उन के बाहर भेजने से साइंटिफिक रिसर्च में मदद मिलती है और मेडिकल साइंस को मदद मिलती है। मुझे याद है कि एक बार पूज्य पंडित नेहरू ने इस बारे में कहा कि यह मामूली सा मामला है, इस से इंडिया को फ़ारेन एक्सचेंज मिलती है, इस मसले को बार बार प्रैस करने से क्या फ़ायदा है। लेकिन मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि इंडिया का ट्रेडीशन हमेशा से "अहिंसा परमो धर्मः" और जानवरों की हिफ़ाज़त करना रहा है। जब हम पुराने इतिहास को देखते हैं, तो पाते हैं कि हमारे पुराने ऋषियों ने वैदिक एज में अहिंसा परमो धर्मः और जानवरों की रक्षा पर ज़ोर दिया था। महात्मा बुद्ध एक बहुत बड़े विशाल साम्राज्य के राजकुमार थे। एक रोज़ उन के दिल में इस तरह की घटना देख कर ख्याल पैदा हुआ और वह उस साम्राज्य को छोड़ कर चले गये और फिर उन को निर्वाण मिला और उन्होंने सत्य, अहिंसा की तबलीग़ की। उन्होंने सिर्फ़ देश में ही नहीं बर्मा, मलाया, जापान, चीन, लंका वग़ैरह में इस बात की तबलीग़ की। महाराजा अशोक के साम्राज्य का वक्त हिन्दुस्तान का एक ज़रीं ज़माना था। ब्रिटिश गवर्नमेंट से पहले पूरा हिन्दुस्तान उन के साम्राज्य में था। जंग करने के बाद, खूंरेज़ी करने के बाद उन के दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि जीव की रक्षा होनी चाहिये और खूंरेज़ी से परहेज़ करना चाहिए। उन्होंने जानवरों का वध करना बैन कर दिया।

हाल ही में हम ने एक नया एक्सपेरीमेंट देखा। मुल्क में अंग्रेज़ी की हुकूमत थी और लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी ने यह फिलासफ़ी हमारे सामने पेश की कि बुलेट का मुकाबला हम निहत्थे और अहिंसा के ज़ोर से कर सकते हैं और अपने मुल्क को परदेशियों से खाली करा सकते हैं। हम ने देखा कि १९४७ में हम ने सिर्फ़ अहिंसा के ज़ोर से और निहत्थे रह कर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपने देश से निकाल दिया, जिस का साम्राज्य इतना बड़ा था कि सूरज उस पर नहीं डूबता था और अपने देश को आज़ाद करा लिया। हिन्दुस्तान का इतिहास इस किस्म की चीज़ों से भरा हुआ है और उस की बड़ी ट्रैडीशन्ज़ हैं। जहां तक बन्दरों का ताल्लुक है, मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहता हूं कि आज भी इस देश में हज़ारों नहीं करोड़ों इन्सान ऐसे हैं, जो मंगल के दिन बन्दरों को दाना देते हैं और उन की पूजा होती है। मैं देखता हूं कि बहुत से मन्दिरों में बन्दरों की प्रतिमायें लगी हैं और उन की पूजा होती है।

श्री वाजपेयी (बलरामपुर) : कौन से मन्दिर में ?

श्री मोहन स्वरूप : बहुत से मन्दिर हैं।

एक माननीय सदस्य : हनुमान के मन्दिर हैं।

चौ० रणवीर सिंह (रोहतक) : वाजपेयी जी को पता नहीं है बन्दरों का ?

श्री मोहन स्वरूप : लखनऊ में मैं ने एक अजीब वाकया देखा। मैं ने देखा कि एक छोटे से विमान के पीछे कम से कम डेढ़ हज़ार आदमी जा रहे हैं। मैं ने पूछा कि यह क्या तमाशा है, क्या मामला है, तो मुझे बताया गया कि यह बन्दर का विमान निकल रहा है। बन्दर की लाश को बड़े सुसज्जित ढंग से रखा गया था और हज़ारों इन्सान उस के पीछे चल रहे थे। सभापति महोदय, आज इस देश में इस किस्म के इन्सानों की तादाद हज़ारों लाखों की है, जो कि बन्दर को पवित्र मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं और चाहते हैं कि उसकी रक्षा हो। मैं यह नहीं समझता कि

इस बात को थोड़े से पैसों के पीछे नज़र-अन्दाज़ क्यों किया जा रहा है । कुल सताईस, अठाईस लाख रुपयों की बात है, जिन के पीछे उन की हत्या की जा रही है । २३ जनवरी, १९५४ को इंडियन नैशनल कांग्रेस में अपने सभापति के भाषण में पंडित नेहरू ने कहा था :

> "हम अपने गुरु महात्मा गांधी के वाक्य कभी नहीं भूल सकते कि स्वार्थ के लिए खोटे रास्ते कभी नहीं अपनाये जा सकते । शायद आज के संसार में बहुत सी आपत्तियां इसी कारण दीखती हैं कि लोग इस प्रारम्भिक नियम को भुला बैठते हैं तथा अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जो भी कुछ वह कर रहे हैं, उसे अपना अधिकार व न्याय कहने से तनिक भी नहीं डरते ।"

उपाध्यक्ष महोदय, उसी के बाद हम ने बन्दरों की तजारत शुरू कर दी और आज बीस देशों को हम इन बन्दरों का एक्पोर्ट करते हैं । मैं ने सब से पहले कहा था कि इस से साइंटिफिक रिसर्च के काम में मदद मिलती है । लेकिन जो इस से बन्दरों की हत्या होती है, उस ओर भी हमारा ध्यान जाना चाहिये । इस हत्या को देख कर हमारे सिर शर्म से झुक जाते हैं ।

हमारे देश में कई एक्सपोर्टर्स हैं । मिस्टर बी० के० राय और मिसेज़ बी० के० राय एट बेला रोड, दिल्ली वाले एक्सपोर्ट करते हैं । अमरीका की फर्म ए० लिल्ली एंड को० और पार्क डेविस एंड को० इन बन्दरों को इम्पोर्ट करते हैं । पन्द्रह रुपये फी बन्दर पकड़ने वाले को दिया जाता है और सौ रुपया फी बन्दर का मिल जाता है । हर सप्ताह बी० ओ० ए० सी० के दो चार्टर्ड प्लेन इन बन्दरों को ले जाते हैं । छोटे छोटे बन्दरों को प्रेफर किया जाता है और पसन्द किया जाता है । दूध पीते छोटे छोटे बन्दरों को उन की मां से छीन कर बाहर के मुल्कों में भेज दिया जाता है । आप ने इन बन्दरों को स्टेशनों पर चिल्लाते हुए कई बार देखा होगा । ठूंस ठूंस कर इनको भरा जाता है और इन के हिलने जुलने के लिये कहीं भी कोई खाली जगह नहीं रखी जाती है । बहुत से बन्दर सफोकेशन की वजह से मर जाते हैं ।

†**श्री खाडिलकर** (अहमदनगर) : एक बन्दर का निर्यात मूल्य क्या है ?

श्री मोहन स्वरूप : सौ रुपये मिलते हैं ।

मैं कहना चाहता हूं कि आधे बन्दर तो सफोकेशन की वजह से ही रास्ते में मर जाते हैं । मैं आप को एक मिसाल देना चाहता हूं । बी० ओ० ए० सी० के एक हवाई जहाज़ में १६०० बन्दरों को ले जाया जा रहा था । लन्दन एयरपोर्ट पर इन को एक ऐसे वेन में ले जाया जा रहा था जिस में कोई वेंटिलेटर्स नहीं थे । कुछ ही समय के बाद देखा गया कि ४५७ बन्दरों में से ३९४ बन्दर मर गये । इस से बहुत सी फारेन कंट्रीज़ को धक्का पहुंचा । इस से स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैण्ड इत्यादि देशों के लोगों को बहुत धक्का पहुंचा । इस के सम्बन्ध में प्राइम मिनिस्टर साहब को भी एक लेटर लिखा गया और अगर इजाज़त दें तो मैं इस को पढ़ कर सुनाना चाहता हूं ।

चौ० रणबीर सिंह : आप को कैसे मिला ?

श्री मोहन स्वरूप : बाहर के किसी साहब ने इसे मुझे भेजा है । चूंकि यह लेटर बहुत ही इंटि-रेस्टिंग है और मेरा बहुत कुछ मतलब इस से हल हो जाता है , इसलिये मैं इसे आप की आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं ।

> †"जब जनवरी में लन्दन के हवाई अड्डे पर ४०० भारतीय बन्दरों की मृत्यु हो गयी, ये बन्दर अमरीका जा रहे थे जहां उन पर निर्दय तथा अनावश्यक परीक्षण होने वाले थे तो सारे ब्रिटेन में एक क्षोभ की लहर फैल गयी । . . . . . ."

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मोहन स्वरूप]

"इंगलैण्ड के प्रत्येक व्यक्ति के मुंह से निकल पड़ा 'कितनी दुखद घटना है । हमें यह खबर प्रधान मंत्री नेहरू के पास पहुंचानी चाहिये जो निःसन्देह इस असभ्य तथा अमानवीय कार्य को रोकने के लिये कदम उठायेंगे ।"

"ब्रिटेन के अखबारों में यह समाचार छपा कि आप ने यह जघन्य कृत्य बन्द कर दिया है और पशुओं को प्यार करने वाले संसार के सभी लोगों ने अपने मन में आप को धन्यवाद दिया ।"

"अब हमें समाचार मिला है—जिस का विश्वास करना हमारे लिये कठिन है—कि आप ने अपना निर्णय बदल दिया है और आप ने अनुमति दे दी है कि भारतीय बन्दरों का निर्यात अमरीका को किया जाये, जहां . . . . ."

जब मैं ने एक डच समाचार पत्र से बन्दरों पर होने वाले अत्याचारों के समाचार को अनुदित किया तो "एक सप्ताह तक हमें रात को नींद नहीं आई . . . ."

"हम इंगलैण्ड के रहने वालों को आश्चर्य है कि आप ने यह कार्य कैसे किया, श्री नेहरू" ।

"श्री नेहरू, कृपया इस बात पर आप पुनः विचार करें और कृपया अपने निर्णय को पुनः बदलें ।"

यह एक बहुत लम्बा लेटर है, लेकिन मैं ने थोड़ा सा पढ़ कर सुनाया है । इस लेटर के पढ़ने से मेरी बहुत कुछ मुश्किल हल हो गई । मेरे पास बहुत सी तस्वीरें वहां की सोसायटीज़ ने भेजी हैं जिन्हें मैं पेश कर सकता हूं । बीसों लेटर्स हैं जिन में मुर्दा बन्दरों की तस्वीरें दी गई हैं और पता चलता है कि किस तरह से उन्हें मारा जाता है । बहुत सी कटिंग्स भी मेरे पास मौजूद हैं जिन में दिल्ली के वाकयात बताये गये हैं । लाल किले पर बहुत से बन्दर मरे हुए पाये गये । श्रीमती अरुंडेल ने भी, जोकि राज्य सभा की मेम्बर हैं, उन को देखा था । बहुत से दूसरे लोगों ने भी उसे देखा, वहां पर हजारों बन्दर पड़े हुए थे । कहा जाता है कि उन में से बहुत से बन्दर थे जोकि मादा थे और उन में से बहुतों के गर्भ था । बहुत से बन्दर उन में से बीमार थे और जो एक्स्पोर्टर्स हैं उन्होंने उन बन्दरों को लाल किले के पास फेंक दिया । मरे हुए बन्दरों की लाशें वहां सड़ती रहीं । इस तरह के बहुत से कोटेशन्स मेरे पास मौजूद हैं जिन में कहा गया है कि चूंकि बन्दरों को मरा हुआ पाया गया इसलिये उन्हें छोड़ दिया गया ।

एक माननीय सदस्य : क्यों उन को मारा गया ?

श्री मोहन स्वरूप : इसलिये मार डाला गया कि वे बीमार थे । जैसे ही हवाई जहाज में भेजे गये, वैसे ही उन को मारना शुरू कर दिया गया और लाशें फेंक दी गईं । इस तरह से बन्दरों का स्लाटर हो रहा है । चूंकि बन्दरों के साथ इस तरह से हो रहा है इसलिये मैं नहीं समझता कि इस को हमें जारी रखना चाहिये ।

एक माननीय सदस्य : क्या करेंगे बन्दरों का ?

श्री मोहन स्वरूप : जहां तक बन्दरों का सवाल है, हमारे यहां बहुत सी ऐसी चीजें हैं जोकि खेती को नुकसान पहुंचाती हैं और बहुत बड़ी न्युसेंस हैं, खाली बन्दर ही ऐसे नहीं हैं । बहुत से दूसरे जानवर हैं । मुझे बताया गया कि जो अफ्रीकन बन्दर है वह ऐसा नहीं है जिसे अच्छा माना जाता हो ।

हिन्दुस्तान के बन्दर ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। इसलिये मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि वह इस को सोचे। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जोकि मेरे कहने के लिये हैं लेकिन इस लेटर ने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी है। उस के जरिये जो कुछ मैं कहना चाहता था उस में से बहुत कुछ मैं पेश कर सका हूं।

मैं हाउस से निवेदन करना चाहता हूं कि इस चीज़ को रोका जाये। यह तिजारत बन्द की जाये, यह हमारे लिये शोभनीय नहीं है। देश के लोग इस को बहुत शर्म से देखते हैं और इस पर किसी की कोई श्रद्धा नहीं है। यह ठीक है कि बाहर के देशों से जो इस की तिजारत की जा रही है, उस से हमें थोड़ा फारेन एक्सचेंज मिलता है लेकिन इस के अलावा बहुत सी दूसरी चीजें हैं जिन से हम को फारेन एक्सचेंज मिलता है। १० या २० करोड़ रुपया इस से न मिला तो कौन बड़ा भारी नुक्सान हो जायेगा। मैं आप के द्वारा, सभापति महोदय, गवर्नमेंट से और हाउस से प्रार्थना करता हूं कि इस क्रुएल्टी को, मसकर को, रोका जाय, इस पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाय। मुझे बताया गया कि शायद ढाई पौंड तक के बन्दरों का एक्सपोर्ट बन्द कर दिया है, लेकिन ढाई पौंड का बन्दर तो एक छोटा सा बच्चा हुआ करता है। मैं चाहता हूं कि इस को पूरी तरह से रोका जाय और बन्दरों का एक्सपोर्ट बिल्कुल बन्द कर दिया जाय।

†**सभापति महोदय :** संकल्प प्रस्तुत हुआ।

पाकिस्तान में भारतीय वायुसेना के एक विमान को गोली मार कर गिराये जाने के बारे में वक्तवय

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : १० अप्रैल, १९५९ को भारतीय वायुसेना के एक कैनबेरा विमान की क्षति के लिये सरकार भारी खेद प्रकट करती है।

जिन परिस्थितियों में यह घटना हुई और समाचारपत्रों में उस के सम्बन्ध में जो खबरें प्रकाशित हुईं और सभा को इस सम्बन्ध में जो खेद है, उस को देखते हुए सरकार उपलब्ध तथ्यों को सभा के सामने रखना चाहती है।

उड़ान के दैनिक सामान्य कार्यक्रम के अनुसार एक कैनबेरा विमान, जिस में सर्वेक्षण सम्बन्धी चित्र लेने की व्यवस्था थी और जो बम गिराने या किसी अन्य लड़ाई-झगड़े के प्रयोजन के लिये नहीं था, १० अप्रैल को ६ बजे सुबह उड़ा। वह विमान उस समय तक नहीं लौटा, जिस समय तक उसे लौट आना चाहिये था।

यह विमान भारत के भू-परिमाप विभाग के लिये हिमाचल प्रदेश और जम्मू तथा काश्मीर के संघ राज्य-क्षेत्रों का चित्र लेने के लिये उड़ा था। आशा थी कि यह विमान अपने काम को चार-पांच घंटे में समाप्त कर लेगा और इस प्रकार उसे १० अप्रैल को ११ बजे तक अपने अड्डे पर वापिस आ जाना चाहिये था।

यह विमान दोपहर तक भी नहीं लौटा। अतः सामान्य परम्परा के अनुसार वायुसेना अधिकारियों ने उस क्षेत्र की खोज की आज्ञा दे दी, जिस का सर्वेक्षण करने के लिये यह विमान गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कृष्ण मेनन]

वायु सेना के मुख्यालय में यह समाचार पहुंचा कि दोपहर बाद पाकिस्तान रेडियो ने घोषणा की है कि पाकिस्तान की वायुसेना ने एक ऐसे विमान को गोली मार कर गिरा दिया है, जिसे वह पहचान नहीं पाये थे। उस के बाद और भी खबर मिली कि उस विमान के चालक आदि को रावलपिंडी पहुंचा दिया गया है।

उस दिन शाम को समाचारपत्रों में खबर प्रकाशित हुई कि जो दुर्घटना हुई थी, उसमें भारतीय वायु सेना के एक कैनबेरा विमान को गोली मार कर गिराया गया है। उसी समय प्रैस ट्रस्ट आफ इण्डिया ने भी समाचार दिया कि भारतीय वायुसेना के जिस विमान को गोली मार कर गिरा दिया गया था, उसके दोनों भारतीय कर्मचारियों को रावलपिण्डी पहुंचा दिया गया है। सभा को मैं बताना चाहता हूं कि दुर्घटना होने या उसके बाद भी पाकिस्तान वायुसेना ने हमारे वायुसेना मुख्यालय के जरिये या राजनैतिक साधनों के जरिये सरकार को इसकी सूचना तक नहीं दी।

आज सुबह हमारे वायुसेना मुख्यालय ने पाकिस्तान के वायुसेना मुख्यालय से बातचीत की और उसे यह बताया गया कि क्षतिग्रस्त विमान भारतीय वायुसेना का कैनबेरा विमान था। उन्होंने यह भी बताया कि उस विमान में जो चालक और नेवीगेटर थे, उन्हें चोट आ गई है और वे रावलपिण्डी पहुंचा दिये गये हैं। पाकिस्तानी वायुसेना प्राधिकारियों ने हामरे वायुसेना-मुख्यालय को यह भी बताया कि इन दोनों व्यक्तियों को भारत को लौटा दिया जायेगा। इस समय वे पाकिस्तान की वायुसेना के एक विमान द्वारा भारत लाये जा रहे हैं। सरकर को बहुत खेद है कि दोनों चालक घायल हो गये हैं, पर सौभाग्य से उन्हें कोई गम्भीर चोट नहीं आई है। सभा को पता होना चाहिये कि इस प्रकार के कैनबरा विमान में कोई शस्त्र इत्यादि नहीं ले जाये जाते। चूंकि हमारा विमान पाकिस्तानी राज्य-क्षेत्र में गोली मार कर गिराया गया है, अतः ऐसा लगता है कि चालन सम्बन्धी या दिशा भ्रम संबंधी किन्हीं कठिनाइयों के कारण हमारा विमान पाकिस्तान के वायु क्षेत्र में चला गया होगा।

चालकों को कह दिया गया था कि वे ४७ और ४८ हजार फुट की ऊंचाई पर उड़ें।

सभा को विदित होना चाहिये कि जिस गति से कैनबरा विमान उड़ता है, उसके अनुसार हमारी सीमा और रावलपिण्डी के बीच का सफर लगभग ३ मिनट में पूरा किया जा सकता है और यह कोई असाधारण बात नहीं थी यदि हमारा विमान किसी तरह इस उड़ान में विदेशी वायु क्षेत्र में चला गया हो। अखबारों में इस तरह के समाचार छपे हैं कि पाकिस्तान में ऐसा कहा जाता है कि उन की वायुसेना ने हमारे कैनबरा विमान को रेडियो द्वारा आज्ञा दी थी कि वह विमान को जमीन पर उतार दे, किन्तु हमारे विमान ने इस आज्ञा का पालन नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप उसे गोली मार कर गिराया गया।

हमारी सरकार इस बात पर विश्वास नहीं कर सकती कि यदि हमारे चालकों को ऐसी चेतावनी दी गई होती, तो वे विमान को नीचे न उतारते। हमारे चालकों को पता था कि उनके पास कोई शस्त्र नहीं है और वह यह भी जानते थे कि चेतावनी की अवहेलना करने का परिणाम कितना भयंकर होगा।

काश्मीर में युद्ध-विराम सीमा पर, पाकिस्तान की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर और गोआ के निकट बम्बई में हमारे राज्य क्षेत्र की सीमाओं पर वायु क्षेत्र का उल्लंघन होना कोई नई और साधारण बात नहीं है। इस बात को आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि अक्तूबर, १९५८ से जनवरी

१९५९ के बीच—तीन महीनों के अन्दर—जम्मू और काश्मीर की युद्ध—विराम रेखा पर सत्तरह बार हमारे वायु क्षेत्र का उल्लंघन किया गया। इस सम्बन्ध में पारिपाटी यह है कि ऐसे मामलों की शिकायत राष्ट्रसंघ के पर्यवेक्षक दल से की जाती है, जो कि बाद में इसकी जांच करता है : हमारी वायु सेना ने कभी भी पाकिस्तानी विमानों के विरुद्ध ऐसा कोई क़दम नहीं उठाया है कि जब कि बार-बार शकायत करने के बाद भी, पाकिस्तानी विमान बराबर हमारे वायु क्षेत्र का उल्लंघन करते रहे हैं।

सभा को यह भी विदित होना चाहिये कि इस बीच जम्मू और काश्मीर में इतना तनाव होने के बाद भी हमारी वायुसेना ने जब पाकिस्तानी वायुसेना के एक विमान को उड़ते देखा, तो केवल उसे चेतावनी ही दी गई और यद्यपि उसके चालक ने हमारी चेतावनी पर ध्यान देने से इन्कार करदिया और भारतीय राज्य-क्षेत्र में उतरने की आज्ञा की अवहेलना की, फिर भी हमने उसे अपने अड्डे पर जाने दिया।

पाकिस्तान द्वारा इस प्रकार गोली मार कर हमारे विमान को गिराया जाना एक अनधिकृत और अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विरुद्ध कार्य है। सभा इस बात पर ध्यान दे कि पाकिस्तानी प्राधिकारियों ने बार-बार यही कहा है कि उन्हें पता नहीं था कि वह विमान किस देश का है। यह आश्चर्य की बात है कि एक आक्रमण करने वाला विमान, जो दूसरे विमान को गोली मार कर गिरा देता है, यह नहीं देख पाता या देखता कि जिस विमान पर वह आक्रमण कर रहा है उस पर क्या चिन्ह बने हैं या वह विमान किस प्रकार का है। पाकिस्तान का यह कार्य इस बात का प्रमाण है कि हम उसके साथ जैसा व्यवहार करते हैं, वह हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता।

सरकार इस बात पर खेद प्रकट करती है कि एक सामान्य उड़ान में चालन सम्बन्धी कुछ कठिनाई के कारण हमारा विमान पाकिस्तानी वायु क्षेत्र में चला गया। सरकार चाहती है कि संसार के सामने यह बात स्पष्ट हो जाये, कि हमारे विमान का पाकिस्तान के वायु क्षेत्र में इस प्रकार जाने के पीछे हमारी कोई बुरी नियत या झगड़े की नीति नहीं थी।

ऐसी परिस्थितियों में हमारी सरकार, राजनैतिक साधनों से जो कुछ भी किया जाना उचित है, कर रही है।

†**श्री खाडिलकर** (अहमदनगर) : मैं जानना चाहता हूं कि जब हमारा विमान उड़ रहा था, तो क्या उसका संबंध हमारे उड़ान के अड्डे से नहीं था ? मैं यह प्रश्न इसलिए पूछता हूं कि इस की सूचना सब से पहले हमें पाकिस्तान रेडियो द्वारा मिली।

†**श्री कृष्ण मेनन** : यह एक सामान्य प्रश्न है। जब कोई लड़ाकू विमान या सैनिक विमान उड़ता है और यदि वह अपने अड्डे से संबंध बनाये रखता है, तो इस प्रकार उस की बात चीत का पता दूसरे देशों को मिल जाता है अत : ऐसी स्थिति में वह अड्डे से कोई संबंध नहीं रखता। चूंकि अड्डे से बात चीत करने में यह भय रहता है कि बात चीत कोई और देश न सुन लें, अत : संबंध नहीं रखा जाता।

†**श्री वाजपेयी** (बलरामपुर) : मैं जानना चाहता हूं कि यदि भविष्य में पाकिस्तानी विमान हमारे वायु क्षेत्र का उल्लंघन करेंगे, तो उसके संबंध में हमारी क्या नीति होगी ? क्या हम अपनी नीति में परिवर्तन करेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कृष्ण मेनन** : हम किसी उत्तेजना के परिणाम स्वरूप अपनी नीति नहीं बदलेंगे । हम उन विमानों को बार-बार चेतावनी देंगे और उन्हें मजबूर करेंगे कि वे नीचे उतरें । हम उन्हें गोली मार कर नहीं गिरायेंगे । यह बात सरकार के विचार करने का है कि क्या हमारे विमान सशस्त्र रहें या नहीं । पर भारतीय वायु सेना या भारत सरकार इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं करेगी ।

†**श्री स० म० बनर्जी** (कानपुर) : माननीय मंत्री ने बताया कि पाकिस्तान का कहना है कि विमान चालक को चेतावनी दी गयी थी और उससे कहा गया था कि वह विमान को नीचे उतारे । चूंकि पाकिस्तान हमारे चालक को वापस भेज रहा है अतः क्या मैं जान सकता हूं कि क्या चालक का कोई वक्तव्य लिया जायेगा—उसे वक्तव्य देना चाहिए क्योंकि यह उसकी मर्यादा का मामला है—और उसके बाद दुर्घटना संबंधी सभी बातों को ध्यान में रखते हुये इसकी शिकायत की जायेगी ?

†**श्री उ० च० पटनायक** (गंजम) : विमान ने रेडियो द्वारा हमें अन्तिम संदेश क्या दिया था ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : मैं नहीं समझ सका कि माननीय सदस्य किस संदेश के संबंध में पूछ रहे हैं । यदि वह हमारे विमान से प्राप्त होने वाले संदेश के संबंध में पूछ रहे हैं, तो इस संबंध में मैं बता चुका हूं कि कोई भी सैनिक विमान अड्डे पर कोई भी संदेश नहीं भेजता जब तक कि वह किसी अन्य कठिनाई में न फंस गया है, जिसका कि शत्रु की कार्यवाही से कोई संबंध न हो । जैसा कि हम जानते हैं कि विमान को जब गोली मार कर गिराया गया, उस समय उसके सामने कुछ भी संकट नहीं था, अतः उसने कोई संदेश नहीं भेजा ।

श्री बनर्जी के प्रश्न के संबंध में, मेरा निवेदन है कि यदि हमारे विमान को बार-बार चेतावनी दी गई, तो इस चेतावनी देने में भी एक या दो मिनट का समय लगता है और इतनी देर में हमारा विमान पाकिस्तान सीमा से बाहर चला गया होता । अत : ऐसा लगता है कि हमारे विमान को कोई चेतावनी नहीं दी गयी थी ।

बन्दरों का निर्यात—जारी

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, मैं उस प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं जिस को कि अभी श्री मोहन स्वरूप ने सदन के सामने पेश किया है । प्रस्ताव को पेश करते हुए जो उन्हों ने कहा उस से ऐसा लगता है कि वह सिर्फ धार्मिक भावनाओं के कारण बंदरों के निर्यात को रोकना चाहते हैं । लेकिन उसी के साथ-साथ मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि श्री मोहन स्वरूप ने अपने इस प्रस्ताव के द्वारा एक चीज भारत सरकार के सामने रक्खी है और वह यह है कि जब एक बंदर को पकड़ने में ठेकेदार को केवल १५ रुपये दिये जाते हैं तो यह बन्दरों का निर्यात करने वाले १०० रुपये तक कैसे उस की कीमत वसूल करते हैं । इस तरह से लाखों रुपया वह जीवों की हत्या कर के वसूल करते हैं । मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर ध्यान दे और इस बात की जांच पड़ताल करे कि कितने लोग और किस प्रकार से इस तरीके से लाभ उठा रहे हैं ।

जहां तक बन्दरों के निर्यात का सवाल है, हमें उन की और भी बहुत सी समस्याओं को देखनी है और इसी के साथ-साथ यह भी देखना है कि बन्दर से किस तरह से वैक्सीन और दूसरी दवाये बनती हैं और उन से मानवता को क्या फायदा होता है । यदि हम यह देखें कि बन्दर के निर्यात से और उस के खूनसे दवा बनने से मानवता को लाभ होता है तो हमें यह देखना होगा कि क्या हम इस छोटी हत्या से बड़ी हत्या को बचा सकते हैं, और यदि ऐसा है तो हमें इस छोटी हत्या को बरदाश्त करना होगा ।

†मूल अंग्रेजी में

मैं यह मानता हूं कि यह देश अहिंसा का देश रहा है। यह देश अशोक, बुद्ध और महात्मा गांधी का देश रहा है जिन्होंने हमें अहिंसा बरतने का उपदेश किया है। लेकिन इस के साथ ही हम को यह भी सोचना पड़ेगा कि यह बन्दर हमारा गल्ला खा जाते हैं। आज हालत यह है कि हम आदमी के लिये गल्ला नहीं दे सकते और हमारी आबादी ६०, ७० लाख प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ती जा रही है। क्या इस अवस्था में हम अपने अनाज को बन्दरों को खिला कर बरबाद कर दें केवल इस लिये कि उनसे हमारी धार्मिक भावनायें जुड़ी हुई हैं। मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि हनुमान और दूसरे बन्दरों की जिस सेना ने लंका पर हमला किया था, वे ऐसे ही बन्दर रहे होंगे जिन को कि हम आज अमरीका और दूसरे देशों को, निर्यात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि वे बन्दर इन बन्दरों के समान नहीं रहे होंगे इस रूप में उन को बन्दर कहना मैं समझता हूं कि हमारी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाना होगा। दुनिया आगे बढ़ रही है। दुनिया का विकास हो रहा है और जिन बन्दरों ने लंका पर हमला किया होगा उन्हों ने भी आज तक बहुत विकास कर लिया होगा। इसलिये मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि ये बन्दर उसी जाति के हैं जिस से हनुमान सम्बन्ध रखते थे। हम जानते हैं कि हनुमान जी ने किस तरह से रामचन्द्र जी की सेवा की थी और किस तरह से उन्हों ने अपनी स्वामी भक्ति का परिचय दिया था। लेकिन वे आज के इन बन्दरों के रूप में रहे होंगे यह मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं।

फिर हिंसा का सवाल आता है। अगर हिन्दुस्तान की सरकार चाहती है कि सारी दुनिया में अहिंसा का पालन हो सके तो यह आवश्यक होगा कि अपने देश में भी पूर्ण अहिंसा का पालन हो। लेकिन क्या हम हिन्दुस्तान की सरकार से यह आशा कर सकते हैं कि वह देश में अहिंसा का पालन करे। आप देखें कि रोजमर्रा यहां गोलियां चलती रहती हैं और लाठी चार्ज होता रहता है। महात्मा गांधी का नाम लेते हुए हर तरह से हिंसा की जा रही है। पिछले ११-१२ साल में जितने आदमी गोलियों से मरे उतने आदमियों की हत्या अंग्रेजों के डेढ़ सौ साल के राज्य में नहीं हुई। तो इस सरकार से यह आशा करना कि वह अहिंसा के लिये कुछ करेगी आकाश कुसुम की आशा करने के समान है।

तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम केवल हिंसा के नाम पर बन्दरों का निर्यात बन्द नहीं कर सकते। हमें दूसरी बातें भी देखनी होंगी कि इस बन्दर के निर्यात के साथ और कौन-कौन बातें सम्मिलित हैं। हम देखते हैं कि लखनऊ और दिल्ली में कुछ लोग बन्दरों को आटा और चने खिलाते हैं पर उस के साथ हमें यह भी देखना चाहिये कि इस तरह कितनी राष्ट्रीय सम्पत्ति का नुकसान होता है। और यदि राष्ट्रीय सम्पत्ति का नुकसान होता है तो मैं कहूंगा कि न सिर्फ बन्दरों को बल्कि हम को उन मनुष्यों से भी भिड़ने के लिये तैयार रहना चाहिये जो राष्ट्रीय सम्पत्ति का नुकसान करते हैं, फिर चाहे वे सरकार के आदमी हों या मिनिस्टर ही क्यों न हों। अगर वे राष्ट्रीय सम्पत्ति का नुकसान करते हैं तो हमें बन्दर की तरह उन से भी सुलझना होगा।

एक माननीय सदस्य : क्या मिनिस्टरों का भी निर्यात कर देंगे।

श्री ब्रजराज सिंह : यह तो आसान काम नहीं होगा। यह तो हिन्दुस्तान की जनता ही देखेगी कि उन को सदस्य भी चुन कर भेजे, मिनिस्टर तो बाद में बनेंगे। और मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान की जनता जल्दी ही इस तरफ ध्यान देगी।

तो जहां तक बन्दरों के निर्यात का सवाल है उससे कुछ लोगों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचती है यह ठीक है। श्री मोहन स्वरूप जी ने कहा है कि उस से केवल २८ या ३० लाख का फारिन एक्सचेंज हम पैदा करते हैं जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भी मानता हूं कि २० या ३० लाख का फारिन एक्सचेंज कोई बड़ी बात नहीं है जब कि हमारी फारिन एक्सचेंज की आवश्यकता और फारिन एक्सचेंज का अर्जन करोड़ों रुपये का है। लेकिन हमें खास तौर से देखना तो यह है कि हम बन्दरों से

[श्री ब्रजराज सिंह]

मानवता को क्या फायदा हो रहा है। हम देखते हैं कि म्युनिसिपैलिटियों में बन्दरों का इन्तिजाम नहीं किया जा सकता क्योंकि लोगों की धार्मिक भावना का सवाल पैदा हो जाता है। यदि कोई अधिकारी बन्दरों को पकड़वाने का प्रबन्ध करता है तो कहा जाता है कि लोगों की धार्मिक भावना को चोट पहुंचती है। पर अगर हम केवल धार्मिक भावना का नाम ले कर बन्दरों के निर्यात का विरोध करें तो यह तो उचित नहीं है। हां, हमें यह अवश्य कोशिश करनी चाहिये कि किसी जीव को अगर कोई कष्ट हो रहा है तो उसे दूर किया जाये। जैसे कि श्री मोहन स्वरूप जी ने कहा कि कोई साढ़े तीन सौ या चार सौ बन्दर जो निर्यात किये गये उन में से तीन चौथाई मर गये। मैं समझता हूं कि यह तो सरकार आसानी से कर सकती है कि जो बन्दर निर्यात किये जाते हैं यह न हो कि वह रास्ते में मर जायें। अगर वह इस तरह से रास्ते में मर जाते हैं तो वह उद्देश्य भी पूरा नहीं होता जिस के लिये उन को निर्यात किया जाता है। उन से उस दशा में वैक्सीन या दवा नहीं बनाई जा सकती। तो यह चीज तो देखने की है कि ऐसी अवस्था में उन को न भेजा जाये कि उन का व्यर्थ ही अपव्यय हो जाये। लेकिन यदि उन से मानवता का हित होता है तो हमें उसमें बाधा नहीं डालनी चाहिये हमारे देश की परम्परा तो यह रही है कि यदि हम देखें कि हमारे खून से भी किसी का भला हो रहा है तो हमें दे देना चाहिये। हमारा इतिहास बताता है कि हम ने अपने अतिथियों की जरूरत पूरी करने के लिये अपने सब कुछ को निछावर कर दिया है। उसी रूप में यदि हम यह देखें कि बन्दरों से मानवता का किसी प्रकार का हित होता है तो हम अपनी धार्मिक भावना को उस के बीच में न लायें। अगर उन से कोई उपयोगी वैक्सीन या दवा बनती है तो हमें रुकावट नहीं डालनी चाहिये। लेकिन साथ ही साथ यह भी देखने की कोशिश करनी चाहिये कि कौन आदमी उस से कितना रुपया कमा रहे हैं। हम को देखना चाहिये कि इस में कितने बीच के लोग मुनाफा कमा रहे हैं और जीवों की हत्या कर के मुनाफा कमा रहे हैं। यदि वे लोग मुनाफा कर रहे हैं तो हिन्दुस्तान की सरकार को देखना चाहिये कि वह मुनाफा सरकार को हो क्योंकि वह जनता की प्रतिनिधि है। यह न हो कि कोई विदेशी या देशी कम्पनियां उस से लाभ उठायें या बेला रोड पर रहने वाले उस से फायदा उठायें। हो सकता है कि इसी तरह की कोई कम्पनी बन्दरों के लिये चनों का भी प्रबन्ध करती हो। तो मैं यह नहीं चाहता कि इस काम में कोई देशी या विदेशी कम्पनी जीवों को इस तरह से बाहर भेज कर मुनाफा उठायें। इसलिये मैं चाहूंगा कि सरकार यह देखे कि कौन लोग हैं जो इस से नाजायज फायदा उठा रहे हैं। साथ ही साथ हमें यह भी देखना चाहिये कि इस काम में बन्दरों के साथ कोई अमानुषिक व्यवहार न किया जाये, उन के साथ क्रूरता का व्यवहार न किया जाये। यह मैं इसलिये नहीं कह रहा हूं कि वे कभी मानव के पूर्वज रहे होंगे जिन से कि आज के मानव का जन्म हुआ है, बल्कि मैं इसलिये कह रहा हूं कि यह हमारे देश की परम्परा है कि किसी भी जीव जन्तु के साथ क्रूरता का व्यवहार नहीं होना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा श्री मोहन स्वरूप जी से कि वे अपना प्रस्ताव वापस ले लें क्योंकि जिस उद्देश्य से उन्हों ने इस प्रस्ताव को पेश किया है कि हिन्दुस्तान की सरकार का ध्यान उन गड़बड़ियों की ओर आकर्षित हो जाये जो कि इस काम में हो रही हैं, वह उद्देश्य पूरा हो गया। मैं समझता हूं कि वे यह कह कर इस पर जोर देने की कोशिश नहीं करेंगे कि इस से हिन्दुस्तान के लोगों की धार्मिक भावना पर चोट पहुंचती है।

चौ० रणवीर सिंह : सभापति जी, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

†**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य अगले अवसर पर अपना भाषण जारी करें।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार १४ अप्रैल, १९५९/२४ चैत्र, १८८१ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

दैनिक संक्षेपिका

शनिवार, ११ अप्रैल, १९५९

२१ चैत्र, १८८१ (शक)

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर . .	५२५१—७७
तारांकित प्रश्न संख्या		
१७७४	कानपुर के युद्ध सामग्री कारखाने में इस्पात की बर्बादी	५२५१–५२
१७७५	सोने का तस्कर व्यापार .	५२५३–५४
१७७६	रेल-भाड़ा वसूल करने में अनियमितता	५२५४–५५
१७७८	उड़ीसा का राज्य संग्रहालय .	५२५५
१७७९	विश्वविद्यालयों में गांधी भवन . .	५२५६–५७
१७८१	समाज कल्याण परियोजना दल का प्रतिवेदन	५२५७–५८
१७८३	युवकों के शिविर और श्रम-सेवा सम्बन्धी समिति . .	५२५८–५९
१७८४	स्टैंडर्ड वैकुअम आयल कम्पनी के मुख्य परामर्शदाता द्वारा खम्भात का दौरा . .	५२५९
१७८५	भू-परिमाप सम्बन्धी दर्शन यंत्र	५२६०–६१
१७८७	रामानुजम् गणित संस्था, मद्रास .	५२६१—६३
१७८८	दिल्ली पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज करने में विलम्ब .	५२६३—६५
१७९०	आन्ध्र में लिग्नाइट के निक्षेप . .	५२६५
१७९१	आसाम आयल रिफाइनरी	५२६५—६७
१७९२	दिल्ली में आंधी के कारण नुकसान .	५२६७–६८
१७९३	पुलिस की हिरासत में एक तिब्बती की मृत्यु	५२६९
१७९५	यमुना नदी . .	५२७०
१७९६	निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा .	५२७०—७२
१७९८	रूरकेला लौह अयस्क परियोजना	५२७२–७३
१८००	भारतीय प्रौद्योगिक संस्था, खड़गपुर	५२७३–७४
१८०१	पाठ्य पुस्तक लेखकों के लिये 'कर्मशाला' .	५२७४–७५
१७८२	छोटी कोयला खानों का मिलाया जाना .	५२७५

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—(क्रमशः)

अल्प सूचना
प्रश्न संख्या

२१	दिल्ली के शरणार्थी प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज .	५२७६-७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर ५२७७-९७

तारांकित
प्रश्न संख्या

१७८०	बेसिक शिक्षा सम्बन्धी साहित्य .	५२७७
१७८६	छात्रों के लिये अवकाश शिविर	५२७८
१७८९	हिमाचल प्रदेश में न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलग किया जाना	५२७८
१७९४	उत्तर प्रदेश में तेल का सर्वेक्षण .	५२७८-७९
१७९७	विकलांगों के लिये अध्यापकों का प्रशिक्षण	५२७९
१७९९	राज्य व्यापार योजनायें	५२७९

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२९१८	कुतुब मीनार में तेज रोशनी .	५२७९
२९१९	अस्पृश्यता . .	५२८०
२९२०	राज्य नियंत्रित उपक्रम .	५२८०
२९२१	पंजाब में दान कर . .	५२८०
२९२२	पंजाब में सम्पत्ति कर . . .	५२८०-८१
२९२३	जम्मू तथा काश्मीर में प्राथमिक तथा बुनियादी शिक्षा के लिये अनुदान . .	५२८१-७२
२९२४	बम्बई में प्रादेशिक भाषाओं का विकास .	५२८२
२९२५	एलीफेन्टो की गुफायें .	५२८२
२९२६	अजमेर में अढ़ाई-दिन-का झौंपड़ा .	५२८२
२९२७	प्रतिरक्षा मंत्रालय के लिये विदेशों से की गई खरीद .	५२८३
२९२८	उत्तर प्रदेश में खेल कूद	५२८३
२९२९	लोक सहायक सेना शिविर . .	५२८३
२९३०	लखनऊ में आसफ उद्दौला का इमामबाड़ा .	५२८४
२९३२	स्त्रियों की शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति	५२८४-८५
२९३३	विदेशों में प्रविधिक शिक्षा . .	५२८५-८५

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या

२९३४	स्टेनलैस स्टील का आयात .	५२८६
२९३५	कानपुर में मिलों से आय-कर की बकाया .	५२८६
२९३६	रूस भेजा गया भारतीय वैज्ञानिकों का दल	५२८७
२९३७	इस्पात बोर्ड . .	५२८७
२९३८	भारतीय प्रोद्योगिक संस्था, खड़गपुर . .	५४८७
२९३९	केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग, उड़ीसा . .	५२८७—८८
२९४०	प्राणदंड . .	५२८८
२९४१	पांडीचरी में खुदाई . .	५२८८
२९४२	चिंगलपट और तंजौर में खुदाई .	५२८८
२९४३	दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम . .	५२८८—८९
२९४४	सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही .	५२८९
२९४५	औद्योगिक खनिज पदार्थों सम्बन्धी प्रचार .	५२८९—९०
२९४६	रेडियो के वाल्व . .	५२९०
२९४७	कांगड़ा में गर्म पानी के चश्मे . . .	५२९०
२९४८	भारतीय पुलिस पर पाकिस्तानी तस्कर व्यापारियों द्वारा गोली चलाया जाना . .	५२९०—९१
२९४९	वयस्कों के लिये स्कूल	५२९१
२९५०	उड़ीसा में खनन् पट्टे . . .	५२९१—९२
२९५१	जालंधर जिला में व्यय कर और सम्पत्ति कर देने वाले व्यक्ति .	५२९२
२९५२	अपीलीय सहायक आयुक्त का कार्यालय, ग्वालियर क्षेत्र	५२९२
२९५३	अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां . .	५२९२—९३
२९५४	नागा विद्रोही . .	५२९३
२९५५	दिल्ली में मोटर वर्कशाप	५२९३
२९५६	सरकारी सेवा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्ति . .	५२९३—९४
२९५७	आधुनिक भाषाओं का विकास .	५२९४
२९५८	लिपिक सेवा की ग्रेड १ .	५२९४—९५
२९५९	तपेदिक के रोगी . .	५२९५
२९६०	राजनैतिक पीड़ित	५२९५
२९६१	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा-शुल्क कर्मचारियों के रहने के लिये मकान	५२९५—९६

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२९६२	दिल्ली नगर निगम को वित्तीय सहायता .	५२९६
२९६३	जम्मू तथा काश्मीर को सहायता	५२९६
२९६४	पंजाब में लौह अयस्क .	५२९६–९७
२९६५	अगरतला में लड़कियों के स्कूल .	५२९७
२९६६	दोहरा कराधान .	५२९७

स्थगन प्रस्ताव . . . ५२९७–९८

उपाध्यक्ष महोदय ने १० अप्रैल, १९५९ को पाकिस्तानी वायुसेना द्वारा भारतीय वायुसेना के एक कैनबेरा विमान को गोली मार कर गिरा देने के बारे में ६ स्थगन प्रस्तावों को, जिन की सूचना निम्नलिखित सदस्यों ने दी थी, प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी :—

सर्वश्री उ० च० पटनायक, खाडिलकर, स० म० बनर्जी, प्रभात कार, पाणिग्रही, हेम बरूआ और वाजपेयी तथा पंडित ब्रज नारायण ब्रजेश ।

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ५२९८

खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ की धारा २८ की उपधारा (१) के अन्तर्गत दिनांक २८ मार्च, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३४९ की एक प्रति ।

अनुदानों की मांगें . . . ५२९९—५३३५

(१) पुनर्वास मंत्रालय की अनुदानों की मागों पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई । मांगें पूरी-पूरी स्वीकृत हुईं ।

(२) सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा शुरू हुई । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन-- स्वीकृत . . ५३३५

इकतालीसवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ ।

गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प--अस्वीकृत . . . ५३३५–४३

विदेशी मुद्रा संबंधी कदाचार के बारे में संकल्प पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई और संकल्प अस्वीकृत हुआ ।

विषय **पृष्ठ**

गैर सरकारी सदस्य का संकल्प--विचाराधीन . ५३४३–४७, ५३५०–५२

श्री मोहन स्वरूप ने बन्दरों के निर्यात के बारे में संकल्प प्रस्तुत किया । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

मंत्री द्वारा वक्तव्य . ५३४७–५०

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) ने १० अप्रैल, १९५८ को पाकिस्तानी वायुसेना द्वारा भारतीय वायुसेना के एक कैनबेरा विमान को गोली मार कर गिरा दिये जाने क बारे में एक वक्तव्य दिया ।

मंगलवार, १४ अप्रैल, १९५९/२४ चैत्र, १८८१ (शक) के लिये कार्यावलि--

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा